खण्ड-434, अंक-10
गुरूवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1922
(4 मई, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
जनपद फिरोजाबादे के टूण्डला कस्बे में सात व्यक्तियों की हत्या एवं जनपद एटा के ग्राम हरनामपुर में तीन मासूम बच्चों को जिन्दा जलाये जाने तथा उनकी मां की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर न्यायिक जांच की मांग (जारी)	1–2
प्रश्नोत्तर	2–53
जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला कस्बे में सात व्यक्तियों की हत्या एवं जनपद एटा के ग्राम हरनामपुर में तीन मासूम बच्चों को जिन्दा जलाये जाने तथा उनकी मां की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर न्यायिक जांच की मांग	53–72
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	72
जनपद इलाहाबाद की ग्राम पंचायत डेवरी बरहा गांव के कोल समुदाय के लोगों पर थाना खीरी के थानाध्यक्ष द्वारा किये गये उत्पीड़न की राजस्व परिषद् के सदस्य द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट देने एवं कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद मथुरा के मथुरा ब्लाक–प्रमुख द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72–73
दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में गड़रिया से महाबीरन डेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद मुरादाबाद के विद्युत सब स्टेशन ताहरपुर एवं मैनाठेर के विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सम्बन्धित किसानों को विद्युत आपूर्ति में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद अम्बेडकर नगर में रायगंज सेनपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74–75
मुरादाबाद मण्डल में प्रोजेक्ट योजना में की गयी धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	75–76
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	76
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000, (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	76–77

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाठ की पेयजल समस्या के निदान हेतु वाटर लिफ्टिंग पम्प लगवाये जाने के संबंध में श्री नन्दन सिंह बोरा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	77
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	77–81
विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के प्रथम गुरुवार दिनांक 29 जनवरी, 98 के लिये निर्धारित श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–42 के उत्तर के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत कृषि मंत्री का शोधित उत्तर	81–83
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	83–84
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 (पारित)	84
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000, (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित) (पारित)	85–88
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	88
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	88–89
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	89
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–43—परिवहन विभाग (स्वीकृत)	89–90
"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय" सम्बन्धी डा० लक्ष्मीकान्त बाज़पेयी आदि द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	90
ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वे एवं 74वे संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी) ...	90
"इस सदन का भी निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय" संबंधी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	90
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	91-92

विषय	पृष्ठ-संख्या
कतिपय जालसाजों द्वारा फर्जी हस्ताक्षरित पत्र जारी कर निदेशक, पर्यटन अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय को फंसाये जाने सम्बन्धी डा० अशोक बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन	92
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के महाराजा आदित्य नरायण हायर सेकेन्डरी स्कूल भदोही को षड़यंत्र के तहत संविधान विरुद्ध अल्पसंख्यक संस्था बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	92–93
सनातन धर्म इण्टरमीडिएट कालेज, वाराणसी के साथ संलग्न प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बकाया वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	93-94
जनपद मथुरा की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा प्रभावी नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	94–97
जनपद फिरोजाबाद में आये भीषण तूफान व ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	97–98
प्रदेश में हजारों की संख्या में सी० पी० एड० प्रशिक्षणार्थियों की परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	98–99
जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फरधान अन्तर्गत नकहापिपरी कालोनी निवासी चौदह वर्षीय बालक सैली के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	99–100
मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों को दो माह से वेतन न मिलने तथा उनके हड़ताल पर जाने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	100
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र श्याम देउरवा के अन्तर्गत नगर पंचायत घुघुली में मानक के अनुरूप विद्युत सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	100–101

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर में सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत बखिरा पम्प नहर 2 नलकूप खण्ड प्रथम गोरखपुर द्वारा टेल तक पानी न पहुंचाये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	101
जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर बस स्टेशन स्थापित कर यात्रियों की सुविधा हेतु रोडवेज की बसों का संचालन कराये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	102
जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में श्री राम जग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	102–103
जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री. रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	103
जनपद संत रविदास नगर भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत छेछुआ ग्राम सभा को गंगा नदी के कटान से बचाये जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	104
प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में श्री राम औतार शाक्य व अन्य द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा का स्थगन	104
प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से पांच हजार करोड़ रुपये ऋण लेने की योजना, उसकी शर्तें तथा कुछ विभागों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन न किये जाने विषयक दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ग) के संबंध में श्री अम्बिका चौधरी व अन्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा का निरस्तीकरण	104
नत्थियां	105–107

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 4 मई, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
अनीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
अमर मणि, श्री	महराजगंज	राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
अरुण प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
चौधरी नरेन्द्र सिंह	कानपुर देहात	राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	राम सिंह, डा०	अलीगढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
दंश नारायण सिंह, श्री	भदोही	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ	शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर	श्रीराम, श्री	मऊ
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
		हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 4 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 01 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही एक मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

(घोर व्यवधान)

जनपद फ़िरोजाबाद के टूण्डला कस्बे में सात व्यक्तियों की हत्या एवं जनपद एटा के ग्राम हरनामपुर में तीन मासूम बच्चों को जिन्दा जलाये जाने तथा उनकी मां की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर न्यायिक जांच की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय, टूण्डला में जिस तरह से नरसंहार हुआ है.....

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय, टुण्डला की जो घटना है.....

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाएं । देखिये, कल इस विषय पर काफी बहस हो गयी है ।

सदन तो नियम और कानून के अनुसार ही चलेगा । इस तरह व्यवधान उपस्थित करना उचित नहीं है कृपया बैठ जाएं ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने रहने के कारण घोर व्यवधान बना रहा)

देखिए, कल इस विषय पर काफी समय सदन में दिया था । मेरा अनुरोध है कि प्रश्न काल हो जाने दीजिए, कल भी प्रश्न काल नहीं हो सका । बहुमूल्य अधिकार जो प्रश्न के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का माननीय सदस्यों को है उस अधिकार का उपयोग नहीं हो सका । प्रश्नकाल हो जाने दीजिए तब इस विषय को उठायें जैसी परिस्थिति होगी निर्णय लिया जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

उनका दाह संस्कार भी नहीं किया गया ।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–1 नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर)

वे खड़े नहीं हो रहे हैं । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 वे भी नहीं खड़े हो रहे हैं ।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के श्री राम तेज यादव एडवोकेट सहित कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–1, नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–1 व प्रश्न संख्या–3 लिये जाने पर व संबंधित माननीय सदस्यों के खड़े न होने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग स्थान ग्रहण करें। मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हिन्दी भाषा के विकास एवं समृद्धि के लिए सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना की जानकारी

**1.—श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दी भाषा के समृद्धि एवं विकास के लिये सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस किराये में वृद्धि का औचित्य/बढ़े किराये को वापस लेने की मांग

**2—श्री अवधेश प्रसाद–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 2000 से उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस किराया में वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो कितनी और उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार बढ़े हुए किराये को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी हां।

बसों की संचालन लागत, डीजल मूल्य तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्तों में हुई वृद्धि के कारण यात्री बसों का किराया प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 27.20 पैसे प्रति कि०मी० के स्थान पर 35 पैसे प्रति यात्री प्रति कि०मी० निर्धारित किया गया है जिनमें अतिरिक्त कर (यात्रीकर) भी सम्मिलित है।

जी नहीं।

संचालन लागत में हुई वृद्धि के कारण बढ़ा हुआ किराया वापस लिया जाना व्यावहारिक नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गांव फण्ड में सूद/सस्पेन्स तथा अज्ञात खातों की धनराशि का 80 प्रतिशत निदेशालय से मंगाया जाना/आय व्यय व अवशेष धनराशि की जानकारी

*1—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज निदेशालय के परिपत्र संख्या–1/5044/93-15/91 दिनांक 23 मार्च, 1994 द्वारा गांव फण्ड में सूद/सस्पेन्स तथा अज्ञात खातों में उपलब्ध धनराशि का 80 प्रतिशत भाग निदेशालय में मंगाया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

धनराशि जिलों से प्राप्त की गयी है ? प्राप्त धनराशि एवं उसका ब्याज किन-किन मदों में व्यय किया गया है ? क्या अवशेष धनराशि सामान्य लाभ निधि खाते में जमा की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी हां।

कुल रु० 2.28.90.942.26/- की धनराशि प्राप्त हुई है।

प्राप्त धनराशि सामान्य लाभ निधि नियमावली में दिये गये मदों के अलावा विकेन्द्रीकरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर की गयी बैठकों के व्यय, स्टेशनरी व्यय, दूर संचार के साधनों पर व्यय, आवागमन हेतु वाहनों का क्रय प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रण एवं छपाई व्यय और अन्य विविध व्ययों पर व्यय किया गया है।

जी हां, ब्याज को सम्मिलित करते हुए रु० 3.58.37.644/- की धनराशि इस समय जमा है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राम औतार शाक्य–

[6वें बुधवार में ता० प्र० सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2—श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये कृषकों को सस्ते दामों पर आलू के बीज उपलब्ध कराने की मांग

*3—श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कृषकों को सस्ते दामों पर सरकार आलू के बीज उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी नहीं।

प्रदेश में राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्तम कोटि के रोग रहित आधारित आलू बीज का तकनीकी विशेषज्ञों की देख-रेख में उत्पादन किया जाता है और कृषकों को बिना लाभ हानि के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस आलू बीज की उत्पादन लागत सामान्य आलू के उत्पादन लागत से काफी अधिक होती है। ऐसे आलू बीज को सस्ते मूल्य पर बेचने से जहां शासन को हानि होगी वहीं उसका उपयोग बीज के रूप में, ही सुनिश्चित करा पाना सम्भव नहीं होगा।

खाद्यान्न में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से प्रभावित मानव जीवन की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम

*4—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कीटनाशक दवाइयों के अधिक प्रयोग से पैदा होने वाले खाद्यान्न से मानव जीवन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी हां। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी है।

जी हां।

इसकी रोकथाम के लिये भारत सरकार के सहयोग से आई० पी० एम० का कार्यक्रम विभिन्न फसलों पर कृषि विभाग, उ० प्र० द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में टेक्नीकल ग्रेड 200 मै० टन उ० प्र० सरकार द्वारा कम किया जा रहा है।

कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिये एकीकृत नाशीजीवी प्रबन्धन कार्यक्रम प्रदेश में चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत किसानों को मित्र कीट एवं हानिकारक कीटों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही हानिकारक कीटों की उपस्थिति के साथ मित्र कीटों की मौजूदगी, जो हानिकारक कीटों को स्वतः मारकर/खा कर हानिकारक कीटों का नियंत्रण करते हैं, को ध्यान में रख कर, कृषि रक्षा रसायन न छिड़कने की सलाह दी जाती है। फसलों पर कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो जाने पर ही रसायनों के छिड़काव की सलाह इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को दी जा रही है। जिससे रसायनों के प्रयोग में कमी आ रही है। वायो पेस्टीसाइड के प्रयोग पर भी बल दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सल्फास की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

*5—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सल्फास की गोलियां खाकर मृत्यु की घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सल्फास की बिक्री पर पाबन्दी लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

पाबन्दी लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर कैम्पियरगंज के ग्राम रामकोला के बाढ़ से किसानों को अन्यत्र बसाने की मांग

*6—श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की क्षेत्र पंचायत कैम्पियरगंज का ग्राम रामकोला राप्ती नदी के कटान के कारण नदी में विलीन हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार, ग्राम राम कोला के किसानों को कहीं अन्यत्र बसायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जनपद गोरखपुर के क्षेत्र पंचायत कैंम्पियरगंज में वर्ष 1998-99 की बाढ़ के समय राप्ती नदी से कोई कटान नहीं हुआ है और न ही ग्राम रामकोला नदी में विलीन हुआ है। उक्त ग्राम का अस्तित्व बरकरार है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

*7—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव निर्धारित समय पर कराये जाने की मांग

*8—श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव निर्धारित समय पर करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

प्रदेश में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन का प्रकरण मां० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये घोषित पैकेज में मेरठ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल किये जाने हेतु की गयी कार्यवाही की जानकारी

*9—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि अप्रैल, 1999 में पूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये पैकेज घोषित किया गया था जिसमें मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी सम्मिलित थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम् की औपचारिक स्थापना हेतु कृषि एवं प्रौद्योगिक (संशोधन) अध्यादेश संख्या–6 सन् 2000 दिनांक 3 मार्च, 2000 को प्रकाशित हो चुका है तथा उक्त अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के शीतगृहों में आलू के भण्डारण हेतु निर्धारित शुल्क की दर में कमी करने की मांग

*10—डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री अवधेश प्रसाद–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों का आलू शीतगृहों में भण्डारण हेतु शुल्क 72/- रु० प्रति बोरी निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन आलू उत्पादक कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भण्डारण शुल्क में कमी करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

प्रदेश के शीतगृहों में आलू के भण्डारण हेतु शासन द्वारा कोई भण्डारण दर निर्धारित नहीं की गयी है केवल रु० 72/- प्रति कुन्तल की सीमा तक शीतगृह मालिकों को भण्डारण प्रभार निर्धारित करने हेतु सहमत कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश को[illegible] विनियमन अधिनियम, 1976 की संशोधित धारा–29 के अनुसार शीतगृहों में भण्डारण प्रभार निर्धारण हेतु शासन अधिकृत नहीं है ।

*11—श्री विजय पाल सिंह–

[दिनांक 6-4-2000 को अ० सू० ता० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित]

विगत पांच वित्तीय वर्षों में शराब की नीलामी से वर्षवार प्राप्त राजस्व का विवरण/2000-2001 में लखनऊ में राजस्व प्राप्ति का निर्धारित लक्ष्य की जानकारी

*12—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वित्तीय वर्षों में शराब की नीलामी से प्रतिवर्ष कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लखनऊ जनपद का निर्धारित लक्ष्य क्या था ? क्या यह सही है कि वर्ष 2000-2001 का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

विगत पांच वित्तीय वर्षों में शराब की नीलामी से वर्षवार प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	देशी शराब करोड़ रु० में	विदेशी मदिरा करोड़ रु० में	योग करोड़ रु० में
1995-96	746.37	200.84	947.21
1996-97	854.03	233.72	1087.75
1997-98	998.97	278.05	1277.02
1998-99	1145.57	330.93	1476.50
1999-2000	1374.14	399.49	1773.63

उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में किसी जनपद का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्राविधानित नहीं है । विभाग द्वारा जनपद की गत वर्ष की नीलामी में प्राप्त धनराशि पर न्यूनतम वृद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा जनपदीय अधिकारियों से की जाती है । इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000-2001 हेतु जनपद लखनऊ में न्यूनतम वृद्धि रु० 11.50 करोड़ की अपेक्षा की गयी थी ।

जी नहीं, परन्तु लखनऊ जनपद में दि० 8-3-2000, 9-3-2000, 14-3-2000, 23-3-2000 तथा 27-3-2000 को कराई गयी नीलामी में अपेक्षित न्यूनतम वृद्धि प्राप्त न होने के कारण अन्ततः दि० 29-3-2000 को सम्पन्न नीलामी में प्राप्त अधिकतम बोली जो कि गत वर्ष की तुलना में 1,50,05,000/- की वृद्धि पर बोली को अन्तिम किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद के सृजन के मानकों की जानकारी तथा जिला श्रावस्ती को समाप्त किये जाने हेतु अधिवक्ता संघ की हड़ताल, समस्या से निपटने हेतु की गयी कार्यवाही

*13—श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के सृजन के मानक क्या हैं ? क्या जनपद श्रावस्ती को समाप्त किये जाने हेतु बहराइच जनपद के अधिवक्ता संघ एक माह से हड़ताल पर हैं ? क्या यह सही है कि इस हड़ताल आन्दोलन में तहसील कैसरगंज, नानपारा, महसी के अधिवक्ता संघ भी शामिल हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या से निपटने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद सृजन हेतु मानक निम्नवत् हैं :––

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी न्यूनतम 15 लाख हो ।

(2) न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग कि०मी० हो ।

(3) तहसीलों की न्यूनतम संख्या–तीन हो ।

(4) विकास खण्डों की न्यूनतम संख्या–10 हो ।

(5) थानों की न्यूनतम संख्या–12 हो ।

(6) लेखपालों की न्यूनतम संख्या–300 हो ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन द्वारा विचारोपरान्त शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन में उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां एवं बीज पर वर्तमान सब्सिडी का विवरण/बढ़ाने की मांग

*14—श्री राम जग–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, बीज पर वर्तमान समय में कितनी सब्सिडी दी जा रही है ? क्या सरकार इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां एवं बीज पर वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी का विवरण संलग्न है ।

प्रदेश सरकार का सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 105–106 पर ।)

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र में फल पट्टी घोषित होने के कारण, ईंट भट्ठों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

1––श्री बाबू लाल कुरील–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव में फलपट्टी घोषित होने के बाद कितने ईंट भट्ठे अवैध रूप से फलपट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत चल रहे हैं ? क्या सरकार उक्त ईंट भट्ठों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव––

विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव में फलपट्टी क्षेत्र घोषित होने के बाद कोई भी ईंट भट्टा संचालित नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद, तहसील अकबरपुर, ग्राम सैदापुर में चकरोड सर्विस रोड नालियों व नवीन परती भूमि की शिकायत/खाली कराने की मांग

2—श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सैदापुर, तहसील अकबरपुर, जिला-फैजाबाद में कुछ चकरोड, सर्विस–रोड, नालियों व नवीन परती की जमीन को काश्तकारों द्वारा जोतकर अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भूमि की पैमाइश कराकर उसे खाली कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर, ग्राम बागपुर में नवनिर्मित विद्यालय में चुनाव के पोलिंग स्टेशन बनाये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

3—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम–वागपुर ब्लाक बेवर जनपद–मैनपुरी में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय में कतिपय ग्रामों की गांव पंचायत/प्रधानों के चुनाव की पोलिंग स्टेशन बनाये जाने विषयक उक्त ग्राम के ग्रामीणों के प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य मंत्री को दिया गया प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–1/78788/ मैनपुरी/2000 दिनांक 24-1-2000 क्या जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां, प्रश्नगत प्रकरण विषयक पत्र प्राप्त हुआ है । किन्तु पत्र की संख्या–78788 न होकर 30780 है ।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्र सं०–2356/रा०नि०आ०/अनु०–4/98, दिनांक 1-1-99 के प्रस्तर–2 तथा 8 में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम भूड़पटिया के मतदाताओं को प्राइमरी पाठशाला बागपुर मतदेय स्थल से लगाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गाजीपुर, दिलदार नगर क्षेत्र के ग्राम–गहमर एवं ग्राम–गसेयों के स्टेडियम एवं ग्राम वारा तथा ग्राम अतरौली के व्यायामशालाओं के बन्द निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण कराने की मांग

4—श्री सिंहासन सिंह–

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर, विधान सभा क्षेत्र दिलदारनगर के ग्राम–गहमर एवं ग्राम–गसेयों के स्टेडियम एवं ग्राम वारा तथा ग्राम–अतरौली के व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इनका निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)–

विधान सभा क्षेत्र दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर गसेयों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

ग्राम–गहमर में ग्रामीण स्टेडियम हेतु मानक के अनुसार कुल धनराशि रु० 19.63 लाख की स्वीकृति दी जानी थी, जिसमें से रुपया 14.28 लाख की धनराशि दिनांक 10-2-97 तथा रु० 5.35 लाख दिनांक 07-09-98 को अर्थात् कुल धनराशि रु० 19.63 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त

स्वीकृति के सापेक्ष रु० 14.28 लाख की धनराशि निदेशालय द्वारा पी० एल० ए० से आहरित न कर पाने के कारण बाद में वित्त विभाग के आदेशानुसार उसे प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया। इस प्रकार मात्र रुपया 5.35 लाख का व्यय ही उक्त ग्रामीण स्टेडियम पर किया जा सका है। अवशेष धनराशि उपलब्ध हो जाने पर ही शेष निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

व्यायामशाला वारा के लिये जिला योजना के अन्तर्गत कुल रु० 2.06 लाख अनुमोदित था, जिसकी पूर्ण स्वीकृति दिनांक 28-2-96 को निर्गत कर दी गयी थी। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रु० 20.150.85 की धनराशि का दिनांक 30-9-98 तक उपयोग न हो पाने के कारण वित्त विभाग के आदेशानुसार उसे प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा कर दी गयी इसी प्रकार अतरौली व्यायामशाला के लिये जिला योजना के अन्तर्गत रु० 2.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी थी, जिसकी सम्पूर्ण स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 7-8-96 को प्रदान कर दी गयी थी। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रुपये 9.828/- की धनराशि दिनांक 30-9-98 तक उपयोग न हो पाने के कारण वित्त विभाग के आदेशानुसार प्राप्ति लेखा-शीर्षक में जमा कर दी गयी। वर्तमान में दोनों व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य बन्द है। अवशेष धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

वित्त विभाग के आदेशानुसार दिनांक 30-9-98 तक अप्रयुक्त धनराशि प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा कर दिये जाने के कारण।

धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर निर्माण कार्य पूरा कराया जा सकेगा।

5—श्री राम अचल राजभर–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जिला भदोही संत रविदास नगर के ग्राम उमरी के बरसाती पुत्र कुबेर को असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6—डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसाती पुत्र कुबेर निवासी ग्राम उमरी जिला भदोही संत रविदास नगर को असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-12-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के आवास आवंटन में आरक्षण लागू करने की मांग

7—श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में आवास आवंटन में क्या आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने आवास आवंटित हैं और उनमें कितने आरक्षित वर्ग के लोगों को आवंटित हैं ? क्या रिक्त आवासों का पुनः आवंटन जनवरी, 2000 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या वे नियमानुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आवास आवंटन समिति में अनुसूचित जाति के भी किसी सदस्य को रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आवास आवंटित किये गये हैं।

विश्वविद्यालय में अभी तक कुल 464 विभिन्न श्रेणी के आवासों को आवंटित किया गया है जिसमें से 82 पिछड़ी जाति तथा 29 अनुसूचित जाति के हैं।

जनवरी, 2000 में मात्र 8 अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणी के आवासों को आवंटन किया गया है।

अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यक सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए किया गया है।

जी नहीं।

विश्वविद्यालय के आवास आवंटन नियमों में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज में यूकलिप्टस के वृक्षों की नीलामी में गड़बड़ी की जांच की मांग

8—श्री लालजी वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज में यूकलिप्टस के वृक्षों की नीलामी वर्ष 1999 में की गयी है ? यदि हां, तो उससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या नीलामी जिस ठेकेदार को दी गयी उसके पास वैध लाइसेंस था ? यदि हां, तो उसका नाम व लाइसेंस संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि भारी मूल्य की लकड़ी कम कीमत नीलाम कर दी गयी ? क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां।

रु० 1,75,000/00 (एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यूकलिप्टस प्रजाति छूट प्रजाति का है। इसके कटान पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं। नीलामी, उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा मूल्यांकन कराने के पश्चात् की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि यूकलिप्टस छूट प्रजाति के अन्तर्गत आता है, तथा नीलामी की कार्यवाही वन विभाग द्वारा मूल्यांकन कराने के उपरान्त की गयी है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव, तहसील बीघापुर, ग्राम पाटन में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मांग

9—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–पाटन, तहसील–बीघापुर, जिला–उन्नाव में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण/आवंटन की पत्रावली लगभग दो माह से जिलाधिकारी उन्नाव के कार्यालय में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–पाटन, तहसील–बीघापुर, जनपद–उन्नाव के निर्माण हेतु शासकीय विज्ञप्ति संख्या–258/रा-1-16(1)/73, दिनांक 7-5-81 में प्रदत्त प्रतिनिधान के अन्तर्गत

जिलाधिकारी, उन्नाव के पुर्नग्रहण आदेश संख्या–1230/डी०एल० आर० सी० दिनांक 18-1-2000 द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर, तहसील लखीमपुर, परगना श्रीनगर, पिपरामरोड़ा में सीलिंग भूमि का पट्टा पात्र व्यक्तियों को प्रदान करने की कार्यवाही की मांग

10—श्रीमती माया प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर की तहसील लखीमपुर में स्थित ग्राम पिपरामरोड़ में सीलिंग भूमि का पट्टा कितने व्यक्तियों को किया गया ? इन पट्टाधारकों में से कितने व्यक्ति भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं और कितने व्यक्ति भूमिधर एवं अन्य ग्राम सभा के निवासी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार अपात्र पट्टेधारकों के पट्टों को निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को पट्टा देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्राप्त सूचना के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति पिपरामरोड़ा परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि 17–140 हे० के आवंटन हेतु दिनांक 24-10-99 में 44 व्यक्तियों के मध्य प्रस्तावित किया है परन्तु प्रस्ताव का अनुमोदन परगना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

उक्त आवंटन में कुल 44 भूमिहीन खेतिहर मजदूर दर्शाये गये हैं जिनमें अनुसूचित जाति के 30 व्यक्तियों को 11–860 हे० तथा पिछड़ी जाति के 12 व्यक्तियों को 4–470 हे० तथा दो अन्य जाति के व्यक्तियों को 0–810 हे० भूमि का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के दिलदारनगर में मण्डी समिति द्वारा निर्मित मण्डी बाजार में ही मण्डी लगाये जाने की मांग

11—श्री सिंहासन सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के दिलदारनगर में मण्डी समिति द्वारा निर्मित मण्डी बाजार में क्या मण्डी लगती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

सुरक्षा एवं सुविधाओं की कमी के कारण अभी तक व्यापार स्थानान्तरण नहीं हो सका है।

जनपद गाजीपुर के चकबन्दी विभाग में ए० एस० ओ० सी० की नियुक्ति की मांग

12—श्री सिंहासन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के चकबन्दी विभाग में ए० एस० ओ० सी० कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो उक्त की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ! वर्तमान में प्रदेश स्तर पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के 27 पद रिक्त चल रहे हैं, इन रिक्त पदों को भरने हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है, पदोन्नति होने पर यथासमय नियमानुसार नियुक्ति कर दी जायेगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, दिलदारनगर क्षेत्र स्थित राजस्व ग्राम–रामपुर, विकास खण्ड खेतीपुर एवं गांव गहमर, विकास खण्ड भदोरा के मौजा मोमारकपुर पनमझमऊआ मनकड़ा में चकबन्दी कराये जाने की मांग

13–श्री सिंहासन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के दिलदारनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित गांव–रामपुर, विकास खण्ड खेतीपुर एवं गांव गहमर विकास खण्ड भदौरा के मौजा मोमारकपुर पनमझमऊआ मनकड़ा की चकबन्दी करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राजस्व ग्राम रामपुर एवं गहमर की चकबन्दी क्रियायें पूर्ण हो चुकी है । मौजा मोमारकपुर पनमझमऊआ मनकड़ा कोई राजस्व ग्राम नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज में रिक्त सहायक लेखाधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति की पदोन्नति कर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

14–श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में रिक्त सहायक लेखाधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संवर्ग में आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक लेखाधिकारी के कुल 6 पद हैं जिसमें एक पद भरा है । शेष 5 पदों पर प्रोन्नति के समय नियमानुसार आरक्षण कोटा पूर्ण किया जायेगा । विभागीय प्रोन्नति समिति गठित कर दी गयी है।

जनपद भदोही में उप पशु चिकित्सालय खोलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में उप पशुचिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-7-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां ।

पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ग्राम गडौरा विकास खण्ड सुरियांवा में पशु चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के संबंध में जांच कराई गई । जांचोपरान्त प्रश्नगत स्थान पर पशु चिकित्सालय खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच, तहसील कैसरगंज, ग्राम सभा तख्ता बदरौली के चक मार्ग के रास्तों पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

16-श्री रामनेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा तख्ता बदरौली, थाना व तहसील कैसरगंज, जनपद बहराइच के चक-मार्ग नं० 2569 व 2565 व 2563 का रास्ते के चकरोड को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग को खाली कराने हेतु दिनांक 25-1-2000 को पैमाइस हुई और उक्त चकरोड को खाली करने का आदेश कब्जेदारों को दिया गया था ? क्या अभी तक उक्त कब्जा नहीं हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कब्जे को हटाने हेतु कोई कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

अनधिकृत कब्जा हटवा दिया गया है।

प्रश्नगत भूमि पर अब कोई अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के कलेक्ट्रेट आफिस में 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी/अन्य जिलों में स्थानान्तरित करने की मांग

17-श्री बाबूलाल कुरील–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के कलेक्ट्रेट आफिस में कितने अधिकारी/कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों को अन्य जिलों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कलेक्ट्रेट आफिस उन्नाव में 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ पी० सी० डी० एफ० मुख्यालय में कार्यरत वी० के० अग्रवाल द्वारा डी० सी० एस० ट्रेनिंग सेन्टर आगरा हेतु क्रय सामान में अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री वी० के० अग्रवाल जो वर्तमान में पी० सी० डी० एफ० मुख्यालय, लखनऊ में क्रय-विक्रय के इन्चार्ज नियुक्त हैं, के विरुद्ध गत 4 वर्ष पूर्व डी० सी० एस० ट्रेनिंग सेन्टर, आगरा में संस्था के लिये क्रय किये गये सामान में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रबन्ध निदेशक द्वारा करायी गयी थी और उन पर आरोप सिद्ध पाये गये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री जयपाल सिंह)–

जी हां। श्री अग्रवाल वर्तमान में पी० सी० डी० एफ० में प्रभारी (मैटीरियल्स) के पद पर कार्यरत हैं, जो पी० सी० डी० एफ० के क्रय अनुभाग का कार्य नहीं देखते हैं। श्री अग्रवाल सम्प्रति

पी० सी० डी० एफ० में क्रय अनुभाग के प्रभारी हैं । वर्ष 1994-95 में श्री अग्रवाल के डी० सी० एस० ट्रेनिंग सेन्टर, आगरा के कार्यकाल की कतिपय शिकायतों की जांच करायी गयी थी । जांचाख्या के परीक्षणोपरान्त श्री अग्रवाल की कोई अन्तर्ग्रस्तता प्रतीत नहीं हुई ।

आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पंचायतीराज (लेखा) उ० प्र० इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा श्री विनय सिंह सिरोही अपर मुख्य अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के संबंध में पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री जगदीश सिंह राणा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायती राज (लेखा) उ० प्र० इन्दिरा भवन, लखनऊ का पत्र संख्या–रा० ले० ले-2/215(58)/5375 दिनांक 28-12-1999 जो श्री विनय सिंह सिरोही (अपर मुख्य अधिकारी) के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के संबंध में है, सचिव, पंचायती राज को माह जनवरी, 2000 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

पंचायती राज (लेखा), उ० प्र० के पत्र सं०–रा०ले०/ले–2/215 (58)/5375. दिनांक 28-12-99 के साथ संलग्न अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजियाबाद के शिकायती पत्र दिनांक 13-12-99 की जांच करने एवं कृत जांच आख्या आरोप सहित उपलब्ध कराने के लिये जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के समस्त ग्रामों को जनपद गौतमबुद्ध नगर में सम्मिलित करने पर ग्राम फतेहपुर जादों को बुलन्दशहर जनपद में शामिल करने की मांग

20-श्री हरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे लाइन को सीमा रेखा मानकर जनपद बुलन्दशहर के दक्षिण दिशा के सभी ग्रामों को जनपद गौतमबुद्ध नगर में सम्मिलित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या फतेहपुर जादो ग्राम जो रेलवे लाइन के उत्तर दिशा में है, को बुलन्दशहर जनपद में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गांव को जनपद बुलन्दशहर में शामिल करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

क्योंकि ग्राम फतेहपुर जादों रेलवे लाइन के उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशा में अवस्थित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर खुर्जानगर की मण्डी भवन को शहर के बाहर निर्माण कराने की मांग

21-श्री हरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि खुर्जानगर (बुलन्दशहर) की मंडी प्रारम्भ से ही शहर के बीच में चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शहर के बाहर मंडी भवन को निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

जी हां।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। अधिग्रहण से संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दशहरा, रुकनपुर, जहांनपुर, ऊंचागांव की यू० पी० आई० डी० सी० द्वारा अधिग्रहीत भूमि का, किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग

22–श्री हरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दशहरा, रुकनपुर, जहांनपुर, ऊंचागांव, जनपद बुलन्दशहर के किसानों की जमीन यू० पी० आई० डी० सी० ने मात्र आठ रुपये गज पर जी० टी० रोड के सहारे अधिग्रहीत कर लिया है ? क्या सरकार शोषित किसानों की भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, गढ़वाल के सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में देहरादून के मूल निवासियों की जानकारी

23–स्वामी ओइमवेश–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् गढ़वाल सम्भाग देहरादून द्वारा मार्च, 1997 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी ? क्या उक्त नियुक्ति में देहरादून जनपद के मूल निवासियों की भी नियुक्ति की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नियुक्तियां मार्च, 97 में नहीं बल्कि जुलाई, 97 में की गयी थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

24–स्वामी ओइमवेश–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी, तहसील व परगना भोगांव, ग्राम मौजेपुर एवं भोगांव देहात में पुनः चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ कराने विषयक पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मौजेपुर एवं भोगांव देहात, परगना व तहसील, भौगाव जनपद मैनपुरी में पुनः चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं० सी० एम०/वि०को०/एम–38765/मैनपुरी/2000 दिनांक 24-1-2000 चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। प्रश्नगत ग्राम मौजेपुर एवं भोगांव देहात को पुनः चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लेने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर चकबन्दी अधिनियम में दिये गये

प्राविधानों के अनुसार द्वितीय चक्र की चकबंन्दी के योग्य पाये जाने की दशा में ही यथास्थिति आगे की कार्यवाही सम्भव होगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में पशु सेवा केन्द्र मिश्रौली अजीजपुर के निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं पशु चिकित्सक व कर्मचारियों की नियुक्तियों की मांग

26–श्री राम रतन यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में पशु सेवा केन्द्र, मिश्रौली अजीजपुर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त पशु चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त चिकित्सालय में कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान–

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में शासन द्वारा पदों के सृजन पर रोक लगाये जाने के कारण उक्त चिकित्सालय हेतु पदों का सृजन नहीं हो पाया है।

पद सृजन होने पर स्टाफ की नियुक्ति के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

जिला बलिया के कलेक्ट्रेट के अधिष्ठान में रिक्त पदों में रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण करने की जानकारी

27–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, बलिया में कनिष्ठ लिपिक के वे० मा०–3050–4590 में शासनादेश सं० 481/का–1–94–1-1-1994 दि० 29 मार्च, 1994 के तहत आरक्षण कोटे के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा इनके विरुद्ध कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार द्वारा रिक्त आरक्षित पदों को भरने हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

कलेक्ट्रेट अधिष्ठान बलिया में वेतनमान 3050—4590 में शासनादेश संख्या–1/1/94–का–1-94. दिनांक 29 मार्च, 1994 क्रम में दिनांक 1-1-94 से वर्तमान तक कुल 15 रिक्तियां हुईं, जिन्हें लागू रोस्टर के अनुसार भरा गया। पन्द्रह रिक्तियों के लिए रोस्टर के अनुसार 04 रिक्तियां अनुसूचित जाति के लिये व 04 रिक्तियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए थी जिन्हें भर लिया गया। वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया कलेक्ट्रेट में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति का औचित्य/दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

28–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्ट्रेट बलिया में अनु० जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के विरुद्ध अखिल भारतीय अनु० जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, शाखा बलिया का दि० 4-9-99 को प्रेषित पत्र जिलाधिकारी बलिया, मण्डलायुक्त, आजमगढ़, उ० प्र० राजस्व परिषद् व कार्मिक सचिव,

उ० प्र० शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त पत्र दिनांक 4-9-99 के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि रिक्त पदों पर 6 मृतक आश्रितों की नियुक्तियां की गयी हैं । यह नियुक्तियां परिषदादेश सं०–909/4-336/79, दिनांक 27-2-99 एवं परिषदादेश सं०–5056/4-21 बी/98, दिनांक 22-6-99 के क्रम में की गयी है तथा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–बलिया, कलेक्ट्रेट में मृतकाश्रित श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की आयु नियमावली के अन्तर्गत होने/न होने की जानकारी

29–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतकाश्रित भर्ती नियमावली, 1974 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 व अधिकतम 35 वर्ष का प्राविधान है ? यदि हां, तो कलेक्ट्रेट, जनपद–बलिया में मृतकाश्रित कर्मचारी के रूप में वर्ष 1999 में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति 45 वर्ष की आयु में की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली–1974 के प्राविधानों के अनुसार मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु न्यूनतम 18 वर्ष की आयु निर्धारित है, परन्तु अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

कलेक्ट्रेट बलिया में वर्ष 1999 में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति मृतकाश्रित के रूप में की गयी है । नियुक्ति के समय उनकी आयु 40 वर्ष थी ।

उक्त नियमावली में मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु केवल न्यूनतम आयु सीमा नियत है, अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । अतएव उक्त नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं हुई है और न ही कोई दोषी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्व विभाग में सेवा नियमावली के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों का विखण्डन कर मूल पदों पर पदावनत तथा राजस्व परिषद् के कर्मियों को पदावनत न करने का औचित्य

30–श्री रामवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व विभाग में स्थानापन्न रूप में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का अप्रैल, 1998 में विखण्डन सेवा नियमावली के अन्तर्गत उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया गया है किन्तु कुछ नायब तहसीलदार जो राजस्व परिषद् के आदेश से स्थानापन्न तहसीलदार हुये थे अभी स्थानापन्न तहसीलदार के रूप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे स्थानापन्न तहसीलदारों की संख्या कितनी है ? ऐसे स्थानापन्न तहसीलदारों की पदावनति के संबंध में दोहरा माप दंड अपनाये जाने का क्या कारण है ? क्या इन स्थानापन्न तहसीलदारों को उनके मूल पद पर पदावनत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । विखण्डन नियमावली लागू होने के पूर्व से प्रोन्नत एवं रिट याचिका संख्या 6500/92 में पारित मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 7-5-92 तथा अन्य न्यायिक आदेशों के अन्तर्गत कार्मिक स्थानापन्न रूप से तहसीलदार पद पर कार्यरत हैं ।

ऐसे स्थानापन्न तहसीलदारों की संख्या–44 है ।

ऐसे स्थानापन्न तहसीलदारों के संबंध में दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाया जा रहा है । विखण्डन नियमावली, 1991 के वाद के प्रोन्नत स्थानापन्न सभी तहसीलदारों की प्रोन्नति समाप्त की गयी है,परन्तु ऐसे स्थानापन्न तहसीलदार अभी भी कार्यरत हैं, जो मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अन्तर्गत प्रोन्नत किये गये थे या विखण्डन नियमावली, 1991 के पूर्व प्रोन्नति किये गये थे ।

जनपद उन्नाव, ब्लाक सुमेरपुर, ग्राम पंचायत मलौना के प्रधान का खाता बन्द किये जाने का आदेश/कृत कार्यवाही की जानकारी

31–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि ए० डी०-ओ०, आई० एस० बी० ब्लाक सुमेरपुर, जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 23-12-1999 को ग्राम पंचायत, मलौना के प्रधान का खाता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुय बैंक में बन्द करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या ए० डी० ओ०, आई० एस० बी० ब्लाक सुमेरपुर, उन्नाव के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक सुमेरपुर, ग्राम जपसरा में सांसद निधि व लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के लिए जिला पंचायत उन्नाव द्वारा एक-एक लाख रुपये देने का कारण, धन आहरण की शिकायत, कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांसद निधि से बनवाई गई सड़क द्वारा एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही सड़क ग्राम जपसरा, ब्लाक सुमेरपुर के निर्माण अवधि के दौरान जिला पंचायत उन्नाव द्वारा उक्त दोनों सड़कों पर क्रमशः एक-एक लाख रुपया खर्च होना दर्शाया गया है? यदि हां, तो ब्लाक प्रमुख, सुमेरपुर उन्नाव ने दि० 28-8-1999 को जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा अवैध तरीके से दर्शाये गये धन की शिकायत दिनांक 28-8-1999 को जिलाधिकारी, उन्नाव को लिखित रूप से की थी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्रीमती गौरी देवी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

34—श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं०–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकरनगर में ग्राम खानपुर की ग्राम पंचायत रोहनपारा, अम्बेडकर नगर की जारी अधिसूचना की जानकारी/अनियमितता की जांच व उसके परिणाम

35—श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खानपुर को ग्राम पंचायत रोहनपारा–अम्बेडकर नगर से काट कर ग्राम पंचायत कदरियावां में मिलाये जाने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो किसके आदेश से ब्लाक व जिला स्तर के कर्म०/अधि० द्वारा ग्राम–खानपुर के ग्राम पंचायत रोहनपारा-अम्बेडकर नगर से काट कर ग्राम पंचायत कदरियावां में जोड़ा गया है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराते हुये अनियमितता बरतने वाले कर्म०/अधि० के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और पुनः ग्राम खानपुर को पूर्ववत ग्राम पंचायत रोहनपारा में बने रहने के लिये आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां, पंचायती राज निदेशालय की अधिसूचना सं०–3/1153/99-3/291/99. दि० 29-5-99 द्वारा आदेश दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के स्तर से की गयी है । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में परगनाधिकारी अकबरपुर द्वारा ग्राम मुकेरीपुर की भूमि सं०–78 (ख) 2/2 पूर्वी भाग दिशा व स्थान परिवर्तन करने का आदेश व उसका पालन

36—श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर द्वारा ग्राम मुकेरीपुर की भूमि सं० 78 (ख) 2/2पूर्वी भाग दिशा व स्थान परिवर्तन के दिये गये आदेश दिनांक 6-5-94 को वर्तमान परगनाधिकारी, अकबरपुर ने दिनांक 21-3-98 को निरस्त करके तहसील के कायदा 23. के रजिस्टर में इन्द्राज करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

37–श्री मो० मुकीम–

[दिनांक 3-5-2000 को अता० प्र० सं०–185 द्वारा उत्तरित ।

38—श्री तेजभान सिंह–

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सीतापुर, महमूदाबाद की मेसर्स एस० एम० कोल्ड स्टोरेज में आलू के सड़ने से कृषकों को मुआवजा भुगतान किये जाने की मांग

39—श्री उदय राज यादव–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स एस० एस० कोल्ड स्टोरेज, महमूदाबाद, सीतापुर में वर्ष 1997 में कृषकों का भण्डारित आलू सड़ गया था ? क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रतिकर निर्धारण हेतु जिला उद्यान अधिकारी सीतापुर द्वारा 16 सितम्बर, 1998 तक आलू भण्डारण कर्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या कृषकों को उनके आलू के मुआवजे का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी शीतगृह सीतापुर के आदेश संख्या–उद्यान/5001/शीतगृह प्रतिकर/97/99–2000, दिनांक 6-3-2000 द्वारा रु० 62,25,118.00 का प्रतिकर निर्धारित कर 30 दिन के अन्दर भुगतान करने हेतु शीतगृह स्वामी को निर्देशित किया गया था। परन्तु शीतगृह स्वामी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी । याचिका न्यायालय में विचाराधीन है । प्रतिकर के भुगतान हेतु शासन द्वारा कठोर निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

जनपद हरदोई व अन्य जनपदों के भेड़ सहायकों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी/मानदेय अविलम्ब उपलब्ध कराने की मांग

40–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्रांक संख्या–1503/12-प-2-99-1(56)/96 टी० सी० दिनांक 31 मई, 1999 के अनुसार भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण विषयक जो सूची संलग्न की गयी है उसमें सूकर प्रजनन का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण लिखा गया है जिससे हरदोई जनपद सहित अन्य जनपदों के भेड़ सहायकों की मजदूरी का भुगतान फरवरी, 98 से नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में त्रुटि सुधार कर भेड़ सहायकों को मजदूरी का भुगतान अविलम्ब करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां ।

प्रश्नगत शासनादेश में हुई त्रुटि का सुधार शासनादेश सं०–3236/12-प–2-99-1(56)/96, टी० सी०, दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 द्वारा कर दिया गया है तथा इस शासनादेश में जनपद हरदोई के लिये आवंटित धनराशि से भेड़ सहायकों की मजदूरी/मानदेय का भुगतान फरवरी, 99 में 15 दिन का तथा मार्च, 99 से फरवरी, 2000 तक का दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक (सीधी भर्ती) सेवा संवर्ग में आरक्षण कोटा न पूर्ण करने के सम्बन्ध में जानकारी

41–श्री रामस्वरूप सिंह–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी विभाग में उप आबकारी निरीक्षक (सीधी भर्ती) सेवा संवर्ग में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा उक्त कोटा पूर्ण करने हेतु कोई सार्थक प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी नहीं।

सीधी भर्ती के पदों पर चयन की कार्यवाही न होने के कारण।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में संचालित मौन (मधुमक्खी) पालन की जानकारी तथा मौन की उन्नतिशील प्रजाति के संवर्धन हेतु केन्द्र स्थापित करने की जानकारी

42—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण लोगों को रोजगार दिलाये जाने हेतु उद्यान विभाग से संचालित मौन (मधुमक्खी) पालन कार्यक्रम जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में कितने विकास खण्डों में संचालित है ? मौन की उन्नतिशील प्रजाति के उत्पादन हेतु कितने केन्द्र सरकार द्वारा खोलने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव–

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के सभी विकास खण्डों में स्वरोजगार सृजन हेतु त्रिदिवसीय औद्यानिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत मौन पालन का प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम संचालित होता है।

जी नहीं। मौन की उन्नतिशील प्रजाति के संवर्धन का कार्य जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में स्थापित मौन पालन केन्द्र द्वारा किया जाता है।

जनपद फैजाबाद, कुमारगंज, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में बी० एस-सी० (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण पूर्ण किये जाने की मांग

43—श्री हीरा लाल गौतम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में बी० एस-सी० (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु कुल कितनी संख्या स्वीकृत हैं ? क्या वर्ष 1999 के प्रवेश परीक्षा में अनु० जा०/अनु० जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

स्वीकृत सीटों का संख्या–25 है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, तहसील मांट के राजस्व ग्रामों में बन्दोबस्त के पुनः भू-सर्वेक्षण हेतु भेजा गया प्रस्ताव/कृत कार्यवाही की जानकारी

44–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मांट जनपद मथुरा के 60 राजस्व ग्रामों का वर्ष 1922-23 ई० में बन्दोबस्त किया गया था ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, मथुरा ने भूमि विवादों को सही निस्तारित करने के लिए पुनः भू-सर्वेक्षण एवं अभिलेख का प्रस्ताव दिनांक 9-11-95 को राजस्व परिषद, लखनऊ को भेजा था ? क्या राजस्व परिषद् द्वारा अपनी संस्तुति सहित उक्त प्रस्ताव को दिनांक 12-10-99 को शासन के राजस्व अनुभाग–14 में उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह मगहे–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भूमि संरक्षण विभाग, बांदा में मैदानी इकाई द्वारा कार्यों की जांच सम्बन्धी पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-2000 जो भूमि संरक्षण विभाग बांदा में मैदानी इकाई द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द, ग्राम त्रिवेनी में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा मैदानी इकाई को स्वीकृत धनराशि/कार्यों का समय/फर्जी भुगतान की जानकारी

46–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम त्रिवेनी में बन्धी निर्माण हेतु भूमि संरक्षण विभाग बांदा द्वारा मैदानी इकाई को वर्ष 1999-2000 में कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? अवमुक्त धनराशि में से कितना निर्माण कार्य कराया गया ? कार्य सम्पादन में कुल कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बन्धीकरण के नाम पर ट्रैक्टरों द्वारा कार्य कराकर फर्जी नामों से बिल वाउचर बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में ग्राम त्रिवेनी में बंधी निर्माण हेतु भूमि संरक्षण विभाग द्वारा मैदानी इकाई को वर्ष 1999-2000 में धनराशि रु० 14.99.194.30 अवमुक्त की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द, ग्राम त्रिवेणी में 2 परियोजनाएं क्रमशः त्रिवेणी प्रथम, त्रिवेणी द्वितीय में क्रमशः 183.89 एवं 74.11 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 258.00 हे० में निर्माण कार्य कराया गया तथा उपलब्ध धनराशि रु० 14.99.194.30 का शत प्रतिशत उपयोग कर लिया गया ।

सम्पादन कार्य में कुल 26249 मानव दिवस सृजित किये गये ।

ऐसी सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण विभाग, बांदा में मैदानी इकाई द्वारा कार्यों में अनियमितता की जांच आख्या उपलब्ध कराने की मांग

47–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आयुक्त, चित्रकूट धाम, मण्डल बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-2000 जो भूमि संरक्षण विभाग बांदा में मैदानी इकाई द्वारा कराये जा रहे ट्रैक्टरों से कार्य पर रोक लगाकर मजदूरों से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

यद्यपि मा० सदस्य विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक 8-4-2000 द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने भूमि संरक्षण विभाग, बांदा के निष्पादित कार्यों का विस्तृत निरीक्षण कर लिया है तथा भूमि संरक्षण का कार्य अच्छा पाया है, किन्तु फिर भी कृषि निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं कि शिकायतों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर जांच आख्या, शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम मवई बुजुर्ग में भूमि संरक्षण विभाग मैदानी इकाई को स्वीकृत धनराशि

48–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि जनपद–बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम मवई बुजुर्ग में बन्धी निर्माण हेतु भूमि संरक्षण विभाग मैदानी इकाई बांदा को वर्ष 1999-2000 में कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? अवमुक्त धनराशि से कितना निर्माण कार्य कराया गया ? कार्य सम्पादन में कुल कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बन्धीकरण के नाम पर ट्रैक्टरों द्वारा पुरानी बन्धियों की दरेशी कराकर फर्जी बिल वाउचर बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तों क्या उक्त की जांच कराकर दोषी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम मवई बुजुर्ग में बंधी निर्माण हेतु भूमि संरक्षण विभाग मैदानी इकाई बांदा के लिए वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु० 21.04.713.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

अवमुक्त धनराशि में से विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम मवई बुजुर्ग में 4 परियोजनाओं क्रमशः मवई बुजुर्ग–प्रथम, मवई बुजुर्ग–द्वितीय, मवई बुजुर्ग–तृतीय, मवई बुजुर्ग–चतुर्थ में क्रमशः 119.71 हे०, 100.68 हे०, 105.52 हे० तथा 76.74 हे० इस प्रकार कुल 402.75 हे० में निर्माण कार्य कराया गया ।

सम्पादन कार्यों में 29344 मानव दिवस सृजित किये गये हैं ।

इसकी सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद औरैया, तहसील विधूना, ग्राम हाजीपुर से भटौली ग्राम के आम रास्ते के अतिक्रमण को हटाने की मांग

49–श्री राम औनार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम–हाजीपुर, मौजा–भटौली, परगना व तहसील–विधूना, जनपद–औरैया में भटौली से उक्त ग्राम के लिए आम रास्ते में शिवरत्न सिंह पाल ने नींव भरकर अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त अतिक्रमण को हटवाकर रास्ता साफ करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

उक्त अतिक्रमण को दिनांक 12-4-2000 को हटवा दिया गया है और आम रास्ते को उनके अतिक्रमण से अवमुक्त करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

50–श्री रमेश राही–

[दिनांक 30-3-2000 को अतारां० प्र० सं०–117 द्वारा उत्तरित।

उत्तर प्रदेश राजकीय उप कोषागार के संग्रह तहसीलदारों का पदनाम एवं वेतन संशोधन करने हेतु मांग

51—श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि महामंत्री, उ० प्र० राजकीय उप कोषागार संग्रह कैश कर्मचारी संघ ने संग्रह तहसीलदारों का पदनाम एवं वेतन संशोधन हेतु कोई वर्ष 1999 में ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? क्या सरकार संग्रह तहसीलदारों का पदनाम एवं वेतन संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

महामंत्री, उ० प्र० राजकीय उप कोषागार संग्रह कैश कर्मचारी संघ का ज्ञापन दिनांक 24-6-99 एवं 25-12-99 संग्रह तहसीलदारों का पदनाम एवं वेतन संशोधन के संबंध में प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में दर्शायी गयी मांगें निम्नवत् हैं :—

1—संग्रह तहसीलदारों को कोषागार एवं उप कोषागार की कैश शाखा में वरिष्ठता के आधार पर विलय करके नियुक्ति की जाये।

2—संग्रह तहसीलदारों का पदनाम उप रोकड़िया किया जाये जिससे शासन के निर्देशानुसार पद से पद की समानता का सिद्धान्त लागू किया जा सके।

3—दिनांक 1-4-87 से वेतनमान रु० 354–550 के स्थान पर रु० 430–685 तथा नया वेतनमान दिया जाये तथा समान प्रोन्नति के अवसर प्रदान किया जाये।

4—संग्रह तहसीलदार को वेतन लेखाशीर्षक 2029–भू-राजस्व के स्थान पर लेखा शीर्षक 2054 हो।

5—कम अवकाश के बदले 15 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाये एवं वह भी सुविधाएं दी जायें जो कोषागार, उपकोषागार, कैश शाखा के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है।

संग्रह तहसीलदार का पदनाम एवं वेतन संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है । शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

52—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

53—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 10-4-2000 को अता० प्र० सं०–141 द्वारा उत्तरित]

जिला प्रतापगढ़ मण्डी परिषद् द्वारा मांगों की स्वीकृति विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

54—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी परिषद द्वारा मांगों की स्वीकृति विषयक मुख्य मंत्री के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–1/23014/प्रतापगढ़/99. दिनांक 5-5-99 एवं पत्र संख्या–23844/प्रतापगढ़/99. दिनांक 27-5-99 तथा पत्र संख्या–25349/प्रतापगढ़/99. दिनांक 16-7-99 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से प्रस्ताव मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 6-4-2000 को अता० प्र० सं०–94 द्वारा उत्तरित]

कुमायूं स्थित विशाल किले की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु पुरातत्व विभाग को सौंपने की मांग

56—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चम्पावत तहसील परिसर जो कि कुमायूं स्थित विशाल किले के अन्तर्गत आता है, की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु उक्त किले का रख-रखाव पुरातत्व विभाग को सौंपने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा, ग्राम बिशुनपुर मटियारा से सम्बन्धित मुकदमा सं०–3/10/55 में जुर्माने व बेदखली की कार्यवाही की जानकारी

57—श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा के उप जिलाधिकारी के न्यायालय में ग्राम बिशुनपुर मटियारा से सम्बन्धित मुकदमा गांव सभा बनाम सुरेन्द्र (मुकदमा नं० 3/10/55) व गांव सभा बनाम नान्हू का फैसला दिनांक 7-6-1999 जिसमें क्रमशः जुर्माना रु० 2400 व बेदखली तथा दूसरे में जुर्माना रु० 4000 व बेदखली का आदेश बाजार की जमीन नम्बर 426 (धारा 132 की जमीन) पर हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

दोनों व्यक्तियों को हटा दिया गया है तथा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत में काली नदी में मत्स्य पालन की सम्भावनाओं हेतु सर्वेक्षण/जानकारी

58. श्री कुण्डा चन्द पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत से गुजरने वाली काली नदी में मत्स्य पालन की काफी सम्भावनायें हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देने तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु उक्त नदी के धारचूला जौल जीवी झूला घाट व पंचेश्वर में मत्स्य पालन केन्द्र खोले जाने हेतु सर्वेक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

मत्स्य पालन की सम्भावनाएं नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बहते हुए पानी में मत्स्य पालन कार्य आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी है।

जनपद आजमगढ़ की तहसीलों में सामयिक संग्रह अमीन/चपरासी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

59. श्री राम प्यारे सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आजमगढ़ के विभिन्न तहसीलों में सामयिक संग्रह अमीन एवं सा०स० चपरासी के कुल कितने स्थायी पद इस समय रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद आजमगढ़ के किसी भी तहसील में सामयिक संग्रह अमीन व सामयिक संग्रह चपरासी का स्थायी पद न तो स्वीकृत है, और न तो रिक्त है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों के रिक्त पदों की जानकारी

60. श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों के कितने स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों को नामित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों का कोई स्थान रिक्त नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई करने की मांग

61—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में कितने कर्मचारी इस समय अस्थाई रूप से कार्यरत हैं ? क्या सरकार अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 663 कर्मचारी अस्थायी रूप से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि पद स्थायी नहीं हैं । अतः कर्मचारियों को अभी स्थायी किया जाना सम्भव नहीं है ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

62—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में इस समय चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

1135 श्रमिक दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय–13 में सभी नियुक्तियां समाचार-पत्रों में विज्ञापित करके चयन समिति की संस्तुति पर मेरिट के आधार पर किये जाने का प्राविधान है । उक्त श्रमिकों को विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय–13 में नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । इन श्रमिकों की नियुक्तियां किसी रिक्त पद के विरुद्ध नहीं की गयी हैं । चूंकि ये श्रमिक बिना पद के आकस्मिक व्यय के अन्तर्गत रखे गये हैं । अतः उक्त दैनिक श्रमिकों को नियमित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी कार्य आरम्भ करने की सरकारी नीति की जानकारी

63—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी कार्य को क्या पर्वतीय क्षेत्र में भी आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्तमान समय में उत्तरांचल के जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून व चम्पावत में चकबन्दी क्रियायें प्रचलित हैं । जनपद देहरादून के सभी ग्रामों को चकबन्दी क्रियाओं से जन विरोध होने

के कारण पृथक किया जा रहा है । अन्य जनपदों जिनमें चकबन्दी क्रियायें प्रचलित हैं उनमें भी जन विरोध के कारण चकबन्दी प्रक्रियायें सुचारु रूप से नहीं चल पा रही हैं इसलिये फिलहाल निकट भविष्य में पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों को चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व वसूली हेतु संग्रह अमीनों की स्थाई नियुक्ति की मांग

64—श्री कृष्ण चन्द्र घुनेठा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व वसूली हेतु नियुक्ति संग्रह अमीनों की सेवा अवधि निश्चित न होने से राजस्व संग्रह के कार्य में रुचि नहीं लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व वसूली में तेजी लाये जाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में वसूली कार्य पुनः पटवारियों को सौंपे जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राजस्व वसूली हेतु उ० प्र० संग्रह मैनुअल के चैप्टर चार के नियम–19 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत मण्डलायुक्त द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये सीजनल संग्रह अमीन के पद स्वीकृत किये जाते हैं तथा उस निश्चित अवधि में सीजनल संग्रह अमीनों द्वारा संग्रह कार्य कराया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित मानक के आधार पर वसूली कार्य करते हैं । अतः संग्रह कार्य में रुचि न लेने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग में प्लान्ट आपरेटर के पद व वेतनमान तथा प्लान्ट आपरेटर बीज विधायन संयंत्र के पद व वेतनमान के तुलनात्मक अन्तर की जानकारी

65–श्री अब्दुल कलाम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग दिसम्बर, 1974 के पूर्व कृषि निदेशालय के ही अधीन कार्यरत थें ? क्या यह सही हैं कि कृषि विभाग में प्लान्ट आपरेटर बीज विधायन संयंत्रक को चतुर्थ श्रेणी का पद व वेतन दिया जा रहा है जबकि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में प्लान्ट आपरेटर बीज विधायन संयंत्रक को वर्ग–3 का पद व वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कृषि विभाग के प्लान्ट आपरेटर बीज विधायन संयंत्रक को वर्ग–3 का पद एवं वेतनमान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

कृषि विभाग में प्लान्ट आपरेटर के पद रु० 775–1025 के वेतनमान में स्वीकृत हैं । इन पदों पर भर्ती की शैक्षिक योग्यता एवं सेवा शर्तें भी चतुर्थ श्रेणी की हैं । उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने बीज विधायन केन्द्रों पर प्लान्ट आपरेटर का पद स्वीकृत नहीं है ।

प्लान्ट आपरेट बीज विधायन संयंत्र का पद उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह "घ" सेवा नियमावली–1984 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी का पद है ।

अतः वर्ग–3 का पद एवं वेतनमान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुकूल न होने के कारण

बहराइच बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी कार्यालय के चकबन्दी कर्ता स्व० श्री अवध नरायन सिंह की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त समस्त देयों के भुगतानों की मांग

66–श्री राम रतन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय, बहराइच के अधीनस्थ कार्यरत चकबन्दीकर्ता स्वर्गीय श्री अवध नरायन सिंह की मृत्यु वर्ष 1978 में हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा श्रीमती बिन्नो देवी, निवासी ग्राम–राजीपुर, पोस्ट बेलाही, तहसील लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर को उनके पति के समस्त अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 1978 से आज तक के लम्बित समस्त देयों का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चकबन्दीकर्ता श्री अवध नरायन सिंह की मृत्यु दिनांक 28-10-79 को हुई थी ।

श्रीमती विन्नो द्वारा वारिस प्रमाण-पत्र तथा पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है । लम्बित भुगतानों में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नियमानुसार देय नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोण्डा, तहसील करनैलगंज, पोस्ट कटुआ नाला, ग्राम झौनहा के खाता संख्या–425 पर पूर्व प्रधान व लेखपाल द्वारा पट्टा किये जाने का मामला

67–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम झौनहा पोस्ट कटुआ नाला, तहसील करनैलगंज, जिला गोण्डा के खाता संख्या 425 पर बने मकान को पूर्व ग्राम प्रधान तथा लेखपाल द्वारा वर्ष 1993-94 में पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त पट्टे को निरस्त करते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

वर्ष 1993-94 में प्रधान एवं लेखपाल द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कोई पट्टा नहीं किया गया है अतएव पट्टे को निरस्त करने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, तहसील करनैलगंज, ग्राम सभा झौनहा की जमीन पर कब्जा देने की मांग

68–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा झौनहा, तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा की जमीन जिसका पट्टा राम बहादुर सिंह आदि को किया गया था, क्या 10 वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने पर भी अभी तक उसका कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री राम बहादुर सिंह आदि को ग्राम झनिहा, तहसील कर्नलगंज, जनपद गोण्डा में स्थित भूमि गाटा सं०–855 मि० पर सीलिंग भूमि का पट्टा दिनांक 30-3-92 को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत पट्टा दिनांक 30-3-92 के क्रम में आवंटी को कब्जा दिला दिया गया था जैसा कि खसरा 1399 फ०-1400 फ०–1401–1404 फ० से स्पष्ट है। आवंटी द्वारा उस पर खेती भी की जा रही है। तत्पश्चात् आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के न्यायालय में आवंटन आदेश दिनांक 30-3-92 के विरुद्ध अ० जो० सी० आ० अधि० की धारा 27 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान न्यायालय अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने दिनांक 6-4-96 को यथास्थिति कायम रखने हेतु आदेश पारित किये गये हैं।

मा० न्यायालय के निर्णय के अनुसार कब्जा दिलाये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी, ब्लाक चोलापुर, ग्राम सभा रौनाखुर्द की आराजी नम्बर 571/2 रकबा 29 डिस्मिल, देव स्थान की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

69–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रौना खुर्द ब्लाक चोलापुर, जिला–वाराणसी की आराजी नम्बर 571/2 रकबा 29 डिस्मिल देव स्थान की जमीन है ? यदि हां, तो इस पर किसका कब्जा है ? क्या अवैध कब्जेदार से अनधिकृत कब्जा सरकार हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी, हां।

प्रश्नगत आराजी में एक पक्का कूप, एक सती माई का चबूतरा, एक शिव मंदिर तथा चार पेड़ कटहल व 5 पेड़ आम के हैं। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि सार्वजनिक है।

जिला वाराणसी, ब्लाक चोलापुर, ग्राम सभा रौना खुर्द आराजी नम्बर 546 क, 546 च, आ० नं० 1879 रकबा 751 रकबा 29 डिस्मिल आदि नम्बरों पर गांव समाज की बंजर भूमि दर्ज किये जाने में अनियमितता की जांच व कार्यवाही की मांग

70–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रौना खुर्द ब्लाक चोलापुर, जिला–वाराणसी की आराजी नम्बर 546क, 546च, आराजी नम्बर 1879 रकबा दीगर आराजी नम्बर 751 रकबा 29 डिस्मिल आराजी नम्बर 248 रकबा 2 एकड़ 36 डिस्मिल गांव समाज की बन्जर भूमि है? क्या यह सही है कि उक्त जमीन को हल्का लेखपाल और रौना खुर्द के प्रधान द्वारा बगैर भूमि प्रबन्ध समिति के बिना अनुमोदन के अपात्र लोगों को दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम रौनाखुर्द, ब्लाक चोलापुर, वाराणसी के आराजी नं० 546 क, रकबा 0-081 हेक्टेयर शंकर पुत्र रामदेव आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर के नाम अंकित है। आ० नं० 546 च रकबा 0-263 हेक्टेयर कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। आ० नं० 751 रकबा 0.255 हेक्टेयर श्याम बहादुर पुत्र

रामसागर आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आ० नं० 249 रकबा 0-947 हेक्टेयर नाला के रूप में अंकित है। ग्राम का अन्तिम गाटा सं० 1370 है। इस प्रकार गाटा सं० 1879 ग्राम में स्थित नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत 5 में से कोई भी आराजी नं० बंजर के खाते में अंकित नहीं है।

प्रश्नगत भूखण्डों का कोई भी आवंटन किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला देवरिया, परगना शाहजहांपुर, तप्पा पटना, बुद्धू खां के अन्दर बने पुस्तैनी रास्ते, नाबदानों, बरसाती पानी की निकासी के संबंध में दिये गये पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

71–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम देवरिया बुद्धु खां, तप्पा, पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के अन्दर जाने वाले पुस्तैनी रास्तों व बरसाती तथा नाबदानों के पानी के निकास मार्गों, ग्राम के अगल-बगल की पोखरियों व ग्राम से सटे उत्तर में निकली खड़ण्जा रोड के बगल में पूर्व में निकली गूल जो बरसाती पानी के निकास का भी रास्ता था, पर अनाधिकृत ढंग से कब्जा कर लेने के कारण ग्रामवासियों को ग्राम के अन्दर सवारियों को ले जाने, नाबदानों व बरसाती पानी के निकास मार्गों के अवरोधित हो जाने के कारण पूरे ग्राम में जगह-जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गयी है ? क्या इस कारण वहां विभिन्न संक्रामक रोग फैलते रहते हैं ? इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी देवरिया के कार्यालय से परगनाधिकारी, देवरिया को भेजे गये पत्र संख्या–9612. दिनांक 25-8-99 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

फिरोजाबाद क्षेत्र पंचायत में जिला स्तर पर एस० आर० वाई० से प्राप्त धन तथा विकास कार्यों पर व्यय की जानकारी

72–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद को वर्ष 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में जिला स्तर पर एस०आर०वाई० से 15 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रदत्त की गयी थी ? यदि हां, तो वह धनराशि किन-किन विकास कार्यों पर व्यय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में रिक्त आरक्षित पद पर पदोन्नति में अनियमितताएं तथा कार्यवाही की मांग

73—श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में रिक्त आरक्षित पद, सहायक लेखाधिकारी को सम्परीक्षा अधिकारी में परिवर्तित करके उस पर सामान्य श्रेणी के कनिष्ठ अभ्यर्थी को पदोन्नति करने की संस्तुति वर्ष 1999-2000 में बिना शासन की अनुमति के की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सहायक लेखाधिकारी के एक अनारक्षित रिक्त पद को सम्परीक्षा अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने का कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद का निर्णय प्रबन्ध परिषद् द्वारा लिया गया है जिस पर शासन द्वारा विचार कर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

शासन द्वारा संबंधित ऐक्ट के प्राविधान/सेवा नियमावली के अनुसार औचित्य स्थापित होने पर नियुक्ति की अनुमति देने पर विचार किया जा सकेगा ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद, परगना, जहूराबाद, ग्राम बरेली के चक मार्ग को सीमांकित करके मानचित्र में बनाये जाने की शिकायत तथा उसे ठीक किये जाने की मांग

74—श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरेली, परगना जहूराबाद, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के उत्तर की ओर तीन लट्ठे चौड़ा चक मार्ग को बिना किसी प्रार्थना-पत्र व आदेश के अनियमित व अवैध सीमांकन करके बनवा दिया है ? क्या ग्राम मानचित्र में एक लट्ठा चौड़ा चक मार्ग प्रदत्त है ? क्या इस सम्बन्ध में सुश्री कुसुम श्रीवास्तव द्वारा सचिव व आयुक्त, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी एवं जनपद के विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों को शिकायती-पत्र दिनांक 14-6-1993, 16-11-1993, 29-5-1993, 23-6-1993 और 8-7-1993 को क्रमशः भेजे गये हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त चक मार्ग की चौड़ाई एक लट्ठा जैसा कि मानचित्र में प्रदत्त है, के अनुसार बनवायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया की ग्राम पंचायत परवरपारर तथा वेलवा की ग्राम समाज के भूखण्डों से अवैध कब्जा हटवाने विषयक श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव का पत्र, जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

75—श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम परवरपारर, तप्पा वेलवा की ग्राम समाज के भूखण्ड संख्या–164, 266, मि० 296, 443, 495/662, 501, 530, 548, .661 एवं 614 पर से अवैध कब्जा हटवाने विषयक श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, 64 रिकाबगंज, नियावां रोड, फैजाबाद का पत्र दिनांक 11-6-96 प्रमुख सचिव, राजस्व, जिसको जिलाधिकारी, बस्ती ने पत्रांक–1257/नि०नं०/दिनांक 17-6-96 मुख्य राजस्व अधिकारी बस्ती को भेजा है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद, विकास खण्ड हण्डिया में गाटा सं० 934 भूमि से अवैध पट्टा निरस्त करके सुरक्षित किये जाने की मांग

76—श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेल मंत्री का पत्र दिनांक 3-12-1999 जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद ने उप जिलाधिकारी, हण्डिया को पट्टा शर्तों के अधीन निरस्त करके खाली कराने का आदेश दिनांक 19-1-2000 के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उप जिलाधिकारी ने उपरोक्त पट्टेदारों से पट्टा निरस्त करके गाटा संख्या–934 को सुरक्षित करवा दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हण्डिया, ग्राम हमीरपुर पट्टी के ग्राम समाज के भूखण्ड–474 तथा भूखण्ड संख्या–762 पर से अतिक्रमण हटवाने की मांग

77—श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरीपुर पट्टी, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के ग्राम समाज के भूखण्ड संख्या–474 पर पम्पिंग सेट बनाकर तथा भूखण्ड संख्या–762 पर छप्पर रखकर धर्मराज व राजराज आदि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार 3/4 भूमि क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उपरोक्त लोगों से ग्राम समाज की सम्पत्ति सुरक्षित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला हरदोई, तहसील सण्डीला, ब्लाक बेहंदर, ग्राम सराय मारूफपुर तथा बधुवामऊ बहलालपुर में कब्रिस्तान की भूमि को अभिलेखों में दर्ज किये जाने की मांग

78—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बधुवामऊ बहलालपुर तथा ग्राम सराय मारूफपुर, ब्लाक बेहन्दर, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में कब्रिस्तान हेतु छोड़ी गयी जमीन को राजस्व अभिलेखों में शासनादेशों के अनुसार सुरक्षित दर्ज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों की कब्रिस्तान की जमीन को अभिलेखों में कब तक सुरक्षित करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में कृषि रक्षा इकाइयों पर कीट नाशक दवाओं का मनमाना मूल्य लेने की शिकायत

79—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि रक्षा इकाइयों पर कीट नाशक दवाओं तथा कृषि सुरक्षा से सम्बन्धित दवाओं की मूल्य सूची उपलब्ध न होने के कारण किसानों को सरकार द्वारा दवाओं पर दिये गये अनुदान की जानकारी न

होने से उनसे मनमाना मूल्य लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के हित में कीटनाशक रसायनों की मूल्य एवं अनुदान सूची उपलब्ध कराये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

आरोप सत्य नहीं है ।

विभागीय व्यवस्था वर्तमान में है ।

कृषि रक्षा इकाइयों पर कीट नाशक दवाओं तथा कृषि सुरक्षा से संबंधित दवाओं की मूल्य सूची कृषि रक्षा अधिकारी, हरदोई के स्तर से (यथा पत्रांक 289/कृ०र०/भण्डार/98-99, दिनांक 24-8-98 द्वारा) समस्त कृषि रक्षा इकाइयों के प्रभारियों को रेट बोर्ड तथा भण्डार पंजिका में अंकित कर देने के निर्देश दिये गये हैं । दवाओं पर दिये गये अनुदान की जानकारी समय-समय पर जिला मुख्यालय, विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खरीफ/रबी गोष्ठियों में कृषि रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को करा दी जाती है ।

उप निदेशक, मत्स्य, लखनऊ द्वारा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच/स्थानान्तरण के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

80—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, मत्स्य, लखनऊ के द्वारा विभाग में की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच कराकर उनका स्थानान्तरण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/ एम–2/29041/मथुरा/99, दिनांक 20-12-1999 प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य एवं पशुधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां । संदर्भित पत्र में की गयी शिकायतों की जांच कराये जाने पर शिकायतें निराधार पायी गयी ।

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद की मण्डी समिति के विभिन्न मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन तथा अधूरे कार्य को पूरा कराने की मांग

81—श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी समिति फतेहाबाद में कचौरा मार्ग से भदौरा नागर, आगरा, फतेहाबाद से जगराजपुर तथा मण्डी समिति शमसाबाद में मैनपुरा से कुतुबपुर (रोहई) व शमसाबाद बाई पास मार्ग के निर्माण की 31-8-1996 में स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मण्डी समितियों के अधूरे पड़े उक्त मार्गों को पूर्ण रूप से क्या चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, प्रश्नगत स्वीकृति दिनांक 26-8-1996 को दी गयी थी ।

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 समाप्त हो चुका है ।

जनपद उन्नाव की उप इकाई असोहा, गोमती की नवम्बर, 1996 से लगभग पांच करोड़ की 97 माप पुस्तिकाओं के गायब होने का मामला तथा कार्यवाही की जानकारी

82–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की उप इकाई असोहा, गोमती की नवम्बर, 1996 से लगभग पांच करोड़ की 97 माप पुस्तिकाओं के गायब होने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रत्येक जनपद में एक विकास खण्ड को आदर्श विकास खण्ड के रूप में विकसित करने की योजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई में चुने गये विकास खण्ड की जानकारी

83—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उपज दूना करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक विकास खण्ड को आदर्श विकास खण्ड के रूप में विकसित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना में हरदोई जनपद के किस विकास खण्ड को चुना गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।

मल्लावां ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज, परगना जामो, ग्राम गौगमऊ में सुन्दरा बेवा राम आसरे को मृत घोषित दर्शाकर भूमि की हेरा फेरी की शिकायत तथा कार्यवाही की मांग

84–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित सुन्दरा, बेवा राम आसरे, ग्राम–गौगमऊ परगना–जामो, तहसील–गौरीगंज सुल्तानपुर का फैक्स दिनांक 19-2-2000 जो प्रार्थिनी को मृतक घोषित कर भूमि अपने नाम कराकर कब्जा कर फर्जी मुकदमें चलाने व तहसील कर्मी तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से अभिलेखों में हेराफेरी करने की शिकायत से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सन्त कबीर नगर में फसल में रोगों की रोकथाम हेतु कृषि रक्षा इकाई केन्द्र पर दवा उपलब्ध न होने की जानकारी तथा उपलब्ध कराने की मांग

85—श्री अब्दुल कलाम–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद–सन्त कबीर नगर में इस समय फसल में कई किस्म के रोगों की रोकथाम हेतु कृषि रक्षा इकाई केन्द्र पर कोई भी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि रक्षा इकाई पर उक्त दवा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं। जनपद सन्त कबीर नगर में स्थित कृषि रक्षा इकाई केन्द्रों पर उपलब्ध दवाइयों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 107 पर)

जनपद सन्त कबीर नगर, तहसील खलीलाबाद के ग्राम करमाजान, विकास खण्ड सेमरियावां में रज्जाक द्वारा अवैध ढंग से बाउण्ड्री लगाकर कब्जा करने की शिकायत तथा खाली कराने की मांग

86—श्री अब्दुल कलाम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सन्त कबीर नगर, तहसील–खलीलाबाद के ग्राम करमा खान, वि० खण्ड सेमरियांवा में खलिहान एवं चक रोड पर रज्जाक ने अवैध ढंग से बाउन्ड्री लगाकर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को खाली करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला शाहजहांपुर, तहसील तिलहर, ग्राम खूबपुर में बाढ़ पीड़ितों को गृह अनुदान के देने में अनियमितता की जांच/कृत कार्यवाही की मांग

87—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-4-98 जो ग्राम खूबपुर, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में वितरित अनुदान की जांच के एवं छूटे हुए बाढ़ पीड़ितों को गृह अनुदान देने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि दि० 19-4-1998 को उक्त पत्र पर प्रमुख सचिव, राजस्व एवं अभाव को जांच के लिए आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद गाजीपुर, तहसील जखनियां, ग्राम जलालाबाद में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग

88—श्री विजय कुमार–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–जलालाबाद तहसील जखनिया, जनपद–गाजीपुर की चकबन्दी वर्ष 1982 में आरम्भ की गयी थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चकबन्दी प्रक्रिया को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

उक्त ग्राम की समस्त चकबन्दी प्रक्रियायें 31-3-2002 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र तथा तहसील बिलग्राम में उ० प्र० भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित विश्व बैंक पोषित ऊसर सुधार परियोजना द्वारा ग्रामों के चयन तथा इसे लागू करने की मांग

89—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में तथा तहसील बिलग्राम में उ०प्र० भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित विश्व बैंक पोषित ऊसर सुधार परियोजना द्वारा कितने ग्रामों का चयन किया गया है ? इस परियोजना द्वारा क्या- क्या कार्य संचालित होना प्रस्तावित है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के द्वारा संचालित्त विश्व बैंक वित्त पोषित ऊसर सुधार परियोजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में तथा तहसील बिलग्राम में ऊसर सुधार हेतु कुल 16 ग्रामों यथा नवादापारस, बखौरा, चिरिया, भवानीपुर, नसीरपुर, बराना, पूखावां, हरवल, नया गांव, बांसा, खदेरिया, मझगवां, शिजना, चंदौली, शुक्लापुर भगत, दौलतयार, रूईयां का चयन किया गया है ।

चयनित ग्रामों में परियोजनान्तर्गत प्रक्षेत्र विकास, मृदा सुधारकों के प्रयोग, कृषि उत्पादन कार्यक्रम, हरी खाद का प्रयोग, सहभागिता कार्यक्रम एवं तकनीकी प्रचार प्रसार के माध्यम से ऊसर सुधार के समस्त कार्यक्रम किये जाने प्रस्तावित हैं ।

जनपद आजमगढ़, पो० कौड़िया, ग्राम बांसी जाप्ती माफी में श्री भोलई राम द्वारा इन्नीताल मत्स्य स्थान धन्धारी जलालपुर में मत्स्य निगम के पोखरी पर घास लगाने का ठेका, धनराशि के भुगतान की मांग

90—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोलई राम ग्राम वांसी जाप्ती माफी, पो० कौड़िया, आजमगढ़ द्वारा इन्नीताल मत्स्य स्थान धन्धारी जलालपुर में मत्स्य निगम के पोखरी पर घास लगाने का ठेका 2 रु० प्रतिवर्ग मीटर की दर से लिया गया था ? यदि हां, तो इनके द्वारा कुल कितने वर्ग मीटर घास लगायी गयी है ? अब तक कितना भुगतान किया गया तथा कितना भुगतान करना अभी शेष है ? शेष भुगतान अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला उन्नाव, तहसील सफीपुर, ग्राम व पोस्ट ऊगू के ग्राम पटियारा, मौजा सूसूमऊ स्थित चक–1644 में अवैध ढंग से बनाये गये मकान तथा उसके हटवाने की मांग

91–श्री अतुल कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम व पोस्ट–ऊगू तहसील सफीपुर, जिला–उन्नाव के ग्राम–पटियारा, मौजा–सूसूमऊ, तहसील–सफीपुर में स्थित चक संख्या 1644 में व उसके आगे के रास्ते

में श्री कन्हई निवासी–ग्राम–पटियारा मौजा–सूसूमऊ तहसील–सफीपुर द्वारा अवैध ढंग से मकान बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–पटियारा मजरा सूसूमऊ, तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव में स्थित गाटा संख्या 1644 श्री श्रीराम पुत्र शिव नारायण नि० ऊगू के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । उसके आगे स्थित रास्ता गाटा संख्या 1608 पर श्री कन्हई पुत्र धनीराम नि० पटियारा द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है ।

गाटा संख्या 1608 (रास्ता) पर श्री कन्हई पुत्र धनीराम नि० पटियारा द्वारा कराये गये अवैध निर्माण को हटाने हेतु ज० वि० एवं भू० व्य० अधि० की धारा 122 बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार सफीपुर के न्यायालय में चल रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में देशी एवं विदेशी शराब विक्रेताओं द्वारा मनमाने दामों से बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु तथा विक्रय मूल्य में एकरूपता लाने के लिये बोतलें तथा पाउचों पर मूल्य अंकित करने की मांग

92–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में देशी एवं विदेशी शराब विक्रेताओं द्वारा मनमाने दामों पर शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु क्या सरकार विक्रय मूल्य में एकरूपता लाने के लिए देशी एवं विदेशी शराब की बोतलों तथा प्लास्टिक के पैकटों (पाउच) पर विक्रय मूल्य अंकित कराये जाने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

प्रदेश में देशी एवं विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु दुकानों का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश आबकारी (लाइसेंस एवं टेण्डर) नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार सार्वजनिक रूप से नीलामी द्वारा किया जाता है इसलिये लाइसेंस फीस में एकरूपता नहीं रहती है । अतः बोतलों तथा प्लास्टिक पैकेटों में विक्रय मूल्य अंकित किया जाना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात से सेवानिवृत्त श्री जय नारायण पाण्डेय चकबन्दीकर्ता पेंशन दिये जाने की मांग

93–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री जय नारायण पाण्डेय चकबन्दीकर्ता जनपद कानपुर देहात से 31-1-87 को सेवा निवृत्त हुए थे और उन्हें अन्तरिम पेंशन 155/- रु० प्रतिमाह नवम्बर 87 तक प्राप्त हुई ? क्या अब उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? पेंशन कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री जय नारायण पाण्डेय दिनांक 31-1-87 को सेवा निवृत्त हुए थे और उन्हें नवम्बर, 89 तक रु० 155/- प्रतिमाह की दर से अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जा चुका है ।

श्री पाण्डेय को स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का भुगतान सम्बन्धित लिपिक की असावधानी से नहीं हो सका जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। माह मई, 2000 तक भुगतान कर दिया जायेगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ, तहसील घोसी, ग्राम सिकरौर के गाटा सं०–155 रकबा 080 कड़ी भूमि परगनाधिकारी, घोसी द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम आवंटित भूमि पुनः अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित करने का मामला तथा अवैध कब्जा हटवाने की मांग

94–श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–सिकरौर तहसील–घोसी, जनपद मऊ के गाटा सं०–155 रकबा 080 कड़ी भूमि परगनाधिकारी, घोसी द्वारा दिनांक 2-7-1985 को अनुसूचित जाति के श्री देव नारायण के नाम से आवास हेतु आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त आवंटी के कब्जे की भूमि को ही तहसील के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उक्त ग्राम के अनुसूचित जाति के श्री केदार, श्री सुन्नर व श्री प्रह्लाद को माह जून, 1999 में कब्जा करा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कब्जा हटवाने से संबंधित प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 20-11-1999 को जांच कर दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यक्ष, जिला पंचायत बाराबंकी के आदेश द्वारा ज्येष्ठता क्रम के विपरीत प्रथम श्रेणी लिपिक की पदोन्नति अनुभागीय मुख्य लिपिक पद पर किये जाने के संबंध में पत्र एवं उस पर कार्यवाही की जानकारी

95–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, जिला पंचायत, बाराबंकी के आदेश सं०–1285ए/अधि०/जि०पं०/98-99 दिनांक 17-3-1999 द्वारा ज्येष्ठता क्रम के विपरीत प्रथम श्रेणी लिपिक की पदोन्नति अनुभागीय मुख्य लिपिक पद पर किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 99/ भाजपा, दिनांक 3-3-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी नियमों के विपरीत की गई पदोन्नति को निरस्त करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति किए जाने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

प्रश्नकर्ता माननीय विधायक का पत्र दिनांक 3-3-2000 के स्थान पर पत्र दिनांक 3-2-2000 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त आख्या अनुसार जिला पंचायत बाराबंकी में अनुभागीय मुख्य लिपिक के पद पर चयन हेतु जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 की धारा–26 के अनुसार चयन समिति की बैठक आहूत की गयी थी। चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री सुभाष चन्द्र सिंह को उपयुक्त पाये जाने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, बाराबंकी के पत्र दिनांक 17-3-99 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र सिंह की पदोन्नति की गयी। उक्त पदोन्नति आदेश के विरुद्ध श्री गिरजा शंकर वर्मा व अन्य द्वारा सक्षम प्राधिकारी मण्डलायुक्त, फैजाबाद के समक्ष अपील की गयी है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

इस संबंध में शासन द्वारा अलग से पूरे प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, बाराबंकी से कराई जा रही है, जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, नानकगंज ग्राम सभा के ग्राम कंजडनपुरवा के लिये सम्पर्क मार्ग बनाने में की गयी अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही की जानकारी

96–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा नानक गंज, तहसील व जनपद हरदोई के ग्राम कंजडनपुरवा के लिए लखनऊ हरदोई मार्ग से एक कि०मी० सम्पर्क मार्ग का निर्माण जिला पंचायत हरदोई की ओर से वर्ष 1996 में कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उसी पुरवा के लिए लखनऊ–हरदोई मार्ग से ही पूर्व से बनाये गये सम्पर्क मार्ग से करीब 400 मी० दूरी से दूसरा समान्तर सम्पर्क मार्ग वर्ष 1999-2000 में भी जिला पंचायत हरदोई की ओर से बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या एक ही ग्राम के लिए दो समान्तर सम्पर्क मार्ग बनाया जाना नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां । जिला पंचायत द्वारा पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त मार्ग पर तार लेपन करते हुए मरम्मत कराई गयी ।

मार्ग समानान्तर नहीं है, बल्कि मुख्य मार्ग को जोड़ता है ।

जी हां, जनहित के दृष्टिकोण से नियमानुसार है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ, तहसील घोसी, ग्राम सिकरौर में गाटा संख्या–155 के अन्तर्गत देव नारायन आदि के नाम 080 कड़ी भूमि आवासीय आबादी हेतु आवंटित करके अन्य व्यक्ति के कब्जे में देने की शिकायत, अवैध कब्जा हटवाने की मांग

97–श्री काशीनाथ–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सिकरौर तहसील घोसी, जनपद मऊ में गाटा संख्या–155 के अन्तर्गत देवनारायन आदि के नाम 080 कड़ी माह जुलाई सन् 1985 में भूमि आवासीय आबादी आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त आवासीय आवंटित भूमि पर तहसीलदार घोसी, जनपद मऊ ने उक्त ग्राम के ही केदार आदि को माह जून 1991 में अनाधिकृत एवं अवैध रूप से कब्जा दिला दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि से कब्जा हटाने हेतु श्री राम चन्द्र, निवासी–सिलौली मऊ के दिनांक 20-11-99 व 28-1-2000 के पत्र जिलाधिकारी, मऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पंचायत गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत पार्किंग, होर्डिंग तथा हाटकर की वसूली वर्तमान समय में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा द्वारा कराये जाने का कारण तथा हुई क्षति को रोके जाने की मांग

98–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग, होर्डिंग तथा हाट कर की वसूली वर्तमान समय में नौएडा एवं ग्रेटर नोएडा द्वारा किये जाने के कारण जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिला पंचायत को हो रही आर्थिक क्षति से बचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां । प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए जांच कराये जाने का अभी कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर के ग्राम हरनाटायर में आबादी पर अनाधिकार कब्जा/अवैध कब्जा हटवाने की मांग

99—श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा के ग्राम हरनाटायर में गाटा संख्या–1188/23 अनुसूचित जाति आबादी पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने अनाधिकार रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम के लोगों ने तहसील दिवस में 48/2-12-97 क्रम सं०–198 में शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । ग्राम हरनाटायर परगना व तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा के राजस्व अभिलेखों में गाटा सं०–1188/23 नवीन परती हरिजन आबादी अंकित है । जिस पर सीमावर्ती खातेदार श्री बहादुर पुत्र रमेश्वर ने प्रश्नगत गाटा के आंशिक भू-भाग को अपनी जोत में शामिल करके कब्जा कर लिया था।

अनधिकृत कब्जे का प्रकरण संज्ञान में आने पर अवैध कब्जेदार श्री बहादुर पुत्र रमेश्वर का अनधिकृत कब्जा पूर्व में ही हटवा दिया गया था ।

जी हां ।

स्थल पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार को भेजकर तत्समय अनाधिकृत कब्जा हटवाया गया था । बाद में खातेदार द्वारा पुनः फसल बोकर कब्जा किया गया था । उसे भी दिनांक 21-6-98 को सीमांकन करके कब्जा हटवा दिया गया था । वर्तमान में स्थिति यथावत है ।

पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा केन्द्रों पर पंजीकरण शुल्क/बधियाकरण शुल्क/गर्भाधान शुल्क बढ़ाकर लिये जाने का कारण तथा बढ़ा शुल्क को वापस लेने की मांग

100—डा० वकार अहमद शाह–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि सचिव, पशुपालन द्वारा निदेशक, पशुपालन को पत्रांक सं० 3519/12-4-2-99-2000 दिनांक 19 जनवरी, 2000 में आदेशित किया है कि आगामी अप्रैल,

2000 से पशु चिकित्सा केन्द्रों पर किसानों के पशुओं की चिकित्सा के लिए पंजीकरण शुल्क, बधियाकरण शुल्क, गर्भाधान शुल्क आदि को दस गुना बढ़ा कर वसूल किया जाये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त आदेश को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी हां । शासनादेश संख्या–3519/12-प–2-99-30(3)/99, दिनांक 19 जनवरी, 2000 में पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिये भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की गयी हैं ।

माननीय मंत्रि-परिषद् की आर्थिक विकास समिति में लिये गये निर्णय तथा भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य हुए एम० ओ० यू० के आधार पर आय के स्रोतों में वृद्धि करने एवं पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर किये जा रहे व्यय को दृष्टिगत रखते हुए सेवा शुल्क/लेवी मूल्यों में वृद्धि की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई, तहसील सण्डीला, ग्राम गंगऊ व ग्राम जरहा में 122 बी के अन्तर्गत पट्टे में सवर्ण जाति के अनियमित तरीके से किये गये पट्टे

101—श्री मतेश चन्द्र सोनक्रर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह तथा इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह, निवासी ग्राम गंगऊ ठाकुर एवं श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री मुरली ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जरहा, गोकरन पुत्र श्री भीखा मुराऊ निवासी ग्राम गंगऊ, ब्लाक बेंहदर तहसील सण्डीला, जिला हरदोई को 122 बी–4 में पट्टा किया गया है ? क्या यह सभी आवंटी सवर्ण जाति के हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अनियमित तरीके से किये गये उक्त पट्टे को निरस्त करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला हरदोई, ब्लाक बेहदर, ग्राम जरहा में भूमि के पट्टे का कब्जा दिलाने विषयक पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

102—श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जरहा, ब्लाक बेंहदर, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई के निवासियों को किये गये भूमि को पट्टे की अमल दरामद कराकर कब्जा दिलाने विषयक अपर जिला विकास अधिकारी (स०क०), हरदोई का पत्रांक 854/भूमि आवंटन/99-2000 दिनांक 19 जनवरी, 2000 चकबन्दी अधिकारी, बेहन्दर सण्डीला, जिला हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उल्लिखित आवंटियों की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा कर उनको कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त आवंटियों की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर कब तक कब्जा दिला देगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला शाहजहांपुर की तहसील सदर के परगना कांट, ग्राम सैजना मथू के तालाब का मछली पालन हेतु आवंटन भूमिधर को करने की जानकारी

103–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मछली पालन हेतु तालाबों का आवंटन भूमिहीनों कृषकों को किया जाता हैं ? यदि हां, तो क्या जिला शाहजहांपुर की तहसील सदर के परगना कांट में स्थित ग्राम सैजना मथू के गाटा सं० 96 रकबा 5.91 एकड़ तालाब का आवंटन मछली पालन हेतु भूमिहीन व्यक्ति को न देकर भूमि धर श्री प्रतिपाल पुत्र मलिखान ग्राम सैजना मथू परगना कांट, तहसील सदर, शाहजहांपुर के नाम किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध आवंटन निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वरीयता क्रम के भूमिहीन के अतिरिक्त भूमिधर को भी मत्स्य पालन का पट्टा किया जाता है।

जी, हां।

दिनांक 7-10-91 को श्री प्रतिपाल पुत्र श्री मलिखान को प्रश्नगत भूमि का पट्टा किया गया था। श्री प्रतिपाल वरीयता क्रम में तत्समय प्रथम स्थान पर थे तथा उनके नाम मात्र 0–146 हेक्टेयर भूमि थी। अतः उक्त पट्टे को निरस्त करने व पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर, भित्तिया पौकी ब्लाक कोट, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा निजी खर्च में व्यय करने सम्बन्धी पत्र/कार्यवाही की जानकारी

104–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जदुवीर सिंह एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस (ई) यूथ प्रकोष्ठ, शाहजहांपुर का पत्र दिनांक 12-11-1999 जो ग्राम पंचायत भित्तिया पौकी ब्लाक कोट, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1998-99 में रुपया 472224/- रु० आहरित कर ग्राम विकास कार्यों में व्यय न करके निजी कार्यों में खर्च कर लिये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

इस शिकायत की जांच खण्ड विकास अधिकारी कांठ से कराई गई जिसमें प्रधान के विरुद्ध कतिपय धनराशि का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। इस हेतु प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

105—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं०–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर, तहसील सिधौली, ग्राम गढ़ी खैरया की भूमि नाबालिग बच्चे के नाम करने तथा परगनाधिकारी द्वारा निरस्त करने का कारण एवं पट्टे को पुनः करने की मांग

106—श्री जगदीश नारायण राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़ी खैरया, तहसील सिधौली जनपद सीतापुर के खसरा संख्या 618 रकबा 0.98 एकड़ (0.397 हेक्टेयर) भूमि श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल अनुसूचित जाति (पासी) को वहां के ग्राम प्रधान तथा लेखपाल की सिफारिश पर तथा उनके 10 साल के कब्जे को दृष्टिगत रखते हुये परगनाधिकारी सिधौली द्वारा दिनांक 30-6-97 को धारा 122बी (4) के अन्तर्गत पट्टा किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त पट्टे को परगनाधिकारी सिधौली द्वारा दिनांक 26-11-99 को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकरण में दोषी परगनाधिकारी सिधौली (सीतापुर) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही को अवैध मानते हुये उक्त श्री विवेक कुमार को पुनः पट्टा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील टाण्डा, ग्राम मांझा की भूमि खाता क्रमांक 20, 180, 184 तथा 111 दबंगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत तथा कार्यवाही की मांग

107—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील टाण्डा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम मांझा की भूमि खाता क्रमांक 20, 180, 184, तथा 111 के नक्शे में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इन पर दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में वहां के प्रभावित किसानों का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 13-3-2000 को प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम से सेवानिवृत्त श्री रामपाल सिंह के समस्त देयों का भुगतान कराये जाने की मांग

108—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम पाल सिंह पुत्र स्व० श्री विश्राम सिंह जुलाई, 1996 में तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई से सुपरवाइजर कानूनगो के पद से सेवानिवृत्त हुये थे? क्या उनके समस्त देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद, तहसील हंडिया, ग्राम गनेशीपुर कछार का बन्दोबस्त कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

109—श्री जोखू लाल यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गनेशीपुर कछार, तहसील–हंडिया, जनपद–इलाहाबाद का बन्दोबस्त कार्य कई वर्षों पूर्व प्रारम्भ हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त बन्दोबस्त अभिलेख तहसील हंडिया इलाहाबाद को उपलब्ध करा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में नियुक्त अतिरिक्त सूचनाधिकारी वन/राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जे की जांच की मांग

110—श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में नियुक्त अतिरिक्त सूचनाधिकारी श्री राम खिलावन द्वारा वन/राजस्व की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी बांदा के पत्र संख्या 1467/व्यक्तिक सहायक दिनांक 26 मार्च, 1999 द्वारा शासन को भेजी गयी है, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश भू-सर्वेक्षण इकाइयों के मुख्यालय की इकाइयों पर सहायक अभिलेख अधिकारियों की शासन द्वारा नियुक्ति की जानकारी तथा उनकी तैनाती की मांग

111—श्री आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी भू-सर्वेक्षण ईकाइयां कार्यशील है तथा उनका मुख्यालय कहां-कहां है ? इन इकाइयों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 48 व 49 के अन्तर्गत कितनी इकाइयों में सहायक अभिलेख अधिकारियों की शासन द्वारा तैनाती की गयी है तथा कितनी इकाइयों में सहायक अभिलेख अधिकारियों की तैनाती शासन द्वारा नहीं की गयी है तथा ऐसी इकाइयां कौन-कौन सी हैं ? क्या मंत्री जी ऐसी समस्त इकाइयों में जिनमें सहायक अभिलेख अधिकारियों की तैनाती भू-राजस्व अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत नहीं की गयी है, में तैनाती करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गजेटियर विभाग द्वारा जिलों का अभिलेख पूर्ण कराये जाने की मांग

112—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गजेटियर विभाग द्वारा वर्ष 1999 तक कुल कितने जिल्लों का अभिलेख तैयार कर लिया गया है तथा कितने जिलों का अभिलेख तैयार करने का कार्य वर्तमान में चल रहा हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रथम चरण में प्रदेश के 54 जिलों का जिला गजेटियर व 8 पूरक अंक प्रकाशित किये गये ।

दूसरे चरण में प्रदेश के समस्त जिलों के गजेटियरों का हिन्दी भाषा में पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है जिसमें 7 जिला गजेटियरों का लेखन कार्य पूर्ण हो गया है ।

113—श्री अम्बिका चौधरी–

[5वें मंगलवार के अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी, ग्राम सभा तरदहा हेतु स्वीकृत 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के लिए स्वीकृत 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र पट्टी के लिए ग्राम सभा तरदहा, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के गाटा संख्या 30 क्षेत्रफल 0-746 हे० को राज्य विद्युत परिषद् को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या–82सात–भू०अ०–2000.दिनांक 28-1-2000 एवं पत्र संख्या–1136/शिविर–2000. दिनांक 18-2-2000 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

वर्तमान विहित व्यवस्था के अनुसार राज्य विद्युत परिषद् को उक्त गांव सभा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हैं ।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को तदनुसार अवगत करा दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील सदर, ग्राम कुशमाहा का चकबन्दी के बाद कब्जा परिवर्तन कराने की मांग

115—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद तहसील सदर में स्थित ग्राम कुशमाहा का चकबन्दी कार्य पूरा हो गया है परन्तु मौके पर अभी तक कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा कब्जा परिवर्तन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुष्टीकरण अन्तर्गत धारा–23 दिनांक 15-7-84 को हो चुका है तथा बिना कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही के चक निगरानियों का निस्तारण भी किया जा चुका है । उप संचालक चकबन्दी द्वारा निगरानियों में पारित आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश प्राप्त हुए, इसलिए कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायी है । इसकी जांच करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है । मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त होने के उपरान्त ही कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही यथासमय करायी जानी सम्भव होगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, परगना पश्चिम राठ, ग्राम सभा सेमरा मुतालके चिखड़ी की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण तथा भूमि को निजी खाते में दर्ज कराने के संबंध में पत्र, कब्जा हटवाने की मांग

116—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर परगना पश्चिम राठ के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा सेमरा मुतालके चिखडी की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण तथा गलत तरीके से सार्वजनिक भूमि सम्पत्ति को निजी खाते में दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह फरवरी, 2000 में जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जा/निर्माण हटा दिया गया है तथा गलत इन्द्राज को खारिज कर दिया गया है ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर, जिला पंचायत कार्यालय में टीकाकार श्री राम लखन पाण्डेय की सेवा निवृत्ति के उपरान्त ग्रेच्युटी तथा बढ़े हुए वेतनमान के एरियर व अन्य देयों के भुगतान की मांग

117—डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जिला पंचायत के कार्यालय में टीकाकार के पद पर नियुक्त श्री राम लखन पाण्डेय जून, 1995 से सेवानिवृत्त हो गये ? यदि हां, तो क्या उनकी ग्रेच्युटी तथा 1986 से बढ़ा हुआ वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उनके समस्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी, हां ।

जिला पंचायत जौनपुर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण श्री राम लखन पाण्डेय, सेवा निवृत्त टीकाकार की ग्रेच्युटी तथा 1986 से बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया जा सका है।

जिला पंचायत, जौनपुर की आर्थिक स्थिति ठीक होते ही श्री पाण्डेय की बकाया ग्रेच्युटी व बढ़े हुए वेतन के एरियर का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

118—डा० पूर्णमासी पंकज–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिन्टनगंज स्थित किसान इण्टर कालेज, कल्याणपुर के प्रबन्धक का ग्रामीण स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

119—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिन्टनगंज स्थित किसान इण्टर कालेज कल्याणपुर के प्रबन्धक का ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला युवा कल्याण अधिकारी फैजाबाद के पत्रांक 432/प्रा०वि०द०/99 दिनांक 23-12-99 महानिदेशक, प्र०वि०द० एवं युवा कल्याण उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह–

जिला युवा कल्याण एवं प्राविद अधिकारी, फैजाबाद का मूल पत्र दिनांक 23-12-99 प्राप्त नहीं हुआ है । जिला युवा कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के पत्र संख्या–558/प्राविद/99. दिनांक 28 मार्च, 2000 के साथ दिनांक 23-12-99 के पत्र की छायाप्रति प्राप्त हुई है ।

इस संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद से भूमि हस्तान्तरण कराने का अनुरोध किया गया है । परन्तु जिलाधिकारी के स्तर से भूमि हस्तान्तरण के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं दी गयी है ।

उद्योग विभाग में समस्त जिलों/मण्डलीय कार्यालय तथा निदेशालय पर उद्योग सेवा-श्रेणी एक एवं दो के रिक्त पदों को भरने की मांग

120—डा० वकार अहमद शाह–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग विभाग में समस्त जिलों एवं मण्डलीय कार्यालय तथा निदेशालय पर उद्योग सेवा श्रेणी एक एवं दो के कुल कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

उद्योग विभाग के समस्त जिलों, मण्डलीय कार्यालय तथा निदेशालय पर उद्योग सेवा श्रेणी–एक के कुल 106 तथा श्रेणी–दो के 296 पद सृजित हैं, जिनमें से श्रेणी–एक के 38 व श्रेणी–दो के 140 पद रिक्त हैं ।

उद्योग सेवा श्रेणी–एक के 08 पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही प्रगति पर है । पोषक संवर्ग में पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण श्रेणी–एक के शेष रिक्त पदों को तत्काल भरा जाना सम्भव नहीं है । जैसे-जैसे अधिकारी पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध होते जायेंगे, वैसे-वैसे रिक्त पद भरे जा सकेंगे । श्रेणी–दो के सीधी भर्ती/प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों को उ० प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था है । इस हेतु प्रस्ताव आयोग को भेजे जा चुके हैं । आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार श्रेणी–2 के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

उद्योग निदेशालय के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में महाराष्ट्र की भांति औद्योगिक पर्यवेक्षक के पद समाप्त करने के बाद उन पद धारकों को समायोजित करने की मांग

121—श्रीमती गौरी देवी–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में महाराष्ट्र राज्य की भांति औद्योगिक पर्यवेक्षक के समस्त पद समाप्त किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या इनके पद धारकों को अन्य पदों पर समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह समायोजन कब तक कर दिया जायेगा ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी हां, किन्तु औद्योगिक पर्यवेक्षक वेतनमान रु० 975–1660 पुनरीक्षित वेतनमान रु० 3200–4900 के समतुल्य पद विभाग में उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत पद धारकों का समायोजन नहीं हो सका है ।

उद्योग निदेशालय के सांख्यकीय, सहायक के वेतनमान पुनरीक्षण के बाद एरियर भुगतान एवं सहायक प्रबन्धकों के प्रमोशन के बाद भी पुनरीक्षित वेतन के एरियर के भुगतान कराने की मांग

122—डा० वकार अहमद शाह–

क्या लघु उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि समता समिति उ० प्र०, 1989 की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश सं० 1402आर/18-1-592 (आर)/88(टी०सी०1) दिनांक 10-6-1993 द्वारा उद्योग निदेशालय

के अन्तर्गत सांख्यकीय सहायकों का वेतनमान 1400-2600 के स्थान पर 1600-2660 संशोधित कर उन्हें 1-1-86 से एरियर का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विभाग में ही कार्यरत उसी वरिष्ठता सूची के सहायक प्रबन्धकों एवं प्रमोशन सहायक जिन्हें बाद में पुनरीक्षित वेतनमान 1-1-86 से 1400-2600 के स्थान पर 1600-2660 दिया गया तथा वेतन निर्धारण भी कराया गया किन्तु एरियर का भुगतान रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन पदों के एरियर भुगतान हेतु संबंधित शासनादेश शीघ्र निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

जी हां, सांख्यकीय संवर्ग के लिए समता समिति 1989 की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वेतन पुनरीक्षण में व्याप्त विसंगतियों के संबंध में पद की अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वेतनमान संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु सहायक प्रबन्धक, वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक एवं कतिपय अन्य राजपत्रित पदों को मुख्य सचिव समिति की संस्तुति के अनुसार एक संवर्ग में पुनर्गठन किया गया। इसी कारण यद्यपि वेतन निर्धारण हेतु 1-1-86 की तिथि निर्धारित की गई, किन्तु उनके वेतनमान में कोई विसंगति न पाये जाने के कारण वेतनमान उच्चीकरण पूर्वगामी तिथि से किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। अतः इसकी तुलना सांख्यकीय संवर्ग से किया जाना उचित नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

123—डा० सरजीत सिंह डंग–

[7वें सोमवार में अता० प्र० सं०–51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पंचायत मथुरा, तहसील अड्डा पड़ाव अर्डीग की नीलामी में संदिग्धता पाये जाने पर बोली निरस्त करके पुनः बोली हेतु दिनांक सुनिश्चित किये जाने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्डीग तह० अड्डा पड़ाव के ठेके में जिला पंचायत मथुरा द्वारा ठेका निरस्त करके पुनः बोली हेतु तारीख निश्चित किये जाने विषयक अनियमितता के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/ एम–1/25561/ मथुरा/99, दिनांक 20-7-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को जांच हेतु प्रेषित किया गया था। जांच में पड़ाव अड्डा अडिंग की नीलामी में संदिग्धता पाये जाने पर आयुक्त द्वारा नीलामी बोली निरस्त कर दी गयी थी। अवशेष अवधि के लिए मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा के निर्देशन में व्यापक प्रचार-प्रसार कर नीलामी कार्यवाही करने के निर्देश आयुक्त द्वारा दिये गये थे। अब वर्तमान में पड़ाव अड्डा शुल्क की वसूली को शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2000 द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

प्रदेश के पूर्वांचल के कतिपय जिलों में फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित लोगों के फर्जी बैनामा पर दाखिल खारिज करने में लिप्त लोगों के खिलाफ जांच व कार्यवाही की मांग

125—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि माह जुलाई/अगस्त 1999 में प्रदेश के पूर्वांचल के कतिपय जिलों के फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित लोगों ने "उ० प्र० मृतक संघ" के

बैनर तले विधान भवन के सम्मुख प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी बैनामा व दाखिल खारिज में लिप्त लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पंचायत बस्ती से जिला पंचायत संत कबीर नगर को विकास कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

126—श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि जिला पंचायत बस्ती से जिला पंचायत संत कबीर नगर को वर्ष 1997-98. 1998-99 में दी जानी थी तथा उसमें से कितनी धनराशि दी गयी है ? जिला पंचायत बस्ती द्वारा जिला पंचायत संत कबीर नगर को देय धनराशि अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार समयबद्ध तरीके से जिला पंचायत संत कबीर नगर को दी जाने वाली धनराशि को शीघ्र भिजवाने का निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वित्तीय वर्ष 1997-98. 1998-99 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से आनुपातिक दर 13:6 के अनुपात में बंटवारा करके जिला पंचायत संत कबीरनगर के हिस्से की समस्त धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार दे दी गयी है :—

दिनांक	धनराशि (रु०)
05-06-99	62,99,141-00
16-03-2000	8,00,000-00
28-04-2000	22,88,421-00
योग =	93,87,562-00

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, तहसील बदलापुर, ग्राम भेलूपुर, न्याय पंचायत जोखापुर की भूमि पर अवैध निर्मित भवन को आवंटी को उपलब्ध कराने की मांग

127—श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम भेलूपुर न्याय पंचायत–जोखापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के गाटा संख्या 109 में 1 एकड़ 14 डिसमिल जो ग्राम समाज की भूमि है, को जीतू नाविक पुत्र श्री मिरथाई नाविक एवं अन्य को वर्ष 1999 में आवंटित की गयी है ? क्या उक्त ग्राम समाज की भूमि को श्री इकबाल अहमद ने अपने नाम रजिस्ट्री करायी है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि उक्त गाटा सं० 109 में जीतू नाविक का मकान बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इकबाल अहमद के पक्ष में की गयी रजिस्ट्री को अवैध करार करते हुए आवंटित धारक के प्रति न्याय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० भूमि सुधार निगम में श्रेणी क, ख, ग, घ में स्वीकृत पदों को भरे जाने में अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्ण कराये जाने की मांग

128—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० भूमि सुधार निगम में श्रेणी क, ख, ग, घ में अब तक कितने पद स्वीकृत हैं और कितने भरे गये हैं ? क्या अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो कोटा पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उ० प्र० भूमि सुधार निगम से संबंधित स्थिति निम्नवत् है :—

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद
क	29	28
ख	37	31
ग	869	787
घ	48	46
	योग–983	892

स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर, संविदा के आधार पर व नियमित रूप से कार्यरत हैं तथा आरक्षण की स्थिति निम्नवत् है :—

(क) प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के संबंध में आरक्षण की व्यवस्था पैतृक विभाग द्वारा देखी जाती है ।

(ख) संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के संबंध में आरक्षण हेतु कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है ।

(ग) स्वीकृत 983 पदों में 843 पद वाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु 1993 के पश्चात् तथा 140 पद पहले से सृजित हैं । इन 140 पदों के विरुद्ध 47 पद नियमित रूप से भरे हैं जिनमें 05 पद एकल हैं तथा शेष 42 निम्नानुसार भरे हैं :—

सामान्य	31
अनुसूचित जाति	02
पिछड़ी जाति	09
योग =	42

उ० प्र० भूमि सुधार निगम हेतु पूर्व में स्वीकृत 260 पदों में से शासनादेश दिनांक 22-2-93 द्वारा 120 पद आस्थगित किये गये थे व 140 पद बरकरार रखे गये । परन्तु सभी पदों को प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर भरने का प्रतिबन्ध, पद सृजन संबंधी शासनादेशों में लगाया गया जिस कारण कार्यरत नियमित कर्मचारियों में आरक्षण की स्थिति उपरोक्तानुसार रही ।

उपरोक्तानुसार अस्थगन व प्रतिबन्ध शासन द्वारा भविष्य में समाप्त किये जाने पर ही कोटा पूर्ण करना सम्भव होगा ।

भूमि संरक्षण इकाई (गोमती) लखनऊ कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के संबंध में दिये गये पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

129—श्री चेतराम–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 3-4-99, 16-6-99, 18-6-99, 26-8-99 के पत्र जो विधायक श्री रामहर्ष सिंह, श्री बाबूराम एवं श्री चेतराम तथा श्री विद्या सागर गुप्त और कृषि सचिव को सम्बोधित है दिनांक 26-3-99 जो भूमि संरक्षण इकाई (गोमती) लखनऊ कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में दिये गये हैं प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्रों में से केवल श्री राम हर्ष सिंह, सदस्य विधान सभा का शिकायती पत्र दिनांक 18-6-99 तथा श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र दिनांक 26-8-99 और कृषि सचिव को सम्बोधित श्री विद्या सागर गुप्त, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र दिनांक 26-3-99 प्राप्त हुए हैं। प्रश्न में उल्लिखित अन्य कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम हर्ष सिंह, श्री चेतराम एवं श्री विद्या सागर गुप्त ने अपने पत्र क्रमशः दिनांक 05-1-2000, 06-2-2000 तथा 08-4-2000 द्वारा लिखित रूप से प्रश्नगत शिकायती-पत्रों एवं उन पर अंकित हस्ताक्षर को फर्जी बताया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सुल्तानपुर में गोरियाबाद के गौतमगढ़ी की पंचायत निधि से बनाई गई सड़क पर अनियमितता की शिकायत की जांच के संबंध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

130—श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर०पी० मिश्र, जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित मुख्य विकास अधिकारी, आर०एस० साहू, सुल्तानपुर का पत्रांक–४५५ एस०टी०–मु०वि०अ० ९९ दिनांक 26-10-1999 जो गोरियाबाद के गौतमगढ़ी की पंचायत निधि से बनाई गई सड़क पर अनियमितता की शिकायत की जांच हेतु निर्देशित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा उक्त शिकायत की जांच की गयी। शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कानपुर नगर, तहसील घाटमपुर, ग्राम हथेरूवा में श्री रामशंकर का गाटा नं० 74 का रकबा पैमाइश कराने की मांग विषयक तथा अवैध कब्जा हटाकर आवंटी को दिये जाने की मांग

131—श्री वेद प्रकाश सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जनकारी है कि श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम शंकर निवासी ग्राम–हथेरूवा, परगना व तहसील–घाटमपुर जिला–कानपुर नगर का प्रार्थना-पत्र जो कि गाटा नं०–74 का रकबा पैमाइश कराकर पूरा करने विषयक है, मा० सभापति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समिति विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 15-1-2000 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर मंत्री जी ने जिलाधिकारी, कानपुर नगर को पैमाइश कराकर रकबा पूर्ण कर कब्जा दिलाने के आदेश पत्रांक 302/वी०आई०पी०/राजस्व/2000, दिनांक 15-1-2000 द्वारा दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम हथेरूआ वर्तमान में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है । गाटा संख्या–74 की पैमाइश चकबन्दी विभाग एवं तहसील के राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 28-03-2000 को मौके पर करा ली गयी है । गाटा संख्या–74 के उत्तर पूर्व में लगभग आधा बिस्वा भूमि पर बगल के काश्तकारों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था । जिसे मौके पर निशानदेही कर अवैध कब्जा हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर बीस मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला कस्बें में सात व्यक्तियों की हत्या एवं जनपद एटा के ग्राम हरनामपुर में तीन मासूम बच्चों को जिन्दा जलाये जाने तथा उनकी मां की हत्या किये जाने सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर न्यायिक जांच की मांग (क्रमागत)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी जांच आख्या प्रस्तुत की जाए ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, एक आश्वासन था जानकारी देने का, मैंने कहा था कि वहां टीम गयी हुई है और जो भी कार्यवाही होगी मैं उसकी जानकारी दूंगा, तो मेरा यह दायित्व बनता है । वक्तव्य बाद में आ जायेगा ।

मान्यवर, कल वहां अधिकारियों की टीम गई थी और हमारे माननीय मंत्रीगण भी गये थे, सारी चीजों का जायजा लिया और उसके बाद में प्रशासन स्तर पर कुछ कार्यवाही हम लोगों ने की है । मैं अभी जो कार्यवाही शासन स्तर पर हुई है उसकी जानकारी माननीय सदन को देना चाहता हूं । मान्यवर, वहां पर वहां के एस० पी०, जिलाधिकारी, डी० आई० जी० और मण्डलायुक्त चारों को कुछ लापरवाही और कमी देखते हुए हटा दिया गया है और मान्यवर, जो संबंधित थाने में एस० ओ० था और एक सब-इंस्पेक्टर दोनों की भूमिका भी सही नहीं पाई गई, उन दोनों को भी वहां से हटा दिया गया है। जो घटना थी जिसमें चार मृतक पाये गये थे उस घटना की जांच सी० बी० सी० आई० डी० को दी गयी है । जो कानून व्यवस्था की स्थिति रही जिसमें पुलिस को फायरिंग तक की स्थिति आई उसके बारे में राजस्व परिषद् के सदस्य को जांच सौंपी गयी है । जो डकैती की घटना है उसकी जांच अलग से हो रही है । जो वहां पर चारों मृतक पाये गये और साथ में पुलिस फायरिंग, पुलिस फायरिंग मैं नहीं कहूंगा, जब कानून व्यवस्था की स्थिति चल रही थी उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और चारों लोगों को जो पल्लेदार थे और साथ में राम प्रकाश नामक व्यक्ति उसको भी उसमें सम्मिलित करते हुए 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है । जो व्यक्ति अभी भी नर्सिंग होम में दाखिल है उसके खर्चे का सारा व्यय सरकार वहन करेगी और मान्यवर, जिनके घर पर डकैती हुई थी उसका अंदाजा लगाकर, गरीब आदमी है, उनकी भी सहायता सरकार कर रही है और उसके बारे में आंकलन कर रही है कि क्या सहायता हो सकती है । जो जख्मी हैं, मृतकों के अलावा उनके खर्चे की जिम्मेदारी सरकार ने ली है तो यह सरकार ने अब तक किया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अस्पताल में भर्ती व्यक्ति का नाम क्या है और कहां का रहने वाला है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उसका नाम संतोष है चौकीदार, जो आपने बताया था ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अवसर मैं सबको दूंगा जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो व्यक्ति चिकित्सालय में भर्ती है उसका नाम पूछा तो यह वही व्यक्ति है कल यहां उसका नाम लेकर कहा गया था कि पुलिस ने पकड़कर गोली मार दी और मर गया । हम सबसे अपेक्षा करेंगे किसी चीज की जानकारी करें तो जिम्मेदार लोगों से जानकारी प्राप्त कर लें, हो सकता है किसी ने गलत सूचना दे दी हो और सही स्थिति माननीय सदस्य तक न पहुंच पायी हो।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि हत्या का मुकदमा पुलिस के खिलाफ लिखा गया कि नहीं और जो पुलिस की गोली से दूधिया मरा था, उसको अनुग्रह राशि कितनी दी गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उसका नाम राम प्रकाश है और उसको भी दो लाख की अनुग्रह राशि दी गयी है ।

*श्री राम जग–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने यह नहीं बताया कि पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ कि नहीं और जिन लोगों को गलत ढंग से चालान करके जेल भेजा गया है, उनको अब तक छोड़ा गया कि नहीं ?

*श्री हुकुम सिंह–

अभी गलत ढंग से जेल भेजा गया है, छोड़ा गया कि नहीं, यह कैसे कहा जा सकता है ? यह कई तरह की गिरफ्तारी उसमें है । कानून व्यवस्था को देखते हुए गिरफ्तारी की गयी है, उसका परीक्षण चल रहा है, केवल उन लोगों को जेल में रखा जायेगा, जिन पर सब्सेटेन्टिव धारा में मुकदमा दर्ज है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि एस० पी०, डी० एम०, डी० आई० जी० तथा कमिश्नर को दोषी पाये जाने के नाते हटा दिया गया है और साथ ही साथ संबंधित थाने के एस० ओ० तथा एस० आई० को भी हटा दिया गया है । इतनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नृशंस हत्यायें हुई हैं तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यदि आपके कथन को मान लें तो भी आयुक्त, जिलाधिकारी के विरुद्ध 302 का मुकदमा कैसे होगा ? आप तर्कसंगत बात कहें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय और जो पुलिस फायरिंग में राम प्रकाश की मृत्यु हुई है, वह फायरिंग जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई है, उसमें जिलाधिकारी को दण्डित किया जाय, केवल स्थानान्तरण से काम नहीं चलेगा । जो वहां के लोगों को आन्दोलन करने पर जिला प्रशासन ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उनको रिहा किया गया कि नहीं, यह जानना चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने अपने उत्तर में पहले ही कहा था कि केवल उन लोगों को ही जेल भेजा जायेगा, जिस पर सब्सटेन्टिव धारा में मुकदमा दर्ज है । केवल कानून व्यवस्था को देखते हुए जिनको हिरासत में लिया गया है, उनका परीक्षण चल रहा है ।

*श्री शिव सिंह चक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस क्षेत्र से विधायक हूं । यह बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है । जिन 4 हरिजनों की हत्यायें हुई हैं, मैं उनके परिवार से एक-एक करके मिलकर आया हूं । इस घटना से चार बिन्दु स्पष्ट उभर कर आये । इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, माननीय सदन को बताना चाहता हूं, इस घटना से कुछ दिन पूर्व, दो-चार दिन पूर्व ही प्रदेश के एक प्रमुख सचिव [× × ×] जी गये उन्होंने वहां माहौल गरमाया । उसके बाद उनके एक रिश्तेदार डा० गुलाब सिंह एक दूसरे रिश्तेदार ने इस घटना को काफी तूल दिया । मान्यवर, इस माहौल को गरमाया गया, उसके बाद यह घटना जो घटी कुछ विपक्षी दलों के लोगों ने इसको जाम लगा करके इतनी बड़ी घटना बना दी। इसमें [× × ×] प्रमुख सचिव और उनके रिश्तेदार को भी अध्यक्ष जी दोषी ठहराया जाए । इसके साथ-साथ वहां के कोतवाल टूण्डला में काफी निष्क्रिय रहे हैं । भूपेन्द्र राम की हत्या नगला मस्जिद के पास एक ओबरा गैंग सक्रिय था, उसकी हत्या एक घर में पत्थरों से मार-मार कर कुचल कर की गयी। मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो व्यक्ति मारे गये हैं उनके लिये 2-2 लाख रुपये देने की जो घोषणा की है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, कम से कम उसे 5 लाख कर दिया जाए और जो लोग घायल हैं उनकी भी व्यवस्था की जाए ।

इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी, जो दोषी अधिकारी हैं, जिले के और मण्डल के, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए । जिलाधिकारी कार्यालय पर मैं मौजूद था, वहां बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, जिलाधिकारी ने कह दिया कि शव हम नहीं देंगे चाहे और हत्याएं हो जाए । मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं, कम से कम जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनके शव पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिवारजनों को सौंप दिये जाते, उनके घर के लोग कम से कम उनका मुंह तो देख लेते । मान्यवर, और दूसरी घटना फिरोजाबाद के एक मोहल्ले में हो गयी तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उस समय पत्थर चले, बसें टूटीं । अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, घटना से काफी दुख हुआ है लेकिन जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के एक बयान ने पूरे क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी, इन सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और जनता में जो दहशत व्याप्त है, बसई में पी० ए० सी० तैनात है, लोगों को तमाम समस्याएं आ रही हैं, वह अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं । बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके इक्जाम चल रहे हैं । इस घटना के बारे में मैंने सरकार और सदन को बता दिया है । इसके साथ मैं मुख्य मंत्री जी की और संसदीय कार्य मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री श्री सिरोही जी, डा० हरित जी और मैं स्वयं वहां पर गया और हमारी सरकार ने जो राहत की व्यवस्था की है उसको और बढ़ा दिया जाय जो मृतक के परिवार के हैं उनको नौकरी दी जाय ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय सदस्य ने सही तथ्यों को बता दिया है उसके बारे में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब कल यह मामला सदन में उठा था जिसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में बयान दिया है, मैं उनसे दो बातें पूछना चाहता हूं चूंकि इसमें डी० आई० जी० और कमिश्नर, एस० एस० पी०, कलेक्टर इन्वाल्व हैं तो जैसा कल विपक्ष ने मांग की थी कि इस मामले की जुडीशियल जांच करवायी जाय क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड से कराने पर चूंकि डी० आई० जी०, कमिश्नर सीनियर अफसर होते हैं इसलिये जुडीशियल जांच होनी चाहिए । दूसरी बात चारों थानों के एस० ओ० के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करने का आदेश दिया गया है या नहीं । मामले की गम्भीरता को देखते हुए मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपये देने की क्या आप घोषणा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसमें जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे और कहा कि अधिकारी इन्वाल्व हैं तो शासकीय स्तर पर इसकी समीक्षा करने के बाद, क्योंकि जिनता सचेत उनको रहना चाहिए था उतना वह नहीं रहे इसलिये प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है । दूसरी बात पुलिस के बारे में है तो वहां के पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है । एक बात बराबर आ रही है कि 302 का मुकदमा कायम हो। मान्यवर, 396 का मुकदमा कायम हुआ है यह जो चार व्यक्ति मरे हैं किन परिस्थितियों में मारे गये, क्या रहस्य था मरे या हत्या हुई उसकी जांच के लिये सी० बी० सी० आई० डी० को सुपुर्द किया है। बार-बार कहा जा रहा है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ कि नहीं, सारी बातों को देखते हुए कि कौन कितना दोषी है, है कि नहीं है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

*श्री प्रमोद कुमार–

पहले तो मैं सांत्वना व्यक्त करता हूं जिनके यहां यह घटना हुई । मैं उन्हीं की बात पर बल देते हुए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिलाधिकारी ने निंदनीय काम किया जो 4 लोग मरे हैं उनके शवों को उनके परिजनों को अन्तिम संस्कार के लिये नहीं दिया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 4 लोगों की मिस्टीरियस डेथ, संदेहात्मक मृत्यु हुई है । उन चारों लोगों को पुलिस की गोलियां लगी हैं इसलिये उन शवों को उनके परिवार के लोगों को नहीं दिया गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर दिया जाता तो पोस्टमार्टम में पुलिस की राइफल की गोली निकलती और 302 का मुकदमा होता। अब 302 का मुकदमा तो जांच के बाद बनेगा ।

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार साक्ष्य को मिटाना या गायब करना आई० पी० सी० की दफा 201 के अन्तर्गत आता है । तत्कालीन जिलाधिकारी जिन्होंने परिवार वालों को शव नहीं सौंपे, किसी भी मृतक की लाश सबसे बड़ी गवाही होती है मृत्यु के कारणों की, सरकार को मृत्यु के कारणों की जांच करानी चाहिए थी जिससे साबित होता कि पुलिस की गोलियों से मरे हैं । जिलाधिकारी ने लाश परिवार वालों को न देकर साक्ष्य को गायब करने का काम किया है । उनके खिलाफ सरकार को भा० दं० वि० की धारा 201 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करना चाहिए । दूसरी बात यह जो 4 लोग मरे हैं उनका मुकदमा कायम हुआ होगा तो वह किसके खिलाफ कायम होगा यह जांच का विषय होगा ? 4 मृतकों के संबंध में जो मुकदमा कायम होगा वह किस दफा में होगा ? तीसरी बात सत्ता पक्ष से मांग की गयी है जिस पर हम बल देते हैं कि सरकार को ऐसी क्या दिक्कत है कि मृतकों को दस लाख रुपये मुआवजा नहीं दे रहे हैं । डेढ़ लाख तो वैसे ही मिलना आपने दो लाख दे दिया तो कौन सी बड़ी बात की डी० आई० जी० और कमिश्नर को ट्रांसफर करके मान लिया कि यह कहीं न कहीं दोषी हैं चाहे इनका अपराध प्रशासनिक हो या आपराधिक हो । जब इनके खिलाफ जांच राजस्व परिषद् के सदस्य से होगी तो राजस्व परिषद् का सदस्य लगभग इसी रैंक का होगा या कभी-कभी इनके नीचे स्तर का होता है क्या वह अपने सीनियर अधिकारी की जांच कर सकेगा और क्या सरकार अपने दामन को साफ साबित करने के लिए जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए और विपक्ष की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस मामले की जांच हाईकोर्ट की जज से कराने की घोषणा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 201 की बात कही गयी, साक्ष्य नष्ट करने की बात आयी । चारों का पोस्टमार्टम हुआ है और क्या यह भी पता है कि उनके शरीर पर क्या चोटें थी, आपकी अनुमति हो तो उल्लेख कर दूं । क्योंकि बार-बार यह कहा जा रहा है कि पुलिस की गोली लगी थी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम कह रहे हैं कि पुलिस की गोली लगी । [× × ×] मान्यवर, डेड बाडी अगर मिल जाती तो साबित कर देते ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री जी की रिपोर्ट फर्जी है यह आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं । आपके सामने ही कहा था कि शवों को परिवारजनों को दे दिया गया है और उनका दाह संस्कार हो गया है लेकिन मान्यवर, शवों को परिजनों को नहीं दिया गया । मान्यवर; अब यह साफ हो गया है कि परिजनों को शव न देना सबूत को नष्ट करना है । आज जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं [× × ×]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो नाली बन्दूक से और धारदार हथियार से मारा गया है ।

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इससे दो अहम सवाल उठ रहे हैं ।

नोट:– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

राम तेज जी बैठ जाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रमोद जी ने सवाल किया उसके बारे में कह रहा हूं कि 4 मरे हैं उनमें विजय पाल के शरीर पर लेसिरेटेड वुंड है, गन शाट नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

लेसिरेटेड वुंड ही गन शाट है। गन शाट अलग नहीं होता है।

श्री हुकुम सिंह–

दूसरे जयपाल सिंह इनके गर्दन पर इनसाइड वुंड है सामने व पीछे की तरफ। सुग्रीव सिंह के शरीर पर गन शाट है, 1.5 × 3 से०मी० का वुंड है और ब्लेकनिंग है। ऐसे ही सत्यवीर के शरीर पर 2 × 2 से०मी० का वुंड लेफ्ट साइड में है और ब्लैकनिंग है। मान्यवर, मुझे भी पता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी न्यायालय में डेड बाडी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हो। हां, फिल्मों में हुआ है। पोस्ट मार्टम के बाद डेड बाडी का दाह संस्कार किया जाता है। यह बात अलग है कि शव उनके परिजनों को क्यों नहीं दिया गया, यह एक ईशू हो सकता है कि गलत नहीं दिया या सही नहीं दिया लेकिन यह कहना कि डेड बॉडी इसलिए नहीं दिया कि साक्ष्य को नष्ट करना चाहते हैं। यह एक नई दिशा और नई जानकारी मिली है।

श्री प्रमोद कुमार–

यह नई दिशा है लाश गायब करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इसमें जो औपचारिकतायें थीं वह पूरी की गई लाश का पोस्टमार्टम कराया गया उसके बाद दाह संस्कार किया गया एक स्थिति आती है कि लाश परिवार जनों को क्यों नहीं दी गयी ? वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई कुछ लोगों ने यह बात कही कि इन लाशों को ले जाकर गांव में अन्तिम संस्कार करेंगे। वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था इसलिए यह आशंका थी कि लाश को ले जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मृतकों के जो संबंधी उपस्थित थे उनको साथ ले जाकर दाह संस्कार किया गया। स्थानीय स्तर पर प्रशासकीय दृष्टिकोण से जो उचित समझा गया वह कार्यवाही की गयी। हमने प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई समझी इसलिये यह कार्यवाही की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुकदमा कायम कर दिया जाए। जांच के आदेश दिये गये हैं। जो अधिकारी बोर्ड आफ रेवेन्यू से नियुक्त किया जायेगा वह कमिश्नर से सीनियर होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अधूरी जानकारी दिये जाने के बाद मुझे बुलाया। एक अहम प्रश्न उठा है कि लाश परिजनों को क्यों नहीं दी गयी ? एक सामान्य सी बात है कि जब लाश मिल जाती है तो परिजन उसको देखकर दुख हल्का कर लेते हैं। उत्तर में यह कहा गया कि इससे उत्तेजना बढ़ती। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से यह कारण नहीं है लाश न देने का। दूसरी बात उन चार मृतकों की जिनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है उनकी मौत का कारण न जानने देने के लिए डी० एम० इस लेविल तक उतर सकता है, पुलिस प्रशासन इस लेविल पर जा रहे हैं शव नहीं सौंप रहे हैं तो डाक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह सदन कैसे विश्वास कर ले जो जिलाधिकारी के नियंत्रण में काम करता है ? यह मांग की गयी थी कि पोस्टमार्टम तीन

डाक्टरों की एक टीम करे वह टीम निष्पक्ष हो उस मांग को क्यों नहीं मानी गयी ? उसके पीछे क्या कारण है ? सरकार यह मान रही है कि इसमें जांच की आवश्यकता है, सरकार यह भी मान रही है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच करा देंगे तो सरकार के सामने क्या परेशानी है, क्या धर्म संकट है वह हाई कोर्ट के वर्तमान जज से क्यों नहीं जांच कराती ? इससे कोई स्वर्ग नहीं आ जायेगा कोई छत नहीं गिर जायेगी । नौ-नौ जानें गई हैं । जिलाधिकारी यह कह रहे हैं कि हमें चाहे जितनी गोलियां चलवानी पड़ें हम लाशों को नहीं सौंपेंगे । चाहे मुझे जितनी गोलियां और चलवानी पड़ें लेकिन मैं लाश नहीं दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात तो कहीं आयी नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे सुनने में दिक्कत हो जाती है । लेकिन यह सम्पूर्ण सदन ने सुना है । यहां इस सदन में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका फिरोजाबाद से निरन्तर सम्पर्क न हो । मेरे मित्र यादव जी ने फोन पर बताया कि वहां का डी० एम० हठधर्मिता पर आमादा है । यहां लाशें इसलिए नहीं सौंपी जा रही हैं क्योंकि उसमें थ्री नॉट थ्री दरोगा की गोली निकलेगी । आप मुझे बता दें कि लाश परिजनों को सौंपे जाने से रोष ज्यादा होगा या न सौंपे जाने से । लाश को गायब कर देना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और निश्चित रूप से उनके ऊपर मुकदमा कायम न करने का क्या औचित्य है ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है कि संतोष अभी जीवित है और नर्सिंग होम में उसकी चिकित्सा का इंतजाम सरकार ने कर दी है । पूरा फिरोजाबाद और टूण्डला इस बात से गुस्से में है कि जो चार पल्लेदार मरे हैं उसमें से संतोष जीवित बच निकला और उसने गांव वालों को बताया कि पुलिसवालों ने उन सबको मार दिया । तो फिर संतोष की गवाही पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गयी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस सम्मानित सदन में सत्ता दल के एक माननीय सदस्य ने शासन के एक प्रमुख सचिव का नाम लेकर कहा कि उन्होंने वहां के लोगों को भड़काया है और यह घटना पहले की है तो क्या सरकार को उस घटना की जानकारी है जिसकी प्रतिक्रिया में प्रमुख सचिव ने लोगों को भड़काने का काम किया ? तीसरी बात यह है कि हम सभी ने कहा कि वह चारों पल्लेदार थे और अपनी रोज की रोटी रोज कमाते थे उन मृतकों के आश्रितों के लिए 10 लाख रुपये की मांग की गयी है तो सरकार को उन्हें 10 लाख रुपये देने में क्या आपत्ति है ? अच्छा यह होता और सरकार की संवेदनशीलता भी इससे झलकती कि जो चार मृतक पल्लेदार हैं और उनके जो आश्रित सरकारी सेवा के योग्य हैं सरकार उनको नौकरी देती तो क्या सरकार उन मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में रखेगी । मैं अपनी बातों पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो संतोष जीवित हैं और पूर्व में कही गयी घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और जो कह रहा है कि चार पल्लेदारों की हत्या पुलिस वालों ने की है और मैं वहां से बच निकला मेरी भी जान वह लेना चाहते थे अब उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना कथन बदले । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इससे ज्यादा पुख्ता आधार क्या मिल सकता है और संतोष के बयान पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, संतोष ने आज तक अपने किसी बयान में किसी भी पुलिसकर्मी को इस घटना के बारे में दोषी नही बताया है और न ही यह कहा है कि इस घटना में पुलिस कर्मियों ने गोली चलायी । मान्यवर, दूसरी बात जो पूछी गयी है कि प्रमुख सचिव का इससे संबंध है सरकार के पास किसी ऐसी

घटना की जानकारी अभी तक नहीं है जिसमें प्रमुख सचिव का सम्बन्ध हो। तीसरी बात यह कही गयी कि मुआवजा दिया जाय, सरकार ने अभी तक जो कार्यवाही की है, दो लाख रुपये देने की उसके बारे में मैंने सदन को जानकारी दे दी है।

*श्री. जगदम्बिका पाल–

. माननीय अध्यक्ष जीं, जब यह प्रकरण उठा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके कहा कि यह घटना गम्भीर है और इस घटना की तथ्यात्मक वास्तविकता की जानकारी करने के लिए हमारे एक वरिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विधायक चक जी को भेजा जा रहा है और दूसरी टीम में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह और डी० जी० साहब का उल्लेख किया गया कि वह भी जा रहे हैं। जो घटना वहां पर हुई उससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और विस्फोटक स्थिति है जिसको लेकर एक उच्च स्तरीय टीम यहां से भेजी गयी, माननीय मंत्री जी ने दो लाख रुपये देने की भी बात कही राजस्व परिषद् से जांच कराने की बात कही और सी० बी० सी० आई० डी० की जांच कराने की बात कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दो टीमें भेजी गयी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी होगी उन दोनों की रिपोर्टों को माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखें कि उन्होंने अपनी क्या-क्या रिपोर्ट दी है? माननीय मंत्री जी इस घटना की निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं हालांकि प्रागदर्शन में उन्होंने कोई कार्यवाही करने जैसी बात नहीं कही है और कई बार इस पीठ से भी कहा गया है कि ट्रांसफर इज नो पनिस्मेंट। आखिर न्यायिक जांच की मांग कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। जब कभी भी इस प्रकार की गम्भीर घटनायें सदन के संज्ञान में आयी हैं तो विपक्ष द्वारा न्यायिक जांच की मांग उठायी गयी है और कई मामलों में सत्ता पक्ष द्वारा मानी भी गयी हैं। यदि वास्तव में निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं, जैसा कि आपने स्वयं भी स्वीकार किया कि अधिकारियों ने लापरवाही की तो यह कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसलिए शासन के अधिकारी भी दोषी हैं। जब लापरवाही प्रागदर्शन में शासन ने मान लिया और यह मानती है कि यह घटना संवेदनशील है तो फिर क्या कारण है कि राजस्व परिषद्, सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराई जा रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय इसके लिए सब लोग चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय। हाईकोर्ट के किसी जज से इसकी जांच करा लें इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। उनकी जो रिपोर्ट होगी उससे हम सब सहमत होंगे। आज आवश्यकता बचाने की नहीं है। ट्रांसफर कर दिया गया यह काफी नहीं है। जैसा कि वक्तव्य हमने पेपर में छपा हुआ पढ़ा डी० एम० का। लाश नहीं दी और एक वक्तव्य यह आया कि प्रमोद जी ने कहा कि गोली चला देंगे लाश बिछा जाने की बात कही। मैं इन सब बातों को नहीं कहना चाहता सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि दो समितियां वहां गई थी और उनकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय और हाईकोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जांच कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक-एक बिन्दु उठा रहे हैं। एक-एक बिन्दु का उत्तर आ रहा है। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यहां पर कहा गया कि दो टीमें गई थीं। यह ठीक है कि दो टीम गई थीं दोनों की रिपोर्ट आयी है। दो टीम हमने भेजी थी। मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कल मैंने कहा था कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीफ सेक्रेट्री गये हैं। लेकिन किसी कारण से वे नहीं जा सके उन्हें कुछ और विशेष काम आ गया था। प्रमुख सचिव और डी० जी० पी० गये थे। आई० जी० अंसारी गये थे। एक डी० आई० जी० विशेष क्लास–4 के अधिकारी हैं दलित वर्ग पर जो उत्पीड़न होता है उसको देखते हैं। दोनों टीमें आ गईं। हमने बैठकर विस्तार से विचार विमर्श किया और उनका जो आंकलन था सारी घटना के बारे में उसकी समीक्षा की गयी और समीक्षा करने के बाद प्रशासनिक रूप से अभी यह उचित समझा जिसमें लाश देने वाला न देने वाला मामला भी है सारी बातों पर विचार करने के बाद समझा कि कहीं न कहीं ढिलाई रह जायेगी, जांच प्रभावित न हो 4 वरिष्ठ अधिकारियों को वहां से हटाने का निर्णय लिया। यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है। आंकलन करके कार्यवाही की गयी है। दूसरी बात आपने जूडिशियल इनक्वायरी के बारे में कही थी। हम सबको मालूम है कि इसमें कितना समय लगता है। वर्षों बीत जाते हैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में। एक प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कार्य होता है। इसलिये हम अभी जो स्थिति बनी है, वरिष्ठ अधिकारी से एक प्रकरण की जांच करा लें कानून व्यवस्था में आखिर क्या कमी रह गयी ताकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि कितना योगदान इस प्रकरण में इस अंश का रहा। राजस्व परिषद् के एक वरिष्ठ सदस्य से इसकी जांच करवा रहे हैं। इसमें न्यायिक जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन को इस रिपोर्ट को जानने का अधिकार है कि नहीं, कृपया यह बता दें। यह निष्कर्ष बता रहे हैं। हम आंकलन जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

उस आंकलन के आधार पर क्या कार्यवाही की, यह इन्होंने बता दिया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने समिति जो गई उसके आंकलन के हिसाब से कार्यवाही क्या की, बताया ? समिति का जो आंकलन आया उसको जानने का अधिकार सदन को है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

उर्मिला जी खड़ी हुई हैं। यह बहुत कम बोलती हैं इनको सुन लें।

श्रीमती उर्मिला देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में आने के बाद क्या इंसानियत खत्म हो जाती है ? टूण्डला में दिल दहला देने वाली घटना हुई सरकार उसको इतने हल्के ढंग से ले रही है जैसे कोई भैंस या गाय मर गई हो, इस समय उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके घर यह घटना घटित हुई है, आप भी मां बहन से पैदा हुए हैं अगर किसी परिवार के चार लोग मारे जाएं उस पर क्या बीतेगी ? क्या सदन में आकर इंसानियत खत्म हो जाती है, उस समय जल्दी में जो बयान दिया जाता है उसके आधार पर एफ० आई० आर० दर्ज नहीं होती है, तीन दिन से एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई है, जो केस है उसके आधार पर एफ० आई० आर० दर्ज होती है मैं आपसे पूछना चाहती हूं यहां पत्थर के इंसान बनकर क्यों बैठे हैं क्या यह मां की औलाद नहीं हैं उनके दिल पर क्या बीत रही है क्या यह उसको नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह से सिरसागंज में सितारगंज में डकैती हुई किसी को नहीं पकड़ा गया जैसे नरभक्षी छोड़ दिये जाते हैं उसी तरह से अभियुक्त छोड़ दिये गये हैं।

श्री हुकुम सिंह–

एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गयी है 141/2000...

(व्यवधान)

302/307 अपराध संख्या–141 मुकदमा दर्ज हुआ है यह पूछा गया कि किसके खिलाफ घटना दर्ज हुई है तो यह तो सी० बी० सी० आई० डी० जांच घटना की करेगी तो पता चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

काजी साहब बहुत दिन बाद खड़े हुए हैं मैं इनको समय दे रहा हूं ।

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

मान्यवर, 1857 की हिस्ट्री उठाकर देखें, बहादुर शाह जफर बीमार हुए, उन्होंने अंग्रेजों से दरख्वास्त की, कि मेरे मरने के बाद में लाश दिल्ली पहुंचा दी जाए । अंग्रेज गवर्नर जनरल ने कहा कि "हिज डेड बाडी इज मोर पावरफुल देन हिमसेल्फ" अंग्रेजी कहावत है "हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ" तारीख अपने को दोहरा रही है, संसदीय कार्य मंत्री अंग्रेज बहादुर के नक्शे-कदम पर चल रहे हैं इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं, होते हैं होते रहेंगे । इस पर क्यों बजिद हैं कि सी० आई० डी० से जांच करा ली जाए, मारा सदन जबकि जज से जांच कराना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज है, पूरी जन भावना है, पूरे सदन की भावना है आप इसमें वोटिंग करा लें, अगर पूरा सदन कहे, जज से जांच करा लें । पोस्टमार्टम कराया गया । एक बार पुलिस से एक आदमी मर गया उसका पोस्टमार्टम हुआ, सहारनपुर में तब हरिद्वार था, हमने कहा, डी० एम०,एस० पी० ने परमिट किया तो दुबारा पोस्टमार्टम हुआ, जब दुबारा पोस्टमार्टम हुआ तो यह पता लगा कि वह पुलिस की गोली से मरा है जबकि पहले रिपोर्ट यह नहीं थी । लाश उनके वारिसों को मिल जाती तो दुबारा पोस्टमार्टम कराया जाता, [× × ×] नहीं चलती । बहरहाल लाश को डिस्ट्राय कर दिया एक अपराध हुआ और दूसरा अपराध यह होने जा रहा है कि उसकी जांच गोलमोल करायी जा रही है । अगर साफ सुथरी छवि की यह सरकार है, संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं और इनकी छवि भी साफ सुथरी है, मैं यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आज यहां पर यह एलान करें कि हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच करायी जायेगी ।

(व्यवधान)

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, इसका जवाब तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका उत्तर दे चुके हैं कि उच्च न्यायालय से जांच कराने में विलम्ब होता है ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी सदन में कहा था कि यह एक गम्भीर मामला है और इस पर सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारे प्रतिपक्ष के जितने सम्मानित सदस्य हैं, जिन लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आने के बाद, उससे एक बात सिद्ध हो रही है कि यह एक गम्भीर घटना है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा भी है बात सही है कई अधिकारी भेजे गये और मंत्रि-परिषद् के कुछ सम्मानित सदस्य भी गये थे, वहां से आने के बाद रिपोर्ट मिली और उस रिपोर्ट का आंकलन करने के बाद कुछ वरिष्ठ अधिकारियों जिसमें डी० आई० जी० भी सम्मिलित हैं उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही थी और उस लापरवाही पर परदा डालने के लिये यह तुले हुए हैं। यह बात सही है कि फायरिंग हुई और एक आदमी मरा, चार पल्लेदार मारे गये। आप कहते हैं कि राजस्व परिषद् के एक सदस्य से इसकी जांच करायेंगे। जब इतना गम्भीर मामला है और जो हमारे टूण्डला के सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने कहा कि एक | × × × | का हाथ है तो इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी सूचना नहीं है।

मान्यवर, जब माननीय सदस्य ने एक बार यह बात कह दी तो वह सदन की प्रापर्टी बन गयी उसको ध्यान में रखते हुए, फिर स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आई० ए० एस० अधिकारी से जांच की बात कहीं जा रही है, सारे लोग वहां पर गये तो फिर ऐसे मामले में एक राजस्व परिषद् के सदस्य के द्वारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है क्योंकि उसी कैडर के लोग हैं। इसलिये हम सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता को विश्वास में लेने के लिए सही वास्तविक तथ्य आ सकें यह राजस्व परिषद् के सदस्य की जांच के द्वारा सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से मेरा निवेदन है इसे सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये, आपके सामने चुनौती है उसको लेते हुए दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके इसलिए इसमें न्यायिक जांच करायी जाय। कल भी जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे थे तो मैंने यह कहा था कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह सदन को विश्वास में लेते हुए क्या मंत्री जी इस मामले की न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब को मैंने बड़े ध्यान से सुना। इसलिये मेरी और मैं समझता हूं कि आपकी भी जानने की यह जिज्ञासा होगी कि जो चार पल्लेदारों की हत्या हुई है उसमें चश्मदीद गवाह श्री संतोष के बयान को लेने की किसी अधिकारी ने कोशिश क्यों नहीं की, यदि श्री संतोष का बयान लिया गया है और इसके साथ ही जो कमेटी वहां गयी थी जिसने यदि संतोष का बयान लिया है तो वह क्या है ?

मान्यवर, श्री संतोष चार व्यक्तियों की हत्या का चश्मदीद गवाह है क्या वह होश में है, यदि हां, तो उसका बयान क्यों नहीं लिया गया, यदि उसका बयान लिया गया है तो उसको छिपाना और बयान को सामने न लाना यह गम्भीर बात है ? इसलिए उसके बयान को क्यों छिपाया जा रहा है ?

मान्यवर, तीसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि जो घटना घटी है जिसका चश्मदीद गवाह श्री संतोष है और उसके बाद प्रशासन ने जो रुख अख्तियार किया और एक व्यक्ति को मार दिया क्योंकि उसे अपनी बात कहने नहीं दिया गया इसलिए क्या लोकतंत्र में किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं होगा ? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जिस नर ब्रितानिया की सरकार के समय में लोगों को गोलियों से भून दिया जाता था उसी तरह आज किया जा रहा है तो क्या ऐसी गोली नहीं आ सकती है कि व्यक्ति की हत्या न हो और वह घायल हो जाय तथा बच जाय ? इस प्रकार इस मामले में न्यायिक

नोट :– | × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जांच का औचित्य बनता है, इसलिये निवेदन है कि आप व्यवस्था दें कि हाईकोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जांच करायें और श्री संतोष का बयान न लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी गम्भीर चर्चा हो रही है । मान्यवर, कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसमें कल की कार्यवाही के पृष्ठ संख्या–53 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है–एक पब्लिक का आदमी पुलिस को इत्तिला देता है कि चार व्यक्तियों की लाशें खेत में पड़ी हुई हैं और अपराध संख्या 141/2000 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह इत्तिला देने वाला व्यक्ति कौन था और वादी कौन है ? वादी है तो अभियुक्त कौन है ? श्री तिवारी जी बोल रहे थे कि गोली से मारा गया और मुकदमा पंजीकृत हो गया ? तो मैं जानना चाहता हूं कि मृतकों के गोली की चोटें हैं, धारदार हथियार की चोटें हैं । मान्यवर, वे आफ मर्डर क्या है ? यह विवेचना का विषय है । लेसिरेटेड वुंड की जो बात है तो वह ब्लंट आब्जेक्ट से आ सकता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथ्यों को दुरुस्त करके पुलिस को बचाना चाहते हैं । आज पूरा प्रदेश इस सदन की ओर देख रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

जो तथ्य थे वे उन्होंने रखे हैं कोई ट्विस्ट करने की बात नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

पहली घटना डकैती की, दूसरी कल की और तीसरी घटना प्रदर्शन में पुलिस की गोली से लोगें मरे हैं उसका भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए । जो फायरिंग हुई है उसका मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए । हमें बताया गया है कि वहां जलाने का काम किया गया है उसका मुकदमा पंजीकृत हो गया है । क्या संतोष का मेडिकल परीक्षण हो गया, वह मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए । क्योंकि वह प्रत्यक्ष गवाह है, क्या उसका बयान लिया गया यदि हां तो क्या है ? यदि नहीं तो उसका बयान स्वच्छंद वातावरण में लिया जाये । पुलिस आज शक के घेरे में है । सदन की भावना है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जो सरकार अपने डेलीगेट्स भेज रही है वहां टूण्डला में वह सही तथ्य नहीं ला पायेंगे । मान्यवर, 4 आदमियों की पुलिस हत्या करती है उनकी लाशें भी उनके परिवार वालों को नहीं दी गई । इससे यह साबित हो जाता है कि वह साक्ष्य मिटाना चाहती है । जो संतोष नामक गवाह है उसका बयान नहीं हो रहा है । वह चीख-चीख कर बता रहा है । वहां के पुलिस कर्मियों ने साक्ष्य मिटाये जान-बूझकर यह सरकार साक्ष्य को खत्म करना चाहती है यह कहना गलत नहीं होगा । इसका तरीका यही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इसकी जांच करवाई जाये और 10 लाख से कम मुआवजा न दिया जाये ।

*श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, टूण्डला में डकैती पर नगला मस्जिद गांव में तीन लोग मारे गये जाम नहीं लगा लेकिन जब बहई गांव और आस-पास के लोगों को मालूम हो गया कि पुलिस के द्वारा चार निर्दोष दलित पल्लेदारों को मार गिराया गया है तब जाम जनता ने आक्रोश में लगाया । जनता को मालूम कैसे हुआ ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह नहीं मालूम होता जनता को अगर कि पुलिस ने उनकी हत्या की और फिर आक्रोश न होता और न जाम लगता । श्रीमन्, संतोष ने जो वहां से गुजर रहा था, कल भी मैंने कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि उस संतोष चौकीदार ने ट्रक से लाशों को डालते हुए देखा और जब उसने टोका कि यह क्या हो रहा है तब उसको भी गोली मार दी गयी । श्रीमन्, पहली बात तो यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बतायी नहीं कि संतोष को गोली कहां लगी, क्या उस खेत के आसपास कहीं खून पाया गया है गोली संतोष को लगी है या खेत में मारी गयी है तो निश्चित रूप से वहां खून पड़ा ही होगा, क्या यह पता लगाया गया, क्या यह कोशिश की गयी कि यह पता लगा लिया जाए कि वहां पर कहां खून पड़ा है, कौन जगह पड़ा हुआ है ?

श्रीमन्, यह सही है कि संतोष ने जिन्दा रहते हुए चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि पुलिस ने चारों लोगों की हत्या की है और उससे आक्रोशित होकर जनता ने जाम लगाया और अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं जाम में बहुत से लोगों ने आपराधिक कार्य किया है जिनको जेल में डाला गया है, बन्द किया गया है उनको छोड़ने का प्रश्न नहीं । श्रीमन्, उन्होंने आपराधिक कार्य किया है जाम लगाया, हमारे विधायक चक साहब ने कहा कि विरोधियों ने जाम लगाया उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी नहीं था और था तो वह दलितों की हत्या से समझता था कि बहुत अच्छा हो गया । यह ठीक भी हो गया जो हत्या हो गई । क्योंकि ऐसी मान्यता वाला और कोई नहीं हो सकता । इन तीनों के अलावा यह तथ्य निश्चित है कि संतोष चश्मदीद गवाह चिल्ला-चिल्ला कर उसने कहा और उसके कहने पर जनता ने जाम लगाया तो उनको जो जेल में डाला गया है उनको तुरन्त रिहा किया जाय और अगर उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया तो फिर डी० एम० के खिलाफ और गोली चलाने वाले के खिलाफ़ भी जिसमें एक व्यक्ति मरा है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और इसलिये होना चाहिए क्योंकि गोली उन्होंने चलवाई अगर जनता आक्रोशित थी और जाम लगा दिया तो गोली चला दी गई यह कोई चीज नहीं है निरीह लोगों की हत्या हो गई यह बहुत बड़ा दोष है । डी० एम० और दूसरे लोगों के खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए । श्रीमन्, पहली बात तो इससे स्पष्ट होती है कि पुलिस के द्वारा ही हत्या हुई और दूसरी बात यह कि पोस्टमार्टम के बाद जो लाशों को उनके परिवारजनों को नहीं दिया गया, उनको गायब कर दिया गया, जला दिया गया, यह क्या कर दिया गया, एक जघन्य अपराध डी० एम० ने किया पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया वह भी जघन्य अपराध है और उसके खिलाफ भी इस अपराध के खिलाफ भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए ।

तीसरी बात, जो 2-2 लाख रुपये सहायता के लिये दिये गये हैं, वह बहुत कम है । जिस तरह निरीह लोगों की हत्यायें हुई हैं, उससे उनके परिवार नष्ट हो गये हैं, उनकी भविष्य की आशाओं, आकांक्षायें धूल-धूसरित हो गई, उनको 10-10 लाख की सहायता दी जाय और उनके परिवार में जो भी पत्नी या बच्चा योग्य हो, उसके अनुसार कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाय । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और जैसा भारतीय जनता पार्टी विधायक चक साहब ने कहा है और हम सब लोगों ने भी कहा है, इसकी जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाय । अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । श्रीमन्, यह सरकार भी मान चुकी है कि इस काण्ड में पुलिस का हाथ है और अधिकारियों ने इसमें शह दी, उनका इन्वाल्वमेंट है, इसलिये जो चक साहब ने कहा है, उसका कंट्राडिक्शन टीम में साथ गये राजस्व मंत्री ने नहीं किया है, इसलिये यह सारी बातें सत्य हैं । जिनके प्रमाण भी मैं दे चुका हूं। बिना हाईकोर्ट के जज के डी० आई० जी०, डी० एम, एस० पी० के खिलाफ सही जांच हो ही नहीं सकती । मैं बड़ी मजबूती के साथ यह मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि हाईकोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाय, यही मेरा आपसे निवेदन है ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सारी बातें सदस्यों ने बहुत विस्तार से कह दी हैं । यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, 1/2 की रात में 4 दलितों की जो हत्यायें हुई हैं, वह पुलिस की गोली से मारे गये हैं। इस संबंध में सरकार ने दो टीम वहां भेजीं, उस टीम में सम्मानित विधायक भी गये थे, उन्होंने सदन के सामने अपना बयान दिया । उनके बयान से स्पष्ट है कि डी० एम० ने उनके परिवारजनों को लाशें नहीं दी और लाश को गायब किया । संतोष जो अस्पताल में भर्ती है, पुलिस जिस तरह से साक्ष्य मिटाने का काम कर रही है, उसके हिसाब से संतोष की जान को खतरा है, उसके जीवन की सुरक्षा की सम्पूर्ण गारन्टी होनी चाहिए । संतोष जीवित है, यह टीम उससे मिली कि नहीं और संतोष से बयान लिया कि नहीं ? वह स्वयं साक्षी है, अगर वह बेहोश है तो कोई बात नहीं, यदि वह होश में है तो उसके बयान के आधार पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए । वह कह भी रहा है कि पुलिस की गोली से दलित मारे गये हैं । हमारे सम्मानित सदस्य ने भी कहा है कि वहां दहशत का वातावरण है, जनता में भारी आक्रोश है और दलित आबादी के लड़के परीक्षा देने नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, मेरा आपसे यह कहना है कि मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख की सहायता की जो बात कही गयी है, उसके संबंध में पूरे हाउस की मांग है कि 10-10 लाख रुपये की सहायता दी जाय साथ ही परिवार के एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जाय । संसदीय कार्य मंत्री पुलिस को बचाने के लिए सी० बी० सी० आई० डी० की बात कर रहे हैं, कहीं राजस्व अधिकारी की बात कर रहे हैं । इतने बड़े गम्भीर मामले में राजस्व अधिकारी से किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती । आप विद्वान हैं, विधि के आप जानकार हैं । आप से मेरा अनुरोध है कि सारे विपक्ष, सम्पूर्ण विपक्ष के साथियों की भावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान मान्यवर, आज आपकी तरफ लगा हुआ है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इतने गम्भीर घटना में इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। हाईकोर्ट के किसी जज से जांच करायी जाये । यह गम्भीर मामला है । आप सरकार को निर्देश दें, और संसदीय कार्य मंत्री जी आप से मेरा अनुरोध है कि इसमें किसी प्रकार की कोताही न हो ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कल संसदीय कार्य मंत्री ने इसी सदन में इस बात को कहा था कि हमने टीम भेजी है और दो टीम भेजी हैं, एक अधिकारियों की टीम है और दूसरी टीम भेजी है उसमें मंत्री और सदस्य शामिल हैं और इस बात की चिन्ता जाहिर की थी, जो तथ्य उनके सामने थे और जो तथ्य विपक्ष की तरफ से आये थे कि उनकी हत्या 10 बजे बुलाकर और करेन्ट लगाकर की गयी और डकैती 3 बजे, साढ़े तीन बजे की है तो मान्यवर, इन्होंने कहा था कि इंयूरेशन, कब हत्या हुई है, इससे और बातें स्पष्ट होंगी कि 3 बजे, 3.20 के पहले की हत्या है या बाद की है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी होगी, आपके अधिकारी गये थे, जानकारी हासिल की होगी तो उसका इंयूरेशन कब का है और जो विसरा लाशों का है, वह भेजा गया है कि नहीं, इससे भी इंयूरेशन की जानकारी होगी । जो आपने एफ० आई० आर० का जिक्र किया है, वह एफ० आई० आर० किसकी मुद्दैयत पर दर्ज हुई है ? क्या यह इसी आधार पर दर्ज कर ली गयी है या जिस परिवार के लोग मारे गये हैं, उन लोगों की मुद्दैयत पर हुई है । जो एक कहावत है कि साक्षी झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकतीं और उसकी मुद्दैयत पर एफ० आई०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आर० क्यों दर्ज नहीं हुई एक जो बचा हुआ है, जिसको चोटें लगी हुई हैं, संतोष को, मैं दोहराना नहीं चाहता ।

तीसरी चीज जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 2-2 लाख रुपये जो मरे हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है । आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जो हत्या होती है तो उसके परिवार को डेढ़ लाख रुपये पहले और 50 हजार रुपये जब चार्जशीट लग जाती है, तब मिल जाता है, तब आप कौन सा नया काम कर रहे हैं ? जो परिस्थितियां हैं वह मैंने कहा । इसमें 8 लोग मरे, 3 डकैती से मरे, मुस्लिम समाज के लोग थे उन्हें आपने पैसा नहीं दिया है, चार लोगों को आप पैसा दे रहे हैं । इससे कहीं न कहीं आपके दिल में चाहे कमेटी की रिपोर्ट हो या अधिकारी की रिपोर्ट, इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासन तंत्र दोषी है, उनके द्वारा यह हत्यायें हुई हैं । पैसा देने की बात कर रहे हैं, इनको देने की बात कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं, यदि डकैतों द्वारा मृत्यु हुई है जो मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं और इनको दे रहे हैं । निश्चित तौर पर इससे यह बात निकल आती है, यह बात आपके दिमाग में है, आपको सच्चाई का पता है कि यह हत्या पुलिस के द्वारा की गयी है । इससे एक चीज और पुष्ट होती है कि जब लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें लाश दे दी जाए, डेड बाडी दे दी जाए, उसको भी नहीं दिया गया, आखिर क्या कारण है ? आपके मन में शंका नहीं है, आपके प्रशासन के मन में शंका नहीं तो उनकी डेड बाडी उनके परिवारजनों को क्यों नहीं सौंपी गयी ? यह कोई कहानी जरूर कहती है । परिस्थितियां अपने आप कहती हैं कि निश्चित तौर पर शव परिवारजनों को न देकर इविडेंस को समाप्त करने की कोशिश की गयी है जो इस बात का सबूत है । कल आपने बड़ी शालीनता और जोश-खरोश से कहा था कि बोर्ड बना दिया है और एक डाक्टर जांच नहीं करेगा बल्कि बोर्ड जांच करेगी, वह कौन सा बोर्ड था ? जो बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया उसकी रिपोर्ट में क्या गनशाट इन्ज्यूरी नहीं है, क्या उसमें जो इन्ज्यूरी आयी है वह किस तरह की इन्ज्यूरी है यह जरूर आया होगा कि कॉज आफ डेथ क्या है ? इसका आपने भी परीक्षण किया होगा । जब आपने कहा था कि सारे तथ्यों के आने के बाद अवगत करायेंगे । मैं समझता हूं कि यह सदन की प्रापर्टी बनी हुई है और यह सदन जानना चाहेगा कि 4 लोगों की जो बोर्ड थी उसमें कौन-कौन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था, उनकी क्या रिपोर्ट है । जो परिवारीजन हैं उनकी मद्दैयत पर एफ० आई० आर० क्यों नहीं कायम हुई । संतोष जो जीवित है उसका आपने बयान लिया ? जिलाधिकारी के आदेश पर वहां गोली और लाठीचार्ज किया गया वहां एक आदमी मर गया तो निश्चित रूप से इसमें जिलाधिकारी भी दोषी नजर आते हैं । इसकी जांच कौन करेगा ? उसी आई० ए० एस० कैडर का एक अधिकारी जो उससे थोड़ा सा बड़ा या छोटा होगा ।

मान्यवर, अगर आप निष्पक्ष इन्क्वायरी चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इसकी जांच हाईकोर्ट के किसी जज से कराने में । मैजिस्ट्रेट से जांच तो स्वाभाविक है कि होगी ही और कोई पी० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसर ही करेगा । इतनी बड़ी घटना हो गयी । कल आपकी जो संवेदनशीलता मुझे दिखायी दे रही थी उसी संवेदनशीलता और निष्पक्षता के तहत अगर आप चाहते हैं तो जुडीशियल इन्क्वायरी करायें । 3-4 बिन्दु मुझे जो खटके हैं मैं चाहूंगा कि उसे भी स्पष्ट करें ताकि पूरा सदन आपका और सरकार की निष्पक्षता और इस घटना के बाबत आपके द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में आश्वस्त हो सके । ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कल एक तार जो वहां से आया था उसे संसदीय कार्य मंत्री जी को दिया था । राजेश कुमार वल्द दयाशंकर शिकोहाबाद का रहने वाला है । आपके संज्ञान में आया है कि उसने खुद कहा है कि 1-2 की रात में इन-इन लोगों की 4 लाशें मिली हैं । उनको गांव से उठा लिया गया । इस पर मुझे इतना कहना है कि माननीय नेता विरोधी दल ने आपके सामने संज्ञान में ला दिया

यह बात कही गयी थी कि लाशों को परिजनों को दे दी जाएंगी । यह जो तार मुलायम सिंह जी के नाम वहां के लड़के ने किया है इसमें दिया हुआ है कि पुलिस हमको लाशें नहीं दे रही है,लाठी चार्ज कर रही है यही बात नेता प्रतिपक्ष ने कही थी लेकिन बाद में कौन सी दिक्कत आ गयी कि लाशों को परिजनों को नहीं दिया गया इनको शक था कि लाश दे दी गयी तो बाद में पोस्टमार्टम हो सकता है और सरकार और उसके अधिकारी कटघरे में खड़े हो जायेंगे । जो चौकीदार है उसको कहां रखा गया अभी तक आपने नहीं बताया ? जब डी० एम०_ने गोली चलाने का आदेश दिया तो उसमें एक और मृतक हुआ है तो इस संबंध में एफ० आई० आर० डी० एम० के खिलाफ लिखी जानी चाहिए तबादला जो किया गया यह कोई पनिशमेंट नहीं है । न्यायिक जांच जब तक नहीं हो जाती है तब तक अधिकारियों का मनोबल इसी तरह बढ़ता रहेगा । सदन की सर्वदलीय समिति क्यों नहीं भेजी गयी ? मिश्रा जी बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं भेजा गया ? गृह मंत्रालय इनके पास है इनसे भी छिपकर काम किया जा रहा है । विधायक मंत्री जहां उद्घाटन करने जाते है ।

श्री अध्यक्ष–

वह दूसरी बात है ।

श्री हुकुम सिंह–

कुछ बिन्दुओं के बारे में जो जानकारी चाही गयी है मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा । श्री वर्मा जी ने जो विद्वान सदस्य हैं एक मौलिक सवाल उठाया विसरा भेजा गया या नहीं भेजा गया । जहां मरने का कारण स्पष्ट नहीं है वहां पर विसरा रखा जाता है और परीक्षण के लिये भेजा जाता है । यह जो चार मृतक हैं इन चारों मृतकों के मरने का कारण स्पष्ट है किस कारण से यह मरे हैं यह इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । दूसरा सवाल उठाया गया कौन डाक्टर थे ? तीन डाक्टरों का पैनल बनाया गया था मिलकर पोस्टमार्टम किया गया । एक सवाल वर्मा जी ने बहुत गम्भीरता से पूछा था कि संतोष इसमें प्राइम विटनेश है चौकीदार था कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उसको कहां ले गये ? संतोष को इन्जर्ड हालत में जख्मी हालत में उसके परिवार वाले पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गये वहां उन लोगों ने मना कर दिया कि इसका इलाज नहीं करेंगे कहीं दूसरी जगह ले जाएं फिर गोयल नर्सिंग होम आगरा में है । वह गोयल नर्सिंग होम में दाखिल था जो आगरा में है । हमने आगरा के एस० एस० पी० को आदेशित किया कि आप वहां जायं और संतोष जो भी जानकारी दे उसे लें । संतोष ने बताया कि "मैं अपनी फैक्ट्री से ड्यूटी के बाद ग्राम बसई की ओर जा रहा था तब कुछ व्यक्तियों द्वारा लूट की नीयत से मुझे मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया और मेरे पास 10 रुपये जो थे वह वे लोग छीन कर ले गये ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह ठीक नहीं है । अगर ऐसा होता तो जाम क्यों लगाते वहां के नागरिक ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

यह रिपोर्ट तो मनगढंत है ।

श्री अध्यक्ष–

पत्रावली के तथ्य तो आ जाने दीजिए । आप कहीं नोट कर लें इसके बाद अपनी बात कह लीजिएगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं वही बात कह रहा हूं जो मुझे जानकारी में आया है । जो जांच वहां बैठाई गई है वह यह जांच करेगी कि यह बयान सही है या नहीं इससे पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है । संतोष के शरीर पर कोई गनशाट नहीं है । तीनों मृतकों की मेडिकल रिपोर्ट मैं पढ़े देता हूं पहले है श्री सुग्री

सिंह–"एन्टी बाटम इन्जरीज गन शाट बीन 3×1$\frac{1}{2}$ सेन्टीमीटर इररेगुलर केविटी डीप सिटुएटेड बिगनिंग आफ ईयर, एक्सरे हेज बीन डन फॉर बुलट देयर इज नो एविडेंस ऑफ मेटेलिक डेंसिटी, एन्टी बॉटम इन्जरीज आफ स्कल डीप", बाई तरफ । दूसरे हैं जय पाल–"इंसीज्ड बोन प्रेजेन्ट इन दं फ्रंट ऑफ नेक इन बिटवीन चिक साइज 5 × 1.5 सेन्टीमीटर डीप देयर इज डेमेटिक स्वेलिंग इन बिटवीन, इन द ईयर आफ 30×18 सीएम । इनसाइट बोन प्रेजेन्ट ओवर फ्रंट आफ नेक इन बिटवीन चिन इनसाइड बोन साइज 6×1.5 सी०एम० स्कल डीप ।" सत्यवीर–"गनशॉट बोन्ड ऑफ इन्टरीज साइज 2×2 सीएम केविटी डीप सिटुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ बिलो आई ।" उनका उल्लेख मैंने कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

दो गो गन शॉट, एक का गला रेता गया है ऐसा लगता है एक को पीछे से चोट है ।

श्री प्रमोद कुमार–

दो को गन शॉट है । चलो एक की गन शाट निकल गयी, जिसकी नहीं निकली उसके उसमें कौन से बुलेट पायी गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नहीं पायी गयी । एक का जो गन शाट बुंड है सुग्रीव सिंह का, उसका एक्स-रे किया गया, कोई मैटेलिक प्रजेन्स उसके शरीर में नहीं पाया गया । मैं उस पर बहस में नहीं पड़ना चाहता, वह खुद एक्सप्लेन हो रहा है । माननीय श्री तिवारी जी उच्च कोटि के वकील हैं, मैं उन्हें चुनौती नहीं देना चाहता हूं । मान्यवर, यह बात बार-बार रिकॉर्ड में आ रही है कि पुलिस के खिलाफ एफ० आई० आर० क्यों नहीं की गयी ? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पक्ष की जांच चल रही है और अभी तक किसी भी साक्ष्य के आधार पर मय संतोष कोई ऐसा मामला नहीं आया, जिसमें किसी को नामित किया जा सके । जब जांच हो जायेगी, जांच के बाद जो सही कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

मान्यवर, जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कही जा रही है, हमने इस पक्ष का भी परीक्षण किया और विस्तार से किया । न्यायिक जांच पहले भी होती रही हैं और सदन में घोषणायें भी होती रही हैं परन्तु इसमें बहुत लम्बा समय लग जाता है और उसकी सारी व्यावहारिकता समाप्त हो जाती है । इसी कारण इसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी से कि कानून-व्यवस्था में कोई ढिलाई तो नहीं हुई और यदि हुई है तो उस ढिलाई के लिये कौन जिम्मेदार है आदि, जब वह रिपोर्ट आ जायेगी तो जो लोग दोषी होंगे तो उसके आधार पर कार्यवाही होगी । जहां तक जांच के प्रभावित होने का प्रश्न है, इसीलिये इन अधिकारियों को वहां से हटाया गया है । एक सीमित बिन्दु रह गया है और 4 मृतकों के जो शव मिले हैं, उसमें मुकदमा कायम करके सी० बी० सी० आई० डी० से अलग से जांच करायी जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

दो लोगों को गन शाट की बात सरकार ने स्वीकार की है । चलो एक की तो एक्जिट हो गयी परन्तु जिसकी एक्जिट नहीं हुई और पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ट्रेस हुआ होगा कि गोली कहां पर लगी और शरीर में कहां पर है । वह पुलिस की गोली से मरा या किसी अन्य की गोली से मरा । इनसाइज बोन्ड तो पुलिस नहीं करेगी । गन शाट से बुलेट का जो स्पेस है । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह किसी दरोगा की रिवाल्वर से निकली हुई है या किसी सिपाही की राइफल से निकली हुई है तो वह ट्रेस हो जायेगी । किसी ने पास से मारा है तो वह ट्रेस हो जायेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि उसमें ब्लैकिंग भी है, टौटरिंग भी है । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है पोस्टमार्टम कैसा करवाया कि यह गोली नहीं मिली । यह गोली नहीं ढूंढ पा रहे हैं । मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इस रिपोर्ट से संदग्धि हो जाता है । एक आदमी को गोली लगती है और वह किसी

ऐसे अंग में नहीं नहीं कि निकाली न जा सके । वह गोली क्या उड़ गई या तो बाहर निकल जाय अगर सिर के अन्दर है तो मिलनी चाहिए । यह तो पता चले कि वह प्वाइन्ट टू-टू की है या राइफल, बन्दूक की या फिर छर्रा है । इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संतोष का 164 कलमबन्द बयान करने में प्रशासन को क्या दिक्कत है । जो भी वह कह रहा है अगर बयान देने के काबिल है तो 164 में कलमबन्द बयान मजिस्ट्रेट क्यों नहीं ले रहे हैं ? सब कहते हैं कि कार्यवाही हो लेकिन यह कहते हैं पंचायत होगी पंचायत का कहना मानेंगे लेकिन नाला नहीं गिरेगा । इनको क्या दिक्कत है हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराने में । सरकार तो दोषी नहीं है हां सरकार दोषी बन रही है दोषी लोगों को बचाने की कोशिश करके । आपसे प्रार्थना है कि सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए यह जांच करायें कि गोली कहां है, उसका आकार प्रकार क्या है, वह किसी पुलिस की है या किसी अपराधी की है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जुडिशियल इनक्वायरी हम बिठायेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाता है निर्णय होने में । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उसमें एक समय सीमा बांध दें कि दो-तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपको याद होगा लिबरहान कमीशन सन् 92 में बना, अब सन् 2000 आ गया । उसकी समय सीमा बांधी गयी थी । बार-बार यदि उसको बढ़ाये जाने का माननीय न्यायाधीश द्वारा अनुरोध होगा तो सरकार उसको अस्वीकार नहीं कर सकेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उसमें भारत के गृह मंत्री और मुख्य मंत्री की भी जांच होनी है । मान्यवर, इस प्रकरण के बारे में जैसा कि माननीय राम नरेश जी ने कहा है कि समय सीमा बांध दें । 3 महीने, 6 महीने एक साल जितना समय लगे लेकिन कम से कम रिपोर्ट तो सही आये वह चाहे जो भी समय लगा लें । आप आज तय कर लीजिये कि आज के बाद इसकी मांग नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष–

अनेक बार इस तरह की जांच की मांग हुई है और स्वीकार भी हुई है और अस्वीकार भी । एक बिन्दु जिस पर बल दिया गया है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह जिज्ञासा प्रकट की है कि कुछ निर्दोष लोग बन्द कर दिये गये हैं इसकी आप एक-दो दिन में प्राथमिक समीक्षा करा लें, जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है वह निर्दोष हैं तो उनको जल्द से जल्द छुड़वा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपको आश्वस्त करता हूं दो दिन में परीक्षण कराकर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

बी० आर० वर्मा जी ने कहा कि डेढ़ लाख रुपया ऐसे ही मुआवजा मिल जाता है । चार्जशीट के बाद 40 हजार मिल जाता है तो दो लाख मुआवजे की धनराशि बढ़ा दी जाए । इस पर विचार कर लिया जाए । मरने वालों की उम्र कोई 35 वर्ष कोई 20 वर्ष की है पूरा जीवन था अगर कोई मोटर एक्सीडेंट होता है तो उसके बीमे में भी 3-4 लाख रुपया होता है, अगर औसत 100 रुपया प्रतिदिन की आमदनी मानें 50 रुपया प्रतिदिन अगर वह खर्चा करेगा तो भी दो लाख की रकम मिल जायेगी । तिवारी जी ने एक बात उठायी कि एक गोली निकल गई, एक है । हालांकि सदन इन्क्वायरी कमीशन नहीं है लेकिन जिज्ञासा प्रकट की गयी कि उसका साइज क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

गन शूट सुग्रीव सिंह के बारे में है, "गन शूट बुंड साइज थ्री सेन्टीमीटर इन टू डेढ़ सेन्टीमीटर इररेगुलर कैबिटी डीप सिचुएटेड आन बैक आफ (एल) पिन्ना आफ दि इयर ब्लौकिंग एण्ड टैटरिंग पोस्ट ब्रोकेन मैनडेबिल इन मिड लाइन क्लाट्स प्रजेन्ट इन फ्लोर आफ द माउथ। वुंड प्रजेन्ट इर्न फ्लोर आफ माउथ साइज थ्री इन टू डेढ़ सेन्टीमीटर, एक्सरे हैज बीन डन फार बुलेट," इसमें दूसरी तरह से कहने की स्थिति नहीं है जो चोट लगी है मुंह से होती हुई निकली है,

(व्यवधान)

दूसरी बात कही तो डाक्टर ने प्रिकाशन लिया तीन डाक्टर की टीम थी सारे शरीर की जांच की गई। मैटल की प्रजेन्स है या नहीं, इसको.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसकी जांच इक्विटेबुल हो जाती

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

गोली का न मिलना, इसका मतलब है जुडीशियल जांच होनी चाहिए। जुडीशियल से कम जांच पर विपक्ष तैयार नहीं है। जुडीशियल इन्क्वायरी हो हाईकोर्ट के जज से इन्क्वायरी हो जाए, जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने अवगत कराया इस संबंध में मुकदमा कायम हो चुका है तो कई माननीय सदस्यों ने इस बात की जानकारी चाही है कि इसमें वादी प्रतिवादी कौन है मुल्जिम कौन है दूसरी चीज सभी माननीय सदस्यों ने पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग इसलिए की है चूंकि यह मामला बहुत गम्भीर हो गया है और इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इनवाल्व्ड है और चूंकि यह जो जांच राजस्व परिषद् के एक माननीय सदस्य के द्वारा कही जाने की बात कही गयी है और डी० एम०, कमिश्नर या फिर एस० पी०, डी० आई० जी० के खिलाफ जांच होनी है जो कि इनके समकक्ष अधिकारी होते हैं इसलिए यह जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिये आवश्यक है कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाय। दूसरी चीज जैसा आपने निर्देश दिया कि जब अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना में मारा जाता है तो प्रदेश सरकार दो लाख रुपया देती है जिसमें डेढ़ लाख रुपया पहले और पचास हजार रुपया बाद में दिया जाता है। वह दो लाख रुपया अब सरकार ने देने की घोषणा की है तो यह कौन सी कृपा कर रहे हैं ? जब आपने इंगित किया, हमारे साथियों ने इंगित किया तब यह दे रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने तथा माननीय सत्ता पक्ष के एक सदस्य, श्री शिव सिंह चक ने भी कहा कि पांच लाख की उन्होंने मांग की, हमारे साथियों ने कहा कि दस लाख दिया जाय तो क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां घोषणा करेंगे कि कितना रुपया वे देंगे ?

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, [× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अभी तक एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई तो इसका क्या कारण है । शिव सिंह चक द्वारा यह कहा गया कि वहां के जिलाधिकारी ने कहा कि हम लाश को उनके परिजनों को नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाय ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाते रहे)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 301 ले रहा हूं ।

आज दिनांक 4 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद इलाहाबाद की ग्राम पंचायत डेवरी बरहा गांव के कोल समुदाय के लोगों पर थाना खीरी के थानाध्यक्ष द्वारा किये गये उत्पीड़न की राजस्व परिषद् के सदस्य द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट देने एवं कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृपाल–

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के थाना खीरी ग्राम पंचायत हेवरी बरहा गांव के कोल समुदाय के लोगों पर थाना खीरी की पुलिस थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के कोलों के ऊपर किये गये उत्पीड़न के सवाल पर विधान सभा के अन्दर उठाये गये प्रश्न नियम 56 के अन्तर्गत जिसमें यह आदेश किया गया था कि राजस्व परिषद् के सदस्य से जांच कराई जायेगी 25 फरवरी को जांच कराने कोरांव गये थे, आज तक जांच की कार्यवाही क्या हुई ? यह जानकारी नहीं दी गयी, न तो अभी तक कोई कार्यवाही ही की गयी, जिसका परिणाम यह है कि आये दिन मेरे साथियों को राजेश चौरी अपमानित करने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को दिया गया है । ऐसी स्थिति में आपसे आग्रह है कि जांच रिपोर्ट की एक कापी मुझे दिलायी जाये और कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।]

जनपद मथुरा के मथुरा ब्लाक प्रमुख द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण तथ्यों को सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक समझता हूं ।

मथुरा जनपद के ब्लाक मथुरा की प्रमुख वर्तमान द्वारा ब्लाक पर खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसके कारण अधिकारी एवं कर्मचारी बेहद परेशान हैं । अनैतिक एवं नियम विरुद्ध कार्य ब्लाक

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रमुख द्वारा कराया जा रहा है अपने चहेते लोगों को ही ब्लाक के द्वारा होने वाले कार्यों की मानकों को नजरअंदाज करके किया जा रहा है तथा मोटा कमीशन भ्रष्टाचार के तहत लिया जा रहा है प्रारम्भिक स्थिति में तो गाड़ी में टायर ट्यूब जितने में भी डलवाये गये । सरकारी कार्य स्वयं अपने घर पर पत्रावलियों की मांग कर उनके पति द्वारा किया जाता है पति ही ब्लाक में ब्लाक प्रमुख को कुर्सी पर बैठ सरकारी कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है । ब्लाक की बैठकों में पति ही स्वयं बी० डी० सी० और प्रधान न होते हुए भी भाग लिया है जिसके कारण क्षेत्र पंचायत सदस्यों ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख ब० बृजेन्द्र सिंह एवं कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख हरदेव शर्मा द्वारा भी प्रस्ताव रखकर विरोध किया गया तथा क्षेत्रीय पंचायत समिति की बैठकों में हंगामा किया गया । क्षेत्र समिति के धन को बिना सहमति के आधार पर तानाशाही के आधार पर किया गया है जिसने विरोध किया तो उसे छेड़छाड़ एवं बलात्कार की रिपोर्ट की धमकी देकर फंसाने का भयभीत किया गया । अधिकारी कर्मचारी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य काफी परेशान हैं धन का दुरुपयोग हो रहा है साथ ही असामाजिक तत्वों को अपने साथ लेकर भयभीत आम बात है ।

अतः–आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि मथुरा जनपद के मथुरा ब्लाक प्रमुख श्रीमती पुष्पा प्रकाश के सम्पूर्ण कार्यकाल की समस्त वित्तीय अनियमितता एवं कार्यों की आर्थिक अपराध शाखा से विशेष निर्देश स्थानीय विशेषकर सभी दस्तावेजों की जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय कानून एवं प्रभावित में सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें ।]

दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रूप चौधरी–

[महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाले दिल्ली यमुनोत्री मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह मार्ग दिल्ली से चलकर हमारी संस्कृति एवं भावनाओं के केन्द्र यमुनोत्री तक जाता है इस मार्ग पर केदारेनाथ तथा हरिद्वार जैसे तीर्थ, तथा देहरादून मसूरी जैसे पर्यटक स्थल,सहारनपुर, खेकड़ा (बागपत) जैसे निर्यात केन्द्र अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक, स्थल पड़ते हैं प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में विदेशी खरीदार, पर्यटक इस मार्ग से होकर उत्तराखण्ड के मनोरम तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों को जाते हैं । विदेशी खरीदार जिनमें मुख्यतः अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया है इस मार्ग सें होकर गुजरते हैं । यह मार्ग देश की सीमाओं से जुड़े कई सामरिक महत्व के स्थानों से भी जुड़ता है । वर्तमान में राजकीय राजमार्ग होने के बावजूद भी इस मार्ग की दशा जर्जर है । विदेशी खरीदार यहां मार्ग ठीक न होने के कारण चाह कर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे सीधा इसका दुष्प्रभाव यहां के उत्पादकों एवं निर्यातकों पर पड़ रहा है ।

अतः मेरी आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना है कि उ० प्र० सरकार को शीघ्र ही एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए ताकि इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर विकसित किया जाय, जिससे इस प्रदेश के व्यापार यहां के निवासियों की धार्मिक भावनाओं तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले ऐतिहासिक नगरों का स्वरूप बरकरार है ।]

नोट :– | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में गड़रिया से यहावीरन डेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में गड़रिया से यही वीरन डेरा सम्पर्क मार्ग जो जनपद हमीरपुर के कैथी गौहर, धुन्धपुर व अतरइया आदि ग्रामों को जनपद बांदा से जोड़ता है के निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 1998-99 में 11.50 लाख रुपया व वर्ष 1999-2000 में 5.00 लाख रुपया लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा अवमुक्त होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। सड़क का निर्माण न होने से उक्त ग्रामों का सम्पर्क बरसात के महीने में पूर्णता टूट जाता है। ग्रामवासियों को मरीज लेकर अस्पताल पहुंचना मुश्किल रहता है। जनता की मांग पर सरकार द्वारा 16.50 लाख रुपया प्रदान करने के बाद भी निर्माण कार्य न होने से निराशा व्याप्त है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें। |

जनपद मुरादाबाद के विद्युत सब स्टेशन ताहरपुर एवं मैनाठेर के विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सम्बन्धित किसानों को विद्युत आपूर्ति में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन–

[महोदय, विकास खण्ड कुन्दर की जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन ताहरपुर व मैनाठेर से सम्बन्धित किसान सम्बन्धित विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विद्युत आपूर्ति से वंचित रहते हैं। इस कारण किसानों का आरोप है कि मामूली फाल्ट ठीक न होने में एक-एक सप्ताह भी लग जाता है। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी शिकायतों को गम्भीरता से नहीं लिया विवश होकर क्षेत्र के हजारों किसानों ने दिनांक 30 अप्रैल, 2000 को थाना मैनाठेर के ग्राम डींगर पुर चौराहे पर विशेष प्रदर्शन करते हुए धरना दिया जिससे लगभग दो घण्टे यातायात बाधित रहा और अपर पुलिस महानिरीक्षक के इस आश्वासन पर कि वह शीघ्र उक्त समस्या का समाधान करायेंगे समाप्त हुआ। यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व की भांति ही समस्या के प्रति उदासीनता दिखायी तो स्थिति भयावह हो सकती है। क्योंकि अधिकारियों की इसी कार्यशैली के चलते ही उनके प्रति किसानों में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर में रायगंज सेनपुर सम्पर्क मार्ग पर लेपन कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मराज निषाद–

[महोदय, जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत रायगंज सेनपुर सम्पर्क मार्ग से पहुंती एवं बीर सिंहपुर सरैया ग्राम पंचायत के लिए लगभग 3 वर्षों से लेपन कराने हेतु स्वीकृत

नोट :– | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इसी रास्ते से पहुंची वीरसिंह, काछा, चचिकपुर, हृदयापुर, अलवयती सरैया, भटौली आदि ग्राम पंचायत की जनता तथा सया डिग्री कालेज एवं इण्टर कालेज के छात्र/छात्राओं को आना जाना पड़ता है मार्ग का निर्माण न होने से इस क्षेत्र की जनता का संबंध तथा छात्र/छात्राओं का विद्यालय से सम्बन्ध ट जाता है। गिट्टियों की कुटाई न होने के कारण आज भी क्षेत्र की जनता इस मार्ग से नहीं आती ना सड़क का बनना लोक हित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके द्वारा शासन को शीघ्र लेपन कार्य कराने का आदेश देने की कृपा करें। |

मुरादाबाद मण्डल में प्रोजेक्ट योजना में की गयी धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार एवं सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोकहित के प्रश्न को लाते हुए तत्काल उचित कार्यवाही की मांग करता हूं। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार हथकरघा वस्त्रों का क्रय केवल हैण्डलूम निगम व यूपिका से करेगी। अब तक लगभग आठ करोड़ की खरीद हथकरघा विभाग से सरकार ने की है। लेकिन बुनकर से एक रुपये का भी माल नहीं खरीदा गया व कर्मचारियों के वेतन भुगतान में दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। मुख्यालय कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया है लेकिन फील्ड कर्मियों का एक साल का वेतन बकाया है निगम एवं यूपिका के अध्यक्ष निर्धारित धनराशि से ऊपर खर्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट पैकेट योजना में विशेषकर मुरादाबाद मण्डल में समितियों के अध्यक्षों से मिलकर 30 प्रतिशत से 40-40 प्रतिशत तक धन अधिकारियों से लिया है प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव अनावश्यक रूप से दिल्ली व लखनऊ की यात्रा कर रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से उचित कार्यवाही करने की मांग करता हूं। |

श्री अध्यक्ष–

जिन मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं उनमें प्रतीक्षा सूची की दो सूचनाएं श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा डा० अशोक बाजपेयी एवं अन्य माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्रीमती उर्मिला देवी एवं श्री राम सिंह सैनी।

(घोर व्यवधान के मध्य, कई सदस्य वेल के अन्दर नारे लगाते रहे।)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 मई, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत दिनांक 3 मई, 2000 की कार्यसूची में पूर्व निर्धारित ता० प्रश्न संख्या–18 को हटाये जाने के संबंध में।

नोट :– | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सूचना में उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–33(2) के अनुसार एक मा० सदस्य का एक दिन में एक ही तारांकित प्रश्न लगाया जाता है किन्तु दिनांक 3 मई, 2000 की कार्यसूची में मा० सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या–9 तथा ता० प्र० सं०–18 (दो प्रश्न) निर्धारित हो गये थे और प्रश्नों की अस्थायी कार्यसूची में छप गये थे। यह बात संज्ञान में आने पर उक्त ता० प्र० सं०–18 को पांचवें बुधवार में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है जो उस दिन उत्तरित होगा। अतः इस सूचना को औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री ददद्दू प्रसाद और श्री आर० के० सिंह पटेल की नियम–56 के अन्तर्गत चयनित सूचनाएं जिन पर ध्यान आकृष्ट किया गया हो पर निदेश संख्या 19 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के संबंध में है।

इस विषय पर कल दिनांक 3 मई, 2000 को इन्हीं मा० सदस्यों के औचित्य के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर पीठ से निर्णय दिया जा चुका है। अतः इसे अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान के मध्य)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत आज पांच सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री जगदम्बिका पाल और श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की–प्रदेश के विभिन्न महानगरों में पालीथीन का बैग खाने से गायों की हो रही मौत के संबंध में है। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग और श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम भुआलपुर–डोंगापुर में फ्लोरोसिस की बीमारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

तीसरी सूचना श्री भगवती प्रसाद, श्री राजा रामपाल और श्री मनेश चन्द्र सोनकर की–जिला कानपुर देहात की तहसील मुख्यालय रसूलाबाद विसर्धन रोड पर लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अनधिकृत रूप से पक्की दुकानें बनाये जाने के संबंध में है।

इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

चौथी सूचना श्री उदय राज यादव की–दिनांक 3-5-2000 को जनपद एटा के थाना धारहरा के ग्राम हरनामपुर में तीन मासूमों और उनकी मां की हत्या किये जाने के संबंध में है।

इसी विषय पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री राम ललित चौधरी ने भी यही सूचना दिया है।

इन दोनों सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000[+]

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

[+] छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 4 में कुछ नहीं है ।

(मद संख्या–5 पुकारने पर माननीय सदस्य श्री मुरलीधर उपस्थित नहीं हुए ।)

(व्यवधान के मध्य)

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोली हाट की पेयजल समस्या के निदान हेतु वाटर लिफ्टिंग पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दन सिंह बोरा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोली हाट की पेयजल समस्या के निदान हेतु वाटर लिफ्टिंग पम्प लगवाये जाने विषयक श्री नन्दन सिंह बोरा तथा श्री केदार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर लगातार नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 7 में कुछ नहीं है ।

अब मैं सदन को 2.45 बजे तक स्थगित करता हूं ।

घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर पुनः घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, सरकार की ओर से जवाब आ जाना चाहिए कि जिला प्रशासन द्वारा गोली चलवायी गयी और उसमें चार दलितों की हत्या हुई, तो उसमें एफ० आई० आर० हुई कि नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठें ।

(विरोध के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं मद संख्या–8 ले रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 3 मई, 2000 की बैटक में विधान सभा के 4 मई से 26 मई, 2000 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :—

मई, 2000

4 गुरुवार

1—उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री करधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं पारण । (आधा घण्टा)

2—प्रक्रिया नियमावली के संगत नियमों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण । (आधा घण्टा)

3—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

4—नियम–103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा, श्री बी० आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित तथा श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :—

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय ।"

5—"ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ।

6—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

5 शुक्रवार

6 शनिवार

7 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

मई, 2000

8 सोमवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

3—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करें ।"

9 मंगलवार — 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि की स्थापना किये जाने' के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर व डा० अशोक बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

10 बुधवार — 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

11 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

12 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

13 शनिवार — 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"कानपुर जिले के वाजिदपुर पेबन्दी शेषपुर, मोतीपुर, ओलापुर, सुखनीपुर आदि गांवों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से कृषि उपज एवं पेयजल की गम्भीर समस्या" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

3—"प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयं सेवी संस्था 'सहयोग' द्वारा प्रकाशित 'एड्स और हम' नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में

व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति'' के संबंध में, श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

4—''कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन किये जाने'' के संबंध में श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

5—''उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही की वजह से हज यात्रियों को हुई असुविधा'' के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

6—उक्त उपवेशन में नियम–311 की सूचनाएं न ली जायें ।

14 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

15 सोमवार — 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—''पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ की स्थापना किये जाने'' के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

3—नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भूगर्भ जलस्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थाई समिति गठित की जाय ।"

4—''प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जलस्तर से उत्पन्न स्थिति'' के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

16 मंगलवार
17 बुधवार — वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

18 गुरुवार — (बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश)

19 शुक्रवार

20 शनिवार — बैठक नहीं होगी ।

21 रविवार

22 सोमवार

23 मंगलवार — (महावीर जी के मेले का अवकाश)

24 बुधवार
25 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

गुरुवार 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापना उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समितिकी सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विधेयक जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमन है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृषि मंत्री ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी, 98 के लिए निर्धारित श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–42 के उत्तर के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत कृषि मंत्री का शोधित उत्तर

*कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(निम्नलिखित शोधित उत्तर पढ़ा हुआ माना गया)

मूल प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
1	2	3
क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अनुभाग–5 के पत्र संख्या–616/12-5-92. दिनांक 20-1-92 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-5-92 में क्या कार्यवाही हुई है ?	शासन का पत्र दिनांक 20-1-92 का न होकर 28-1-92 का है जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-5-92 में निम्न कार्यवाही की गई :—	शासन का पत्र दिनांक 20-1-92 का न होकर 28-1-92 का है जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-5-92 में निम्न कार्यवाही की गई :—

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1	2	3
	(1) श्री राम बाबू शर्मा, तत्कालीन निलम्बित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिजनौर को आदेश संख्या–ए०बी० (2)/6612-20, दिनांक 4-1-93 के अन्तर्गत निलम्बन की तिथि से बहाल कर दिया गया है । निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजनों हेतु सेवाकाल माना जायेगा ।	(1) श्री राम बाबू शर्मा, तत्कालीन निलम्बित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिजनौर को आदेश संख्या–ए०बी० (2)/6612-20. दिनांक 4-1-93 के अन्तर्गत निलम्बन की तिथि से बहाल कर दिया गया है । निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजनों हेतु सेवाकाल माना जायेगा ।
	(2) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–ए०बी० (2)/6612-20. दिनांक 4-1-93 के द्वारा सहायक कृषि विपणन अधिकारी, बरेली के अधीन वर्ग–2 के पद पर तैनाती की गयी है ।	(2) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–ए०बी० (2)/6612-20. दिनांक 4-1-93 के द्वारा सहायक कृषि विपणन अधिकारी, बरेली के अधीन वर्ग–2 के पद पर तैनाती की गयी है ।
	(3) श्री राम बाबू शर्मा के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उन्हें कृषि विभाग में समायोजित किया गया तथा उन्हें वर्ग–1 में पदोन्नति प्रदान करते हुए दिनांक 7-8-93 को संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) आगरा के अधीन तैनात किया गया ।	(3) श्री राम बाबू शर्मा के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उन्हें कृषि विभाग में समायोजित किया गया तथा उन्हें वर्ग–1 में पदोन्नति प्रदान करते हुए दिनांक 7-8-93 को संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) आगरा के अधीन तैनात किया गया ।
नामांकित कर्मचारी को निलम्बन समाप्त करके किस जनपद के किस पद पर तैनात किया गया है ।	सम्बन्धित कर्मचारी का निलम्बन समाप्त कर कृषि विपणन अधिकारी, बरेली के अधीन वर्ग–2 के पद पर तैनात किया गया ।	सम्बन्धित कर्मचारी का निलम्बन समाप्त कर कृषि विपणन अधिकारी, बरेली के अधीन वर्ग–2 के पद पर तैनात किया गया ।
क्या उक्त कर्मचारी को निलम्बित अवधि का अवशेष वेतन एरियर व कनिष्ठ कर्मचारी के समकक्षीय स्तर तक का प्रोमोशन देकर प्रोन्नति अवधि का अवशेष वेतन ऐरियर का अवशेष वेतन ऐरियर व निलम्बित अवधि का नकदीकरण व बोनस का भुगतान कर दिया गया है ?	अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है, बोनस के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।	निलम्बन अवधि दिनांक 6-2-80 से दिनांक 3-1-93 एवं योगदान अवधि दिनांक 4-1-93 से दिनांक 10-2-95 तक के अवशेष देयों का भुगतान की पुष्टि श्री राम बाबू शर्मा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 1998 को कर दी गयी है । बोनस के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली धनराशि रुपया 8168/- जिसमें

1	2	3
		रुपया 4884/- को जी० पी० एफ० में जमा कराकर शेष रुपया 3284/- का भुगतान श्री शर्मा को दिनांक 15-10-99 को किया जा चुका है ।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।	प्रश्न नहीं उठता ।

निदेश संख्या–166(2) के अन्तर्गत दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण :–

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–42 का त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में कृषि निदेशालय के सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक, श्री रमेश चन्द्र एवं वरिष्ठ सहायक, श्री अशोक कुमार वर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए श्री अशोक कुमार को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दे दी गयी है । कार्यालय अधीक्षक, श्री रमेश चन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 25-6-98 को हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है । बोनस भुगतान में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए श्री रामदीन, उप कृषि निदेशक (प्रसार) एटा को कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।]

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 4-5-2000 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री विनोदमणि जी की है, बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा बंद करने तथा स्नातक स्तर की सीटों में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अनुपस्थित हैं । दूसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राम कुमार, श्री उदयराज यादव, और श्री रामविशुन आजाद की है, अनुपस्थित हैं । तीसरी सूचना श्री अम्बरीष कुमार, अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री अम्बिका चौधरी, श्री प्रमोद कुमार, श्री रमेश राही और श्री धनीराम बर्मा की जनपद सीतापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से हटाये जाने की कार्यवाही से जिले के विकास कार्य बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसे श्री प्रमोद कुमार के अनुरोध पर स्थगित कर रहा हूं । पांचवीं सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री राजपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री स्वामी ओइमवेश की है, अनुपस्थित हैं । छठी सूचना श्रीमती उर्मिला देवी की, अनुपस्थित हैं । सातवीं सूचना श्री बाबू लाल, श्री विजय पाल सिंह, श्री संजय गर्ग और बिजेन्द्र आर्य की है, अनुपस्थित हैं । आठवीं सूचना श्री गोपाल कृष्ण की, अनुपस्थित हैं । नौवीं सूचना श्री राजाराम पाल की, अनुपस्थित हैं । दसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है, अनुपस्थित हैं । इन सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गईं, अतः अस्वीकृत हुईं :– 1–श्री धनीराम वर्मा, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अब्दुल मन्नान, 2–श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम जग, श्री राम नरेश यादव, श्री समरपाल सिंह, 3–श्री अब्दुल कलाम, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री श्याम किशोर यादव, 4–डा० धर्मज्ञ मिश्र, 5–श्री राम ललित चौधरी, 6–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री संजय गर्ग, श्री बनारसी दास चांदना, 7–श्री दुर्गा प्रसाद यादव, 8–श्री राम सिंह सैनी, 9–श्री राम कृपाल, 10—श्री चेतराम, 11—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

(संशोधन रखने हेतु श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने और उनके द्वारा संशोधन न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) यह पहली अप्रैल, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन)

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) मेंकिसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर कोई कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं होगा यदि उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर कोई कर उद्ग्रहणीय है ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री अधिष्ठाता–

श्री लालजी वर्मा अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

(श्री लालजी वर्मा और श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर एवं अपना संकल्प न रखने पर)

पंचायती राज राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

चूंकि, विद्यमान ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल मई, 2000 में समाप्त हो रहा है, जब कि क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल जनवरी, 2001 तक बना रहेगा;

और, चूंकि, ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान क्षेत्र पंचायतों के पदेन सदस्य हैं और क्षेत्र पंचायतों के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के पदेन सदस्य हैं, और यह समीचीन होगा कि सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन एक साथ कराये जायें;

और, चूंकि, ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के संघटन के लिये उनके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन की व्यवस्था कराया जाना साध्य नहीं होगा;

और, चूंकि, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान और निर्वाचन के पश्चात् इसके पुनस्संघटन के मध्य की अवधि के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है और इस कमी को दूर किया जाना आवश्यक है;

अतएव भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 18 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

अध्याय–2

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 12 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और ग्राम पंचायत, उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा ।"

धारा 12–खख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12–खख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी ।"

अध्याय–3

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 8 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति जिसमें क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और क्षेत्र पंचायत, उसके प्रमुख और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा ।"

धारा 20 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और जिला पंचायत, उसके अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा ।"

अध्याय–4

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2000

निरसन और अपवाद

1—(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000. जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000. जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान मांग पर मतदान

अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने केलिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5.47.09.24.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5.47.09.24.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान

अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने केलिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1.14.86.31.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1.14.86.31.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान

अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

*मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह) –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2.03.89.58.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2.03.89.58.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान

अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग

*परिवहन मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43—परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने केलिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22.15.75.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43—परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,15,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्रावधान किया जाय" सम्बन्धी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

*डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन में.....

श्री अधिष्ठाता–

इसमें चर्चा जारी रहेगी।

ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वे एवं 74वे संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय" संबंधी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, वर्तमान में इस प्रदेश.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 4 मई, 2000 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं :––

(1) डा० वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच में विद्युत उपखण्ड महसी के अन्तर्गत विश्व बैंक योजना के अधीन संचालित नलकूपों के लगभग 12 कि०मी० तार कटे होने के कारण नलकूपों की बन्दी के बावजूद किसानों को सिंचाई शुल्क की नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(2) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में पेयजल हेतु सरफेस वाटर के प्रयोग को बढ़ावा देकर भूगर्भ जल के दोहन के फलस्वरूप हो रही डार्क एवं ग्रे- की स्थिति से प्रदेश को बचाने के सम्बन्ध में तथा

(3) श्री शिव बहादुर सक्सेना की जनपद रामपुर स्थित शिवा पेपर मिल धमौरा के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न किये जाने से जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं ।

(1) डा० अशोक बाजपेयी की ग्राम नेवादा सातन विकास खण्ड दोडरपुर थाना हरियावां, जनपद हरदोई में हुए भीषण अग्निकाण्ड में तीन व्यक्तियों के जलकर मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(2) श्री रामविशुन आजाद की प्रदेश में विशेषतः बभनान एवं बलरामपुर शुगर मिल्स क्षेत्रों में गन्ना किसानों के गन्ने की बिक्री में की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

(3) श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा [illegible]नी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(4) श्री रूप चौधरी की [illegible]करघा कपड़े के प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक केन्द्र खेकड़ा (बागपत) में बिजली पानी एव सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

(5) श्री बिन्दुलाल की जनपद गोण्डा में ग्रामीण वृक्ष अधिनियम, 1976 के प्रभाव के कारण किसानों को अपनी जमीन पर लगाये गये पेड़ों को काटने में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयीं ।

निम्नांकित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

(1) डा० धर्मज्ञ मिश्र जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत नहर पटरी पक्की रोड योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री राम नरेश यादव जनपद उन्नाव में नगर पंचायत औरास, तहसील हसनगंज स्थित भूखण्ड सं०–1032 को स्वाधीनता सेनानी स्व० मातादीन के नाम पर स्वतंत्रता संग्राम पार्क के लिए प्रशासन द्वारा आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री रामवीर उपाध्याय — जनपद औरैया की नगर पंचायत विधूना में पंचायत की भूमि पर निर्मित दुकानों की जिलाधिकारी द्वारा बिना लाटरी के ही अवैध कब्जेदारी कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मराज निषाद — जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड भीटी मुख्यालय पर 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरपाल सिंह — जनपद बुलन्दशहर में रजवाहों के टूटे एवं जीर्ण शीर्ण पुलों का निर्माण न कराये जाने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव — लखनऊ नगर में तापमान बढ़ने के साथ ही संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) डा० पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदासनगर की नगर पंचायत नई बाजार में निर्माणाधीन पानी की टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :—

श्री वसीम अहमद, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री राम चन्द्र यादव, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री अफजाल अहमद, श्री रामाधार सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्रीमती उर्मिला देवी, श्री अरविन्द गिरि, श्री मुरलीधर, श्री राम कृपाल, श्री सिंहासन सिंह, श्री अकबर हुसैन एवं श्री संजय गर्ग।

कतिपय जालसाजों द्वारा फर्जी हस्ताक्षरित पत्र जारी कर निदेशक पर्यटन अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय को फंसाये जाने सम्बन्धी नियम–51 के अन्तर्गत डा० अशोक बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

(मंत्री के अनुरोध पर स्थगित)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 21 पहले से ही स्थगित है।

(मद संख्या 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एवं 34 के संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।)

जनपद संत रविदास नगर भदोही के महाराजा आदित्य नारायण हायर सेकेन्ड्री स्कूल भदोही को षड़यंत्र के तहत संविधान विरुद्ध अल्पसंख्यक संस्था बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[महाराजा आदित्य नारायण हाई स्कूल समिति द्वारा संचालित आदित्य नारायण हायर सेकेण्ड्री स्कूल, भदोही, जनपद संत रविदासनगर की स्थापना वर्ष 1946 में की गयी थी। उक्त कालेज के मूल पंजीकरण के समय प्रबन्ध कमेटी में कुल 21 सदस्य थे, जिसमें 14 अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय के सदस्य थे तथा शेष 7 सदस्य अन्य समुदाय के थे। महाराजा आदित्य नारायण हायर सेकेण्ड्री स्कूल,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भदोही, जनपद संत रविदास नगर का नाम उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी के पत्र दिनांक 2-4-1973 द्वारा एम० ए० समद इण्टर कालेज के रूप में बदला गया ।

कालान्तर में उक्त संस्था ने मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन में उल्लिखित उद्देश्यों में सहायक निबंधक फर्म्स एण्ड सोसायटीज, वाराणसी के कार्यालय से दिनांक 21-1-1997 को संशोधित करा के उन्हें पंजीकृत कराया गया जिसमें स्मृति पत्र के प्रस्तर–3 (डी) में मुस्लिम छात्र/छात्राओं को विशेष शिक्षा देने की बात का उल्लेख किया गया । दिनांक 21-01-1997 को पंजीकृत मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन में संस्था के प्रबन्ध हेतु गठित प्रबन्ध समिति में कुल 12 सदस्यों के नाम अंकित किये गये हैं जो सभी अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय के व्यक्ति हैं । किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने हेतु शासनादेश संख्या–3649/15-7-12(25)/79. दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 तथा तद्विषयक संशोधित शासनादेश संख्या–591/15-7-12(25)/79, दिनांक 22 फरवरी, 1995 द्वारा कतिपय मानक निर्धारित किये गये हैं । शासनादेश संख्या–1256/52-3-97-12(25)/79 टी० सी०, दिनांक 13 जून, 1997 द्वारा शासन स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों को पूर्व उल्लिखित शासनादेशों में निर्धारित मानकों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने हेतु प्रमुख सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है । उक्त राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 23-5-97 की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या–1146/52-3-96-12(25)/79, दिनांक 18-6-1997 द्वारा उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया था ।

उक्त विद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के विरुद्ध मा० सदस्य, विधान सभा डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा तथा अन्य 37 विधायकगणों द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन-पत्र पूर्व में भी तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी/मा० शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि महाराजा आदित्य नारायण हायर सेकेण्ड्री स्कूल भदोही को छल-छदम और धोखाधड़ी के आधार पर अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित किया गया है, प्रकरण अति गम्भीर है और आरोप यह भी है कि विदेशी धन एवं शक्ति के आधार पर उक्त सामान्य विद्यालय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है । इसलिए उक्त प्रकरण की गम्भीरता से छानबीन कराकर तत्काल उक्त विद्यालय को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 18 जून, 1997 को निरस्त करने तथा अवैध प्रबन्ध समिति को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया जाना जनहित में आवश्यक है ।

मा० विधायकगणों की इस शिकायत की जांच अभिलेखों के आधार पर की गयी तथा न्याय विभाग से न्याय संगत कार्यवाही हेतु विधिक परामर्श प्राप्त किया गया जिसमें न्याय विभाग का मत था कि प्रश्नगत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने और शासनादेश दिनांक 18-6-97 की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पुनर्विचार हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता वाली शासन स्तरीय समिति को प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इस प्रकार उक्त संस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है । इस सम्बन्ध में पूर्व में मा० मुख्य मंत्री जी एवं समस्त विधायकगणों को सूचित भी किया जा चुका है ।]

सनातन धर्म इण्टरमीडिएट कालेज, वाराणसी के साथ संलग्न प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बकाया वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० अध्यक्ष विधान सभा के माध्यम से सदन को यह सूचित किया गया है कि सनातन धर्म इण्टरमीडिएट कालेज, वाराणसी के साथ संलग्न प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शासनादेश संख्या–3040/13-8-80–3054/87, दिनांक 6-9-1989 द्वारा स्वीकृति के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के वेतनादि का

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भुगतान इस आधार पर नहीं किया कि इस विद्यालय का नाम निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ(1)/1675-1695/2क(60)85-86, दिनांक 1-11-85 में नहीं था । फलस्वरूप याचीगण की ओर से याचिका संख्या 30678/90 मा० न्यायालय में योजित करने पर मा० न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 18-5-95 में विद्यालय के सभी स्टाफ को सरकारी फण्ड से वेतन भुगतान के आदेश दिये गये । जिनके अनुपालनार्थ अवमानना याचिका संख्या 1225/97 योजित की गयी । शासन ने शासनादेश संख्या–1860/15-6-99-25(52)/97, दिनांक 19-8-99 द्वारा इस विद्यालय को अनुदान सूची पर लेने की स्वीकृति प्रदान की । जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने इस आदेश के परिपालनार्थ पत्र संख्या–मा०–1/12476-78/99-2000 दिनांक 18-11-99 द्वारा जिज्ञासा की कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के प्राविधानों के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राइमरी अनुभाग के अध्यापकों के लिये नियुक्ति एवं सेवा शर्तें लागू नहीं हैं । ऐसी स्थिति में अनुमोदित का आशय स्पष्ट किया जाय । इस जिज्ञासा का समाधान न होने के कारण शासनादेश दिनांक 19-8-99 के होते हुए विद्यालय के अध्यापकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

मा० अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मा० सदस्य को अवगतार्थ सदन के समक्ष वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रेषित है :—

सनातन धर्म इण्टर कालेज के सम्बद्ध प्राइमरी के शिक्षकों की ओर से श्री सुरेन्द नाथ पाण्डेय, शिक्षक द्वारा याचिका संख्या 30678/90 मा० न्यायालय में योजित की गयी । इसमें प्रतिपक्षी शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) व अन्य थे । याचिका में मा० न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18-5-95 पारित किये गये । मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या 4412/15-8-92, दिनांक 28-12-1992 में लिये गये निर्णय पुनर्विचार के उपरान्त इस आदेश को संशोधित करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 1867/15-6-99(25(52)/97, दिनांक 19-8-99 में इस विद्यालय के सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग को शासनादेश जारी होने के दिनांक से उ० प्र० वेतन वितरण अधिनियम–1971 के अन्तर्गत अनुदान सूची पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं ये निर्देश दिये गये कि वर्तमान में सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत नियमित एवं अनुमोदित अध्यापक/अध्यापिकाओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वांछित धनराशि का आगणन शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय । इन आदेशों के दृष्टिगत इस विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के तदनुसार देय वेतन भुगतान हेतु आगणन/प्रस्ताव अभी तक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से प्राप्त नहीं हुआ है । इस हेतु शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को निर्देशित कर दिया गया है कि वे प्रकरण में विस्तृत जांच कराकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर शासन को सूचित करें तथा विद्यालय के सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अपेक्षानुसार आगणन व प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि आवश्यक धनराशि कराकर यथाशीघ्र इन कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वांछित अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत किया जा सके ।

उपरोक्त वस्तुस्थिति मा० सदस्य के अवगतार्थ मा० अध्यक्ष के माध्यम से सदन में प्रेषित है ।]

जनपद मथुरा की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा प्रभावी नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मथुरा जनपद में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है तथा अपराधियों पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हो पा रहा है । आम जनता की सुरक्षा हेतु अपराध तक पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं । हरि सिंह, निवासी नगला पोहपी, थाना मथुरा रिफाइनरी के साथ 19-3-2000 को श्री एस० के० गर्ग ने अपने सहयोगियों के साथ जाति सूचक शब्दों के साथ जान से मारने के इरादे से उसका गला घोटा गया । गवाहों द्वारा दी गयी सूचना पर भी मुल्जिमों को अभी तक जेल नहीं भेजा गया । इसी प्रकार 7 ड्रम मिट्टी के तेल की चोरी की सूचना प्राप्त होने पर भी मथुरा रिफाइनरी को संरक्षण मिलना, पुलिस द्वारा मुल्जिमों को न पकड़ना, श्रीमती शकुन्तला देवी, निवासी 94ए, हनुमान नगर धौली पियाऊ, मथुरा, थाना नरहौली के अपहरण की घटना को एन० सी० आर० में लिख देना, श्रीमती वीरबाला, निवासी नौटंकी वाली गली, दानघाटी गोवर्धन की रिपोर्ट अपहरण की न होना, मुल्जिमों द्वारा उसके साथ दुराचार करते रहना, अभियुक्तों के नाम तहरीर करने के बावजूद भी कार्यवाही न करना, वीरबाला के पति एवं परिवार को निरन्तर प्रताड़ित करना, थाना फरह के ओल चौकी के 2 सिपाहियों द्वारा ओल में ही एक परिवार में घुसकर बलात्कार किये जाने की जानकारी दिये जाने पर भी कार्यवाही न करना, ओल चोकी में ही तैनात एक कान्सटेबिल द्वारा अपनी स्कूटर पर महिला को जबरन बैठाकर ले जाना एवं उसके साथ बलात्कार करना, नगला शिवाजी, थाना नरहौली में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र करने वालों को रासुका लगाने की घोषणा कियें जाने पर भी, अभी तक उनको निरुद्ध न करना, मु० अप० सं० 50/2000 थाना नौहझील में मृतक विक्रम सिंह की दि० 13-3-2000 को शरीर के पोस्टमार्टम के लिये लिखा पढ़ी के समय गला काटने तथा शरीर पर आई चोटों का उल्लेख न करना एवं निर्दोषों को थाने में 15 दिन से अधिक बैठाकर रखना, मथुरा रिफाइनरी के गेस्ट हाउस एवं क्वार्टरों का प्रयोग अपराधियों के संरक्षण में करना आदि की घटनाओं का उल्लेख करते हुए, स्थिति गम्भीर बताते हुए शासन से इस पर वक्तव्य देने की मांग की गयी है ।

(2) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्या के अनुसार मथुरा जनपद की कानून-व्यवस्था संतोषजनक है और अमर चैन कायम है । प्रत्येक छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । श्री हरि सिंह पुत्र पन्नी लाल, निवासी नगला पोहपी, थाना रिफाइनरी द्वारा दिनांक 19-3-2000 को मथुरा रिफाइनरी के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री एस० के० गर्ग के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में यह इंगित करना है कि श्री हरी सिंह, मथुरा रिफाईनरी का ठेकेदार है, जिसे ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है तथा पेमेन्ट के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें श्री गर्ग द्वारा स्टे ले लिया गया है । इसी कारण श्री हरि सिंह द्वारा उसके विरुद्ध कतिपय आरोप लगाये गये हैं । बताये गये आरोपों की जांच थाना रिफाईनरी के क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी, जिसमें आरोप तथ्यहीन पाये गये । श्री हरि सिंह का गला घोटने की बात सही नहीं पायी गयी । मिट्टी के तेल के पीपों की चोरी की घटना के संबंध में दिनांक 28-12-99 को दो अभियुक्त बहादुर एवं सीताराम रैक से तेल की चोरी करते समय, थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा पकड़े गये, जिनसे 175 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ । इस संबंध में थाना रिफाइनरी पर अपराध सं०–316/99 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत हुआ तथा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है । दिनांक 9-3-2000 को एक ड्रम डीजल भी लावारिस हालत में पाये जाने पर दाखिल थाना किया गया तथा तेल चोरी के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाकर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । जहां तक श्री हरी सिंह के गला दबाने की बात है, वह असत्य इस आधार पर बतायी गयी है कि श्री एस० के० गर्ग के आवास पर दिनांक 19-3-2000 को प्रातः 8.00 से सायं 2.00 बजे तक पूजा का आयोजन था, जिसमें काफी लोग सम्मिलित थे । जबकि आवेदक द्वारा उक्त घटना प्रातः 9.00 बजे दर्शायी गयी । उक्त 19-3-2000 की घटना की सूचना दिनांक 22-3-2000 को मा० विधायक के माध्यम से क्षेत्राधिकारी, रिफाइनरी को प्राप्त हुई थी । इससे पूर्व उक्त घटना से सम्बन्धित कोई भी सूचना थाना रिफाईनरी पर न दिया जाना, घटना को संदेहजनक बताती है ।

(3) श्रीमती शकुन्तला देवी के अपहरण के संबंध में उसके पति छोटे लाल द्वारा थाना नरहौली पर सूचना अंकित करायी कि जगदीश लोधी उसकी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया है । जांच के मध्य क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी को श्री रामजी लाल, निवासी विजय नगर कालोनी, महोली रोड, श्री रमेश, निवासी हनुमान नगर तथा श्री निरंजन निवासी धौली प्याऊ एवं श्री हरि सिंह, निवासी महोली रोड जनकपुर, मथुरा में पूछताछ के बाद यह बताया कि श्रीमती शकुन्तला देवी पहले समाजवादी पार्टी में महिला अध्यक्ष थी किन्तु इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया श्रीमती शकुन्तला को कोई भगाकर नहीं ले गया, अपितु वह स्वयं ही चली गयी होगी जांच से यह भी पाया गया कि श्रीमती शकुन्तला स्वयं ही श्री जगदीश लोधी के साथ कहीं चली गयी थी और वापस आ गयी है ।

(4) श्रीमती वीरबाला, निवासी कंकाली गली, दानघाटी थाना गोवर्धन, मथुरा के अपहरण एवं मुल्जिमों के चंगुल से मुक्त होने पर, अभियुक्तों के नाम पते जानने पर भी कोई कार्यवाही न होना एवं उसके पति व परिवार को निरन्तर उत्पीड़ित करने के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 6-2-2000 को श्री चन्द्र पाल पति श्रीमती वीरबाला ने अपनी पत्नी को, उसके पड़ोसी राज बहादुर उर्फ लाला, राजू एवं श्रीमती समता देवी पत्नी चन्द्रभान के साथ व सिलसिले आशनाई जाने के संबंध में, थाना गोवर्धन में सूचना अंकित करायी गयी । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्रीमती वीरबाला जो बालिग है, स्वेच्छा से उक्तलोगों के साथ गयी थी,. जो दिनांक 12-2-2000 को वापस घर आ गयी है । इसकी सूचना श्रीमती वीरबाला के ससुर श्री इल्हेराम द्वारा थाना पर दी गयी, जिसकी लिखित तहरीर भी संलग्न की गयी है । श्रीमती वीरबाला एवं उसके परिवार के लोगों को किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है और न ही श्रीमती वीरबाला व उसके परिवार को, किसी के द्वारा उत्पीड़न किया जाना जांच में पाया गया । इस प्रकार जांच में श्रीमती वीरबाला के अपहरण का होना नहीं पाया गया ।

(5) थाना फरह के कस्बा ओल में धर्मसिंह की नौटंकी की घटना के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि 5-1-2000 को नौटंकी वालों से भीमसेन द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, जिस पर ड्यूटी पर नियुक्त कान्सटेबिल सुनील कुमार व महेन्द्र सिंह द्वारा उसे हटा दिया गया । यदि बलात्कार जैसी कोई घटना घटित होती तो अवश्य उससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा थाना अथवा चौकी पर सूचना दी जाती तथा चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता, परन्तु किसी पक्ष द्वारा कोई सूचना थाना फरह अथवा चौकी ओल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा इस घटना की नहीं दी गयी, जिससें स्पष्ट है कि बलात्कार जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई ।

(6) चौकी ओल के एक कान्सटेबिल द्वारा अपने स्कूटर पर महिला को जबरन बैठालकर लेकर उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में यह अवगत कराया है कि श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी चौकीपुरा, थाना फरह ने यह बताया कि दि० 16-2-2000 को उसकी बहिन और वह ओल से पैदल चौकी पुरा जा रहे थे कि एक स्कूटर पर कान्सटेबिल भूपसिंह भी चौकी पुरा की तरफ जाते हुए मिले उनसे चौकी पुरा तक ले जाने को कहा तो उक्त सिपाही ने उन दोनों को बिठा लिया । जब वह अपने घर के नजदीक आये तो स्कूटर रोकने को कहा । सिपाही ने स्कूटर को अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे उसके पीछे बैठी उसकी बहिन गिर गयी जिसे साधारण चोटें आयी थी । सिपाही डर के कारण चला गया, उसकी कोई गलती नहीं थी । इसलिये उसने कहीं रिपोर्ट नहीं की और न ही चिकित्सा परीक्षण कराया । बलात्कार जैसी घटना कारित किये जाने का तथ्य स्वतः ही तथ्यहीन हो जाता है ।

(7) नगला शिवाजी, नरहौली में महिलाओं को निर्वस्त्र करने वालों को रासुका लगाये जाने की घोषणा किये जाने के बाद भी कार्यवाही न करने के संबंध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 12-12-99 को सुबह 9.30 बजे थाना नरहौली पर वादी श्री सलीम, निवासी नगला शिवाजी द्वारा

सूचना अंकित करायी गयी कि उसके पड़ोसियों ने उसकी पत्नी व मां व छोटे भाई को बेरहमी से पीटा है। इस सूचना के आधार पर अपराध सं० 356/99 धारा 147/307/354/324/325/452/506 भादवि बनाम कमरूद्दीन आदि 5 नफर पंजीकृत हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना असत्य पायी गयी, जो विचाराधीन न्यायालय है। एन० एस० ए० की कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट के नामित चक्षुदर्शी दो साक्षी एवं ग्राम के 10 अन्य व्यक्तियों द्वारा शपथ-पत्र अभियुक्तों के पक्ष में दिये जाने के कारण, अभियुक्त कमरूद्दीन की जमानत हो गयी तथा एन० एस० ए० की कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं रह गये थे।

(8) मु० अप० सं० 50/2000 धारा 302/307 भादवि थाना नौहझील के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि वादी द्वारा विक्रम की हत्या अभियुक्तगणों द्वारा तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग करने के संबंध में थाना नौहझील पर दि० 13-3-2000 पर पंजीकृत कराया गया जबकि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से विक्रम सिंह की हत्या फायर व धारदार हथियार से होना पाया गया। इस अभियोग में आरोप-पत्र सं० 50 दिनांक 1-4-2000 को किता कर चालान किया गया, जिसकी चार्जशीट दि० 11-4-2000 को न्यायालय भेजी जा चुकी है जो न्यायालय में विचाराधीन है। निर्दोषों को थाना पर 15 दिन से अधिक बैठाकर रखने के बाबत, यह सूचित किया गया कि अभियुक्त लख्मी व सुभाष को दि० 1-4-2000 को व अभियुक्त ओमा व बल्लो को दिनांक 22-3-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को थाना पर पकड़ कर नहीं लाया गया और न ही किसी व्यक्ति को थाने पर बैठा कर रखा गया।

(9) रिफाईनरी गेस्ट हाउस के बारे में यह बताया गया है कि मथुरा रिफाईनरी इण्डियन आयल कारपोरेशन का एक उपक्रम है तथा रिफाईनरी कम्पनी का गेस्ट हाउस बना है जिसे रिफाईनरी के प्रबन्धकों द्वारा स्वविवेक से आवंटित किया जाता है। अवैध कब्जे या आवास व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में इसे लाये जाने की बात प्रकाश में नहीं आयी और न ही रिफाईनरी के खाली क्वार्टरों पर अवैध कब्जे की कार्यवाही की बात संज्ञान में लायी गयी है।]

जनपद फिरोजाबाद में आये भीषण तूफान व ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद एवं फिरोजाबाद में दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य आये आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि से काफी क्षति हुई है। क्षति एवं किये गये राहत कार्यों का तहसीलवार विवरण निम्नवत् है :–

तहसील–शिकोहाबाद

तहसील शिकोहाबाद में आंधी/तूफान एवं ओलावृष्टि से कुल 9 व्यक्तियों तथा 5 बड़े व 27 छोटे पशुओं की मृत्यु हुई है। 11 व्यक्ति घायल हुए। कुल 20 पक्के/कच्चे मकान तथा झोपड़ियों को क्षति हुई है। 47 ग्रामों से 5% से 80% तक फसल की क्षति हुई है। प्रभावित ग्रामों में रु० 500/- प्रति एकड़ की दर से फसल क्षति का मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। 9 मृतक के आश्रितों में कुल रु० 3,00,000/- की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित की गयी है। एक बड़े व 11 छोटे मृतक पशु स्वामियों को रु० 7,000/- अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया है शेष मृतक पशु

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वामियों को जांचोपरान्त अनुग्रह अनुदान वितरित कर दिया जायेगा । प्रभावितों में 60 बोरा आलू, 41 कु० आटा, 09 बोरी दाल, 20 बोरी चावल एवं 02 बोरी नमक अहेतुक सहायता के अन्तर्गत वितरित किया गया है तथा घायल 11 व्यक्तियों का प्राथमिक चिकित्सा उपचार कराया गया था मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य चिकित्सकों की टीम द्वारा भी मौके पर जाकर प्राथमिक चिकित्सा उपचार किया गया ।

तहसील–फिरोजाबाद

तहसील फिरोजाबाद में आंधी/तूफान एवं ओलावृष्टि से 3 व्यक्तियों तथा 3 छोटे व 1 बड़े पशु की मृत्यु हुई है । 27 व्यक्ति घायल हुए हैं । 16 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई । गेहूं, जौ, मटर तथा टमाटर की खड़ी फसलों को 30% से 80% तक की क्षति हुई है । कुल 96.987 हे० क्षेत्रफल क्षतिग्रस्त हुआ है । लगभग 676 काश्तकार प्रभावित हुए हैं । 3 मृतक के आश्रितों को कुल रु० 1,00,000/- तथा तीन छोटे मृतक पशु स्वामी को रु० 500/- की दर से अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया रु० 9000/- धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गयी । ओलावृष्टि से फसलों को 50% से अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित कृषकों में नियमानुसार राहत सहायता वितरित की जा रही है। प्रभावितों में 20 बोरा आलू, 4.5 कु० आटा, 2.5 कु० दाल आदि का वितरण किया गया है । घायल व्यक्तियों का चिकित्सा उपचार किया गया है । मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा रु० 25,000/- की दर से कुल धनराशि रु० 3,00,000/- की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका मृतक के परिजनों/आश्रितों में वितरण कर दिया गया है ।

प्रभागी निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग फिरोजाबाद द्वारा पेड़ों के गिरने से अवरुद्ध हुए सड़क मार्गों को साफ कराकर यातायात सुचारु रूप से संचालित कराया गया । प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा यथाशीघ्र संचालित की गई ।]

प्रदेश में हजारों की संख्या में सी० पी० एड० प्रशिक्षणार्थियों की परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा, श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 27-4-2000 के अनुसार प्रदेश में हजारों सी० पी० एड० प्रशिक्षणार्थी बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालयों में सेवायोजन न होने के कारण बेरोजगार हैं और भूखों मरने की कगार पर हैं । ऐसे अभ्यर्थी वर्ष 1982 से 1996 तक के जिनमें से कुछ ही जनपद आजमगढ़, गोरखपुर, बहराइच, इटावा, नैनीताल, बांदा, फतेहपुर आदि में बी० टी० सी० के समकक्ष मानकर नियुक्ति कर दी गयी परन्तु अब ऐसा नहीं किया जा रहा है । इससे प्रशिक्षणार्थियों में आक्रोश व्याप्त है ।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि सी० पी० एड० प्रशिक्षण वस्तुतः व्यायाम शिक्षक के पदों पर भर्ती की अर्हता है । बी० टी० सी० अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 23-3-1995 के अन्तर्गत बी० टी० सी० अर्हताधारी अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि इन्हें सेवारत प्रशिक्षण

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही प्रशिक्षित वेतनमान में सेवा का अवसर अनुमन्य होगा । इसे शासनादेश में यह भी व्यवस्था सन्निहित थी कि वर्ष 1996-97 से सी० पी० एड० प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाय । इन आदेशों के आलोक में वर्ष 1996 से बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उपलब्धता के साथ ही सी० पी० एड० अर्हता के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी थी ।

तत्क्रम में उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (आठवा संशोधन) नियमावली, 1998 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक पद हेतु शैक्षिक अर्हता स्नातक तथा प्रशिक्षण योग्यता बी० टी० सी० या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विहित की गयी हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन) (एन० सी० टी० ई०) के गठन के फलस्वरूप एन० सी० टी० ई० तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुशीलन में बी० टी० सी के समकक्ष अन्य प्रशिक्षणों की समकक्षता भी प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1997 में समाप्त की जा चुकी है ।

कालान्तर में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए, शासनादेश दिनांक 9 जनवरी, 1998 द्वारा अध्यापकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गयी कि बी० एड०, एल० टी०, बी० पी० एड०, डी० पी० एड० एवं सी० पी० एड० अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण कराकर अध्यापक पद हेतु अर्ह किया गया इस विशिष्ट योजनान्तर्गत केवल एक बार के लिये उक्त अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये । विज्ञापन के अनुसार लगभग दो लाख अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र प्रेषित किये थे । शासन द्वारा विहित मानकों के अनुसार इन आवेदकों की मेरिट सूची तैयार कराई गई तथा उसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण कराया गया । नवम्बर, 1999 से इस योजनान्तर्गत लगभग 23000 अभ्यर्थियों को प्रदेश में रिक्त उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के सापेक्ष नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ।

उक्त से स्पष्ट है कि शासन द्वारा उपर्युक्त विशिष्ट योजनान्तर्गत सी० पी० एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण द्वारा सेवायोजन का अवसर दिया गया । जो अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित सूची में स्थान पा सके, की तैनाती की प्रक्रिया भी सम्पन्न करा दी गयी है । शेष अभ्यर्थी जो मेरिट में नहीं आ सके अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है और वे सी० पी० एड० उत्तीर्ण हैं के अभ्यर्थन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है । क्योंकि शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने के लिए मेरिट से समझौता करना शिक्षा की उन्नति के हित में नहीं है । इस प्रकार स्नातक सी० पी० एड० अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर शासन द्वारा विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण के माध्यम से यथेष्ट अवसर प्रदान किया जा चुका है ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फरधान अन्तर्गत नकहापिपरी कालोनी निवासी चौदह वर्षीय बालक शैली के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उपर्युक्त विषय के संबंध में पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी से जांच कराई गई तो जांच से पाया गया कि श्रीमती लीलावती पत्नी कांनि० स्व० श्री अमर सिंह, निवासिनी ग्राम नकहा पिपरी, थाना फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी ने दिनांक 10-2-2000 को थाना फरधान पर तहरीरी सूचना दी कि उसका पोता शैली पुत्र दुलार सिंह बीती रात्रि में 3.00 बजे पेशाब करने हेतु घर से बाहर गया था, जो पेशाब करने के बाद पड़ोस के मटरू पुत्र कबूल सिंह के घर में घुस गया । सुबह 8.00 बजे वादिनी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को अभियुक्त मटरू व अशोक द्वारा यह सूचना दी गयी कि रात में उन्होंने उक्त शैली को मारा पीटा था जिससे वह कहीं भाग गया है तथा उसे तलाश करने को कहा। उक्त सूचना के आधार पर थाना फरधान पर एन० सी० आर० नं०–14/2000 अन्तर्गत धारा 323 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ।

2––इस दौरान आवेदिका के पोते शैली का कोई पता न चलने पर दिनांक 17-2-2000 को आवेदिका द्वारा थाना फरधान पर पुनः प्रस्तुत की गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मु० अ० सं०–34/2000 अन्तर्गत धारा 364 भा० दं० वि० विरुद्ध 1––मटरू पुत्र कबूल, 2––अशोक पुत्र मटरू, 3––सत्यपाल पुत्र कबूल, 4––सिम्मा पुत्र कबूल, 5––चन्द्रपाल पुत्र खजान एवं 6––खजान पुत्र सकट्टू निवासीगण ग्राम नकहा पिपरी, थाना फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक श्री नरसिंह नरायन तिवारी द्वारा की गयी तथा विवेचना से अभियुक्त मटरू पुत्र कबूल सिंह के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर उसे दिनांक 25-3-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप पत्र संख्या–16 दिनांक 29-3-2000 को प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है। इस अभियोग में नामित शेष 5 अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गयी। शैली की बरामदगी हेतु सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी लेकिन वह अभी बरामद नहीं हो सका। अपहृत बालक शैली की बरामदी के प्रयास प्रचलित हैं।]

मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों को दो माह से वेतन न मिलने तथा उनके हड़ताल पर जाने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[राज्य वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त न होने के कारण माह मार्च, 2000 का वेतन नगर निगम, मेरठ के कर्मचारियों को वितरित नहीं कराया जा सका। अब राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप मार्च, 2000 के लिये निर्धारित धनराशि का आहरण कर नगर निगम, मेरठ के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है तथा माह अप्रैल, 2000 के वेतन भुगतान हेतु अपेक्षित धनराशि नगर निगम, मेरठ द्वारा आहरित की जा रही है। आहरण के पश्चात् माह अप्रैल, 2000 के वेतन का भुगतान माह मई, 2000 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ कर दिया जायेगा।]

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र श्यामदेउरवा के अन्तर्गत नगर पंचायत धुधुली में मानक के अनुरूप विद्युत सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बनध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद महराजगंज के श्यामदेउरवा अन्तर्गत नगर पंचायत धुधुली में मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि उक्त कस्बे की 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 8652 है तथा नियमानुसार यह ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। धुधुली कस्बे को 33/11 केवी धुधुली उपकेन्द्र की 11 केवी धुधुली टाउन फीडर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस फीडर पर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री होने के कारण 4-9-99 तक 20-22 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी परन्तु शुगर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फैक्टरी के बन्द हो जाने पर इस फीडर पर ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली लगभग 10 घंटे दी जा रही है तथा उन उपभोक्ताओं से बिल भी ग्रामीण उपभोक्ताओं के अनुसार ही लिये जा रहे हैं।।

जनपद गोरखपुर में सहजनवां क्षेत्रान्तर्गत बखिरा पम्प नहर 2 नलकूप खण्ड प्रथम गोरखपुर द्वारा टेल तक पानी न पहुंचाये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नियम–51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा जनपद–गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र सहजनवा, विकास खण्ड पाली में वीखरा पम्प नहर–2. नलकूप खण्ड–प्रथम, गोरखपुर में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।

2—जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पाली, तहसील सहजनवा में वीखरा नाल पर 50 क्यूसेक की क्षमता की वीखरा–2 पम्प नहर का निर्माण वर्ष 1957 में हुआ था। इस पम्प नहर की जल वितरण प्रणाली निम्नवत् है :—

1—मुख्य नहर–14.7 कि०मी०

2—रीठुआ खोर–3.5 कि०मी०

3—अलगढ़पुर माइनर–2.2 कि०मी०

4—कोल्हई माइनर–2.2 कि०मी०

5—कुआवार माइनर–1.2 कि०मी०

इस पम्प नहर पर विद्युत आपूर्ति संत कबीर नगर में स्थित ढोढ़या विद्युत उपकेन्द्र से हो रही है जो 14 कि०मी० से अधिक दूरी पर है। इस पम्प नहर पर निर्माण के समय स्वतंत्र फीडर था, जिससे विद्युत की आपूर्ति होती थी, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा फीडर से निजी कनेक्शन दे देने के कारण लोड अधिक होने से साधारणतः औसत विद्युत उपलब्धि 4 से 5 घण्टे रहती है। इस वजह से पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर द्वारा मुख्य अभियन्ता, विद्युत विभाग, गोरखपुर को पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है।

3—इसके लिए अलग से स्वतंत्र फीडर होने की आवश्यकता है, जिसके लिए रु० 16.00 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्य अभियन्ता, विद्युत विभाग की मांग के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, गोरखपुर द्वारा जिलाधिकारी से पूर्वांचल विकास निधि से धन उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया है। धन उपलब्ध होने पर स्वतंत्र फीडर लगाया जाना सम्भव हो सकेगा और तभी नहर के टेल तक पानी पहुंच पायेगा।।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर बस स्टेशन स्थापित कर यात्रियों की सुविधा हेतु रोडवेज की बसों का संचालन कराये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत तहसील मनकापुर, जनपद–गोण्डा में फैजाबाद–अयोध्या–उनरौला राष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित है। मनकापुर से अयोध्या जाने के लिए बलरामपुर,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उतरौला, मनकापुर, अयोध्या–फैजाबाद मार्ग पर पूर्व में एक बस संचालित थी जो कम लोड फैक्टर आने के कारण बन्द कर दी गयी है । बलरामपुर मनकापुर–अयोध्या–फैजाबाद सेवा के पुनः संचालन हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद को निर्देशित कर दिया गया है । उक्त मार्ग पर निजी टैक्सी/वाहन काफी मात्रा में संचालित होते हैं जिनसे निर्धारित किराये से अधिक न लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु परिवहन आयुक्त को निर्देश दे दिये गये हैं ।

मनकापुर में 25 वर्ष पूर्व निगम द्वारा एक किराये के भवन में बुकिंग आफिस संचालित किया गया था । मनकापुर से निगम बस संचालन अत्यन्त कम होने एवं परिचालकों द्वारा यात्रियों को टिकट देने की व्यवस्था के कारण उक्त बुकिंग आफिस की आवश्यकता न रहने के कारण इसे बन्द कर दिया गया है । मनकापुर से गोण्डा होते हुए कानपुर के लिए एक बस संचालित है जो पहले गोण्डा से मनकापुर होकर बभनान तक जाती है और पुनः उसी मार्ग से गोण्डा वापस आकर कानपुर तक जाती है। उल्लेखनीय है कि बलरामपुर–मनकापुर–अयोध्या–फैजाबाद सेवा की पुनर्स्थापना एवं गोण्डा से मनकापुर बभनान तथा वापसी में कानपुर तक परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध होने से देवीपाटन मण्डल के बलरामपुर एवं गोण्डा जनपद सम्बद्ध हो जायेंगे ।]

जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में श्री राम जग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[ग्राम बेलहाखास, बोगरिया तथा अन्य 70 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति 33/11 के० वी० उपकेन्द्र चिरैया कोट के 11 के० वी० बोगरिया फीडर से की जाती है । चिरैयाकोट उपकेन्द्र जनपद मऊ में स्थित है । अकेले इस फीडर पर ही अधिकतम भार 130 एम्पीयर तक जाता है । बोगरिया फीडर की लम्बाई लगभग 10 कि०मी० है जिसके कारण अन्तिम छोर तक प्रायः लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है । 33 के० वी० उपकेन्द्र चिरैयाकोट पर स्थापित 3 एमवीए का ट्रांसफार्मर जिससे उक्त फीडर निकलता है, अधिभारित है ।

उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राम बेलहाखास, बोगरिया तथा अन्य 10 ग्रामों को समुचित विद्युत आपूर्ति के लिये एक नये 33 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण रासेपुर में बनाना द्वितीय पारेषण के कार्यक्रम में गत वर्ष 1999-2000 में सम्मिलित किया गया था ।

प्रस्तावित 33 के० वी० उपकेन्द्र रासेपुर को 132 के० वी० उपकेन्द्र आजमगढ़ से विद्युत आपूर्ति होगी ।

5 एम वी ए का उपकेन्द्र 10 स० किमी० सम्बन्धित 33 के०वी लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 95.93 लाख रुपये है । किन्तु संसाधन की उपलब्धता न होने के कारण उपकेन्द्र का निर्माण आन्तरिक संसाधन से कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है । वर्ष 2000-2001 में इस उपकेन्द्र के निर्माण के लिए यदि धनराशि की व्यवस्था हो जाती है, तो प्राथमिकता पर इसका निर्माण कराया जायेगा ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य द्वारा गाजियाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहा गया है कि जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कालोनी रामप्रस्थ एवं कौशम्बी के निकट दिल्ली सीमा शुरू हो जाता है, यहां अभी तक वास्तविक सीमा रेखा चिन्हित नहीं की गयी है और दोनों राज्यों (उत्तर प्रदेश, दिल्ली) में इस विषय को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद का सहारा लेकर एवं जनपद गाजियाबाद के भ्रष्ट अधिकारियों एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत करके महामन्त्र फाइनेन्स कम्पनी के तथाकथित चेयरमैन श्री बलवन्त सिंह यादव सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों से गलत तरीके से नक्शे पास करवा कर भोले-भाले लोगों को प्लाट बेच कर ठगा जा रहा है जो किसी भी प्रकार वैधानिक नहीं है। इस संबंध में त्वरित कार्यवाही की मांग करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों एवं मिलीभगत रखने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की मांग की गयी है।

माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी आशंकाओं में निहित विन्दुओं पर सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01-5-2000 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मै० रामप्रस्थ बिल्डर्स की ग्राम महाराजपुर स्थित भूमि व दिल्ली की ग्राम–कडकडडूमा स्थित भूमि का सर्वे व सीमांकन हेतु पैमाइश दिल्ली विकास प्राधिकरण व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विभागों द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कराया जाना है। उक्त भूमि का सर्वेक्षण उपरान्त ही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकता है।

रामप्रस्थ व रामपुरी कालोनी में मानचित्र स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा उक्त दोनों कालोनियों में ले-आउट में दर्शित चौड़ाई के अनुसार एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं जो नियमानुसार है। स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई मौके पर अवैध रूप से फ्लैटों का निर्माण करता है तो उसके विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। यदि कोई विशिष्ट सूचना इस बारे में दी जावेगी, तो उसकी विस्तृत जांच कराई जा सकेगी।]

जनपद संत-रविदास नगर भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत छेछुआ ग्राम सभा को गंगा नदी के कटान से बचाये जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नियम–51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य जनपद द्वारा संत रविदासनगर (भदोही) में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दीघ ब्लाक में छेछुआ ग्राम को गंगा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम छेछुआ, जनपद–संत रविदासनगर, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के डीघ विकास खण्ड के अन्तर्गत गंगा नदी के बचें किनारे पर स्थित है । इस स्थान पर गंगा का बहाव दायें किनारे से बायें किनारे की तरफ मुड़ गया है, जिससे छेछुआ ग्राम की लगभग 400 एकड़ भूमि का कटाव हो चुका है ।

ग्राम छेछुआ के गंगा नदी की कटाव से बचाये जाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया गया है तथा उक्त के आधार पर एक परियोजना बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त परियोजना का टी० ए० सी० से तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति हो जाने पर ही उसका क्रियान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।]

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में श्री राम औतार शाक्य व अन्य द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–35 पर चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से पांच हजार करोड़ रुपये ऋण लेने की योजना, उसकी शर्तें तथा कुछ विभागों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन न किये जाने विषयक दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ग) के संबंध में श्री अम्बिका चौधरी व अन्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा का निरस्तीकरण

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या--36 से सम्बन्धित सदस्यगण अनुपस्थित हैं ।

अतः इसे निरस्त करता हूं ।,

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम औतार शाक्य, कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम सोमवार 8-5-2000 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 40 मिनट पर सोमवार दिनांक 8 मई, 2000 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 4 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये प्र० सं०–14 का उत्तर पैरा संख्या–7 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चतुर्थ गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्न संख्या–14 का संलग्नक

भारत सरकार द्वारा उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, बीज पर वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी का विवरण निम्नवत् है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है :—

मद	योजना	इकाई	अनुदान की धनराशि (रु० में)	अभ्युक्ति
बीज अनुदान (प्रमाणित बीज)				
गेहूं	एकीकृत ऊसर विकास कार्यक्रम	प्रति कुन्तल	200/-	
धान	चावल आधारीय एवं गेहू			
जौ	आधारीय			
शंकर धान	,,	,,	500/-	
मक्का	तीव्रगरमी मक्का	,,	400/-	
रागी	विकास कार्यक्रम			
बाजरा				
ज्वार				
चना	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम परियोजना	,,	300/-	
मटर				
अरहर				
मसूर				
तिल	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	,,	300/-	
मूंगफली				
सोयाबीन				
नोरिया				
राई				

उर्वरक अनुदान : प्रदेश सरकार द्वारा उर्वरकों पर कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा उत्पादन/वितरण पर उत्पादकों को विभिन्न उर्वरकों पर विक्रय मूल्य कम करने के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो वर्ष 1999-2000 में निम्नवत् सूचित थी ।

उर्वरक का नाम	सब्सिडी दर रुपया प्रति मै० टन
डी० ए० पी० देश में निर्मित	4600
डी० ए० पी० (आयातित)	3200

एम० ओ० पी० काम्पलेक्स–	325(
10:26:26	3998
12:32:16	4031
14:28:14	3779
14:35:14	4282
15:15:15	2970
16:20:0	2588
17:17:17	3366
19:19:19	3762
20:20:0	2876
23:23:0	3307
28:28:0	4026
एस०एस०पी०	800

उक्त के अतिरिक्त नत्रजन (यूरिया) पर सब्सिडी भारत सरकार द्वारा उत्पादक इकाइयों को उनके उत्पादित यूरिया की मात्रा पर सीधे उपलब्ध कराई जाती है ।

कीटनाशक दवाइयों पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है । भारत सरकार द्वारा निम्न अनुसार सब्सिडी दी जा रही है :—

कीटनाशक दवाइयां

(क) सफेद गिडार (मूंगफली)	नियंत्रण	बीज शोधन	प्रति है० 500/-	मात्र 1000 है० क्षेत्रफल
(ख)		कीट नियंत्रण	प्रति है० राई, सरसों, प्रति छिड़काव 100/- रु० दो छिड़काव 200/- रु०	7500 हे० क्षेत्रफल

राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम

बीज शोधन		कृषि रक्षा रसायन के मूल्य का 50%
कीटनाशक कृषि रक्षा रसायन (अरहर, चना में फलीछेदक कीट का नियंत्रण)	प्रति है०	कृषि रक्षा रसायन के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 100/- प्रति छिड़काव कुल 2 छिड़काव हेतु 200/- प्रति है०
बीज मिनीकिट वितरण		निःशुल्क केवल टोकन धनराशि से 5/- से रु० 10/- प्रति मिनीकिट लेकर

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

जनपद संत कबीरनगर में वर्ष 99-2000 में कृषि रक्षा रसायनों की भण्डार स्थिति

इकाई लीटर/कि०ग्रा०

क्र०सं०	नाम रसायन	कुल उपलब्धता	क्रमिक वितरण	अवशेष मात्रा 1-3-2000 को
1	मिथाइल पैराथियान 2% धूल	26682	16265	10417
2	मैलाथियान 5% धूल	3690	3223	467
3	फोरेट 10 जी	661	71	590
4	कार्बोराइल + लिन्डेन	440	25	415
5	कार्बोफ्यूरान 3 जी	400	—	400
6	फास्फोमिडान 85%	105	96	9
7	मोनो क्रोटो फास 36%	70	32	38
8	इन्डोसल्फान 35%	155	94	61
9	क्लोरोपायरी फास 20%	101	5	96
10	डाईक्लोरोवास 76%	148	56	92
11	क्यूनाल फास 25%	86	4	82
12	डाईमिथिएट 30%	45	42	3
13	वी० टी०	5	5	—
14	कार्वेन्डाजिल 50%	57	25	32
15	एम० ई० एम० सी० 6%	59	5	54
16	मैंकोजेव 75%	372	302	70
17	स्ट्रेप्टो सायक्लीन	0.738	0.230	0.500
18	कापर आक्सीक्लोराइड	175	75	100
19	सल्फर 80%	100	15	85
20	बर्धक 4%	53	3	50
21	2.4 डी० सो० सा० 80%	453	163	290
22	ब्यूटाक्लोर 50%	219	—	219
23	आई प्रोट्यूरान 75%	790	707	83
24	जिंक फास्फाइड	51	9	42
25	अल्यू० फास्फाइड	301	26	275
26	ई०डी० वी० एम्पल	5.58	0.300	5.280

पी० एम० यू० पी०–एल० 277 विधान सभा (598)–2001–813 (डी० टी०पी०)